

IN CASE OF DISPUTES OR DISCREPANCIES BETWEEN HINDI AND ENGLISH VERSION, ENGLISH VERSION OF CONDITIONS SUPERCEDES AND ENGLISH VERSION WILL BE TAKEN AS CORRECT.

Annexure-A

Tender Conditions and Instructions to Tenderer

1	E-tender is invited for the work as mentioned in E-Tender Notice No.... of 2025-26 of Bikaner Division, North Western Railway.
2	The approximate cost of the work is Rs.
3	Tenderers shall submit their offer on website www.ireps.gov.in The tender will be opened on same day at 15.30 Hrs and rates read out in the presence of tenderers or their representatives present.
4	Tenderer will not have any claim on any account what so ever for any change in the quantity of works as actually required to be executed.
5	Additional conditions/stipulations must be avoided by the tenderer. It should, however be noted that the Railway reserves the right not to consider conditional tenders and reject the same without assigning any reasons.
6	It will not be obligatory on the part of Railways to accept the lowest tender and no reasons for the rejection of the same will be indicated.
7	If the tenderer deliberately gives wrong information in his tender, Railway reserves the right to reject such tender without any obligation on the part of Railway.
8	In case the overall value of the tender by a public sector undertaking of the State or Central Government is up to 10% higher than the lowest tender of a private tenderer, the Railway reserves the right to give preference to the tender of such public sector undertaking, ignoring the lower tenders.
9	No RMC or priority certificates shall be issued by the Railways for carriage of tools and plants and other materials belonging to the contractor.
10	Drawings :
10(a)	Drawings for the work can be seen from the Divisional office, Bikaner on any working day during office hours. The tenderer should in his own interest study the drawing carefully. If copies of the drawing are required then the same can be taken on payment of Rs. 200/-per drawing.
10(b)	Demand for copies of drawings by post will be considered only when a sum of Rs. 250/- per drawing is sent in advance. It should be noted by the tenderer that the drawings are meant for general guidance only and the Railway may suitably modify them during the execution of the work according to circumstances. However Railway is not liable for any delay in dropping of tender due to delay in dispatch of drawings by post.
10(c)	Railway Administration reserves the right to change or amend the drawings as and when necessary or at any stage of work. No claim of any kind will be entertained by the Railways in case execution of any item of work is held up for want of approved plans or design or late supply of such materials which are to be arranged by the Railway.
10(d)	The drawings and specifications, concerning the layout work and vital installations are confidential and must be strictly confined to the contractors own use (except so far as confidential disclosure to sub-contractors or suppliers, if necessary) and for the purpose of contract.
10(e)	The drawings and specifications shall be returned to the Engineer In-charge of the work on completion of the works or earlier upon termination of contract.

11	Eligibility Criteria :-
	No Technical and Financial credentials are required for tenders having value up to Rs 50 lakh. Tenderers are required to submit copies of their credential as follows:-The stipulation of minimum eligibility criteria for open Tenders costing above Rs.50 Lacs.
11(i)	Technical Eligibility Criteria :-
11(i)(a)	<p>The tenderer must have successfully completed or substantially completed any of the following during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited:</p> <p>(a) Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of the tender, or</p> <p>(b) Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of the tender, or</p> <p>(c) One similar work each costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of the tender.</p> <p>Note :- For Joint Venture (JV): The tenderer shall submit credentials as mentioned in Clause 17 of GCC April 2022 (Ammended upto date).</p>
11(i)(b)	<p>In case of tenders for composite works (e.g. works involving more than one distinct component, such as Civil Engineering works, S&T works, Electrical works, OHE works etc. and in the case of major bridges – substructure, superstructure etc.), tenderer must have successfully completed or substantially completed any one of the following categories of work(s) during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited:</p> <p>(i) Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of each component of tender, or</p> <p>(ii) Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of each component of tender, or</p> <p>(iii) One similar work each costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of each component of tender.</p> <p>Note : Separate completed works of minimum required values shall also be considered for fulfillment of technical eligibility criteria for different components.</p> <p>Note :- For Joint Venture (JV): The tenderer shall submit credentials as mentioned in Clause 17 of GCC April 2022 (Ammended upto date).</p>
11(i)(b)(ii)	In such cases, what constitutes a component in a composite work shall be clearly pre- defined with estimated tender cost of it, as part of the tender documents without any ambiguity.
11(i)(b)(iii)	<p>To evaluate the technical eligibility of tenderer, only components of work as stipulated in tender documents for evaluation of technical eligibility, shall be considered. The scope of work covered in other remaining components shall be either executed by tenderer himself if he has work experience as mentioned in clause 7 of the Standard General Conditions of Contractor through subcontractor fulfilling the requirements as per clause 7 of the Standard General Conditions of Contract or jointly i.e., partly himself and remaining through subcontractor, with prior approval of Chief Engineer in writing.</p> <p>However, if required in tender documents by way of Special Conditions, a formal agreement duly notarised, legally enforceable in the court of law, shall be executed by the main contractor with the subcontractor for the component(s) of work proposed to be executed by the subcontractor(s), and shall be submitted along with the offer for considering subletting of that scope of work towards fulfilment of technical eligibility. Such subcontractor must fulfill technical eligibility criteria as follows:</p> <p>The subcontractor shall have successfully completed at least one work similar to work proposed for subcontract, costing not less than 35% value of work to be subletted, in last 5 years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited through a works contract.</p> <p>Note: for subletting of work costing up to Rs 50 lakh, no previous work experience of subcontractor shall be asked for by the Railway.</p> <p>In case after award of contract or during execution of work it becomes necessary for contractor to change subcontractor, the same shall be done with subcontractor(s) fulfilling the requirements as per clause 7 of the Standard General Conditions of Contract, with prior approval of Chief Engineer in writing.</p>
	<p>Note for Item 11.1:</p> <p>Work experience certificate from private individual shall not be considered. However, in addition to work experience certificates issued by any Govt. Organisation, work experience certificate issued by Public listed company having average annual turnover of Rs 500 crore and above in last 3 financial years excluding the current financial year, listed on National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange, incorporated/registered atleast 5 years prior to the date of opening of tender, shall also be considered provided the work experience certificate has been issued by a person authorized by the Public listed company to issue such certificates.</p>

	In case tenderer submits work experience certificate issued by public listed company, the tenderer shall also submit along with work experience certificate, the relevant copy of work order, bill of quantities, bill wise details of payment received duly certified by Chartered Accountant, TDS certificates for all payments received and copy of final/last bill paid by company in support of above work experience certificate.
11 (ii)	<p>Financial Eligibility Criteria: The tenderer must have minimum average annual contractual turnover of V/N or V whichever is less; where V= Advertised value of the tender in crores of Rupees N= Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited. The average annual contractual turnover shall be calculated as an average of "total contractual payments" in the previous three financial years, as per the audited balance sheet. However, in case balance sheet of the previous year is yet to be prepared/ audited, the audited balance sheet of the fourth previous year shall be considered for calculating average annual contractual turnover. The tenderers shall submit requisite information as per AnnexureA3, along with copies of Audited Balance Sheets duly certified by the Chartered Accountant/ Certificate from Chartered Accountant duly supported by Audited Balance Sheet.</p> <p>Note :- (i) For Joint Venture (JV): The tenderer shall submit credentials as mentioned in Clause 17 of GCC April 2022 (Amended upto date).</p> <p>(ii) In case, date of tender inviting is on or after date of statutory deadline for audit of balance sheet of previous Financial Year (i.e. 30th Sept. or as further extended for this FY), audited balance sheet of 4th previous year shall not be considered unless concerned CA certifies that balance sheet is not audited yet as on date of invitation of this tender.</p>
11 (iii)	<p>Certificates and testimonials regarding contracting experience for the type of job for which tender is invited with list of works carried out in the past.</p> <p>Audited Balance Sheet duly certified by the Chartered Accountant regarding contractual payments received in the past.</p>
11 (iv)	The list of personnel / organization on hand and proposed to be engaged for the tendered work. Similarly list of Plant & Machinery available on hand and proposed to be inducted and hired for the tendered work.
11 (v)	List of works completed in last Seven financial years giving description of work, organization for whom executed, approximate value of contract at the time of award, date of award and date of Scheduled completion of work. Date of actual completion and final value of contract should also be given.
11 (vi)	List of works on hand indicating description of work, contract value, and approximate value of balance work yet to be done and date of award.
11 (vii)	In case of other than Company/ Proprietary firm, Annexure-A-1A shall also be submitted by the each member of a Partnership firm/ Joint Venture (JV) / Hindu Undivided Family (HUF)/ Limited Liability Partnership (LLP) etc. as the case may be. Non submission of a copy of certificate by the bidder shall result in summary rejection of his/their bid. It shall be mandatorily incumbent upon the tenderer to identify, state and submit the supporting documents duly self attested/ digitally signed by which they/he are/is qualifying the Qualifying Criteria mentioned in the Tender Document.
11(viii)	The Railway reserves the right to verify all statements, information and documents submitted by the bidder in his tender offer, and the bidder shall, when so required by the Railway, make available all such information, evidence and documents as may be necessary for such verification. Any such verification or lack of such verification, by the railway shall not relieve the bidder of its obligation or liabilities hereunder nor will it affect any rights of the railway there under.
11(ix)	<p>(a) In case of any information submitted by tenderer is found to be false forged or incorrect at any time during process for evaluation of tenders, it shall lead to forfeiture of the tender Bid Security besides banning of business for a period of upto two years.</p> <p>(b) In case of any information submitted by tenderer is found to be false forged or incorrect after the award of contract, the contract shall be terminated. Bid Security, Performance Guarantee and Security Deposit available with the railway shall be forfeited. In addition, other dues of the contractor, if any, under this contract shall be forfeited and agency shall be banned for doing business for a period of upto two years.</p>
11(x)	<p>Bid Capacity: The tender/technical bid will be evaluated based on bid capacity formula detailed as Annexure-VI of GCC April 2022 (Amended upto date).</p> <p>Bid capacity shall be calculated for works costing more than ₹ 20 cr. or as prescribed by Railways through instruction/NIT issued for the work</p>

11(xi)	Pre Bid Conference: Intenders having advertised value more than Rs 50 Crore or as mentioned in the tender document, Railway shall conduct Pre Bid Conference(s) with the prospective bidders.
11(xii)	Make in India Policy: Provisions of Make in India Policy 2017 issued by Govt. of India, as amended from time to time, shall be followed for consideration of tenders.
11(xiii)	Permission to Bid for a bidder from a country which shares Land boundary with India: Any bidder from the countries sharing a land border with India will be eligible to bid in any procurement of works (including turnkey projects) only if the bidder is registered with the Competent Authority. The Competent Authority for registration will be the Registration Committee constituted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Government of India. For interpretation of this para, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India letter F.No.6/18/2019-PPD dated 23/07/2020 shall be referred.
11(iv)	Clarification of Bids: To assist in the examination, evaluation & comparison and prequalification of the Tender, the Railway may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its Bid. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Railway shall not be entertained or considered. The Railway request for clarification and the response of the bidder in this regard shall be in writing. However, if a Bidder does not provide clarification of its bid by the date and time communicated in the Railway request for clarification, the bid shall be evaluated as per the documents submitted along with the bid.
12	Non-compliance with any of the conditions set forth therein above is liable to result in the tender being rejected.
13	Documents to be submitted along with tender
13(i)	The tenderer shall clearly specify whether the tender is submitted on his own (Proprietary Firm) or on behalf of a Partnership Firm / Company / Joint Venture (JV) / Registered Society / Registered Trust / Hindu Undivided Family (HUF) / Limited Liability Partnership (LLP) etc. The tenderer(s) shall enclose the attested copies of the constitution of their concern, and copy of PAN Card along with their tender. Tender Documents in such cases are to be signed by such persons as may be legally competent to sign them on behalf of the firm, company, association, trust or society, as the case may be.
13(ii)	Following documents shall be submitted by the tenderer:
(a)	Sole Proprietorship Firm: - All other documents in terms of Para 11 above {Para 10 of GCC April 2022 (Amended upto date)}.
(b)	HUF: (i) A copy of notarized affidavit on Stamp Paper declaring that he who is submitting the tender on behalf of HUF is in the position of 'Karta' of Hindu Undivided Family (HUF) and he has the authority, power and consent given by other members to act on behalf of HUF. (ii) All other documents in terms of Para 11 above { Para 10 of GCC April 2022 (Amended upto date)}.
(c)	Partnership Firm: The tenderer shall submit All other documents in terms of Para 18 of GCC April 2022 (Amended upto date).
(d)	Joint Venture (JV): The tenderer shall submit documents as mentioned in Clause 17 of GCC April 2022 (Amended upto date).
(e)	Company registered under Companies Act 2013: (i) The copies of MOA (Memorandum of Association) / AOA (Articles of Association) of the company (ii) A copy of Certificate of Incorporation (iii) A copy of Authorization/Power of Attorney issued by the Company (backed by the resolution of Board of Directors) in favour of the individual to sign the tender on behalf of the company and create liability against the company. (iv) All other documents in terms Para 11 above { Para 10 of GCC April 2022 (Amended upto date)}.
(f)	LLP (Limited Liability Partnership) Firm: If the tender is submitted (i) A copy of LLP Agreement (ii) A copy of Certificate of Incorporation (iii) A copy of Power of Attorney/Authorization issued by the LLP in favour of the individual to sign the tender on behalf of the LLP and create liability against the LLP. (iv) An undertaking by all partners of the LLP that they are not blacklisted or debarred by Railways or any other Ministry / Department of the Govt. of India from participation in tenders / contracts as on the date of submission of bids, either in their individual capacity or in any firm/LLP or JV in which they were / are partners/members. Concealment / wrong information in regard to above shall make the contract liable for determination under Clause 62 of the Standard General Conditions of Contract. (v) All other documents in terms of Para 11 above { Para 10 of GCC April 2022 (Amended upto date)}.
(g)	Registered Society & Registered Trust: The tenderer shall submit (i) A copy of Certificate of Registration (ii) A copy of Memorandum of Association of Society/Trust Deed

	(iii) A copy of Power of Attorney in favour of the individual to sign the tender documents and create liability against the Society/Trust. (iv) A copy of Rules & Regulations of the Society (v) All other documents in terms of Para 11 above { Para 10 of GCC April 2022 (Ammended upto date)}.		
13(iii)	If it is NOT mentioned in the submitted tender that tender is being submitted on behalf of a Sole Proprietorship firm / Partnership firm / Joint Venture / Registered Company etc., then the tender shall be treated as having been submitted by the individual who has signed the tender.		
13(iv)	After opening of the tender, any document pertaining to the constitution of Sole Proprietorship Firm / Partnership Firm / Registered Company/ Registered Trust / Registered Society / HUF/LLP etc. shall be neither asked nor considered, if submitted. Further, no suo moto cognizance of any document available in public domain (i.e., on internet etc.) or in Railway's record/office files etc. will be taken for consideration of the tender, if no such mention is available in tender offer submitted.		
13(v)	A tender from JV / Partnership firm etc. shall be considered only where permissible as per the tender conditions.		
13(vi)	The Railway will not be bound by any change in the composition of the firm made subsequent to the submission of tender. Railway may, however, recognize such power of attorney and changes after obtaining proper legal advice, the cost of which will be chargeable to the Contractor.		
13(vii)	<p>The tenderer whether sole proprietor / a company or a partnership firm / registered society / registered trust / HUF / LLP etc if they want to act through agent or individual partner(s), should submit along with the tender, a copy of power of attorney duly stamped and authenticated by a Notary Public or by Magistrate in favour of the specific person whether he/they be partner(s) of the firm or any other person, specifically authorizing him/them to sign the tender, submit the tender and further to deal with the Tender/ Contract up to the stage of signing the agreement except in case where such specific person is authorized for above purposes through a provision made in the partnership deed / Memorandum of Understanding / Article of Association /Board resolution, failing which tender shall be summarily rejected.</p> <p>A separate power of attorney duly stamped and authenticated by a Notary Public or by Magistrate in favour of the specific person whether he/they be partner(s) of the firm or any other person, shall be submitted after award of work, specifically authorizing him/them to deal with all other contractual activities subsequent to signing of agreement, if required.</p> <p>Note: A Power of Attorney executed and issued overseas, the document will also have to be legalized by the Indian Embassy and notarized in the jurisdiction where the Power of Attorney is being issued. However, the Power of Attorney provided by Bidders from countries that have signed the Hague Legislation Convention 1961 are not required to be legalized by the Indian Embassy if it carries a conforming Apostille certificate.</p>		
14	Accident/Natural calamities.		
	All vehicles and equipment of contractors can be drafted by Rly. Administration in case of accident/natural calamities involving human lives.		
15	Bid Security :- the tenders must be accompanied by Bid Security as indicated in the table below:-		
	Value of the work (Tender Value)	Bid Security	
	For works estimated to cost upto Rs.1 Crore.	2% of the estimated cost of the work.	
	For works estimated to cost more than Rs.1 Crore.	Rs.2 Lakhs plus ½% (half percent) of the excess of estimated cost of work beyond Rs.1 Crore subject to a maximum of Rs.1 Crore.	
	Subject to exemptions provided under para 5(1) (a) of Part-1 (ITT) of GCC April 2022 (Ammended upto date), the tender must be accompanied by a Bid Security as mentioned in tender documents, failing which the tender shall be summarily rejected.		
15(i)	The Bid Security shall be deposited either in cash through e-payment gateway or submitted as Bank Guarantee bond from a scheduled commercial bank of India or as mentioned in tender documents. The Bank Guarantee bond shall be as per AnnexureA2 and shall be valid for a period of 90days beyond the bid validity period.		

	<p>In case, submission of Bid Security in the form of Bank Guarantee, following shall be ensured:</p> <ol style="list-style-type: none"> A scanned copy of the Bank Guarantee shall be uploaded on e-Procurement Portal (IREPS) while applying to the tender. The original Bank Guarantee should be delivered in person to the official nominated as indicated in the tender document before closing date for submission of bids (i.e. excluding the last date of submission of bids) or in the office of Sr.DEN/Co., Engineering branch, DRM office, Bikaner-334001. Non submission of scanned copy of Bank Guarantee with the bid on e-tendering portal (IREPS) and/or non submission of original Bank Guarantee within the specified period shall lead to summary rejection of bid. The Tender Security shall remain valid for a period of 90 days beyond the validity period for the Tender. The details of the BG, physically submitted should match with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time, failing which the bid will be rejected. The Bank Guarantee shall be placed in an envelope, which shall be sealed. The envelope shall clearly bear the identification "Bid for the ***** Project" and shall clearly indicate the name and address of the Bidder. In addition, the Bid Due Date should be indicated on the right hand top corner of the envelope. vii. The envelope shall be addressed to the officer and address as mentioned in the tender document. viii. If the envelope is not sealed and marked as instructed above, the Railway assumes no responsibility for the misplacement or premature opening of the contents of the Bid submitted and consequent losses, if any, suffered by the Bidder.
15(ii)	<p>Any firm recognized by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) as 'Startups' shall be exempted from payment of Bid Security detailed above on submission of Registration Certificate issued by appropriate authority</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% Govt. owned PSUs shall be exempt from payment of Bid Security deposit detailed above. Labour Cooperative Societies shall deposit only 50% of above Bid Security deposit detailed above.
15(iii)	<p>If his tender is accepted,</p> <ol style="list-style-type: none"> the Bid Security mentioned in sub para(a) above deposited in cash through e-payment gateway will be retained as part security for the due and faithful fulfillment of the contract in terms of Clause 16 of the Standard General Conditions of Contract; <p>the Bid Security mentioned submitted as Bank guarantee bond, will be encashed as part security for the due and faithful fulfillment of the contract in terms of Clause 16 of the Standard General Conditions of Contract.</p>
15(iv)	<p>The Bid Security of other Tenderers shall, save as herein before provided, be returned to them, but the Railway shall not be responsible for any loss or depreciation to the Bid Security that may happen thereto while in their possession, nor be liable to pay interest thereon.</p>
15(v)	<p>In case Contractor submits the Term Deposit Receipt/Bank Guarantee Bond towards either the Full Security Depositor the Part Security Deposit equal to or more than Bid Security, the Railway shall return the Bid Security so retained as per sub para(c) above, to the Contractor.</p>
15(vi)	<p>Bid Security in the form of Bank Guarantee Bond shall be issued in favour of Sr.DFM/NWR/BKN.</p>
16	<p>Validity of Offer :-</p> <p>The Tenderer(s) shall keep the offer open for a minimum period of 60 days (in case of two packet system of tendering 90days) from the date of closing of the Tender. It is understood that the tender documents have been issued to the Tenderer(s) and the Tenderer(s), is / are permitted to tender in consideration of the stipulation on his / their part that after submitting his / their tender subject to the period being extended further, if required by mutual agreement from time to time, he will not resile from his offer or modify the terms and conditions thereof in a manner not acceptable to North Western Railway. Should the tenderer fail to observe or comply with the foregoing stipulation, the amount deposited or Bank guarantee bond submitted as Bid Security for the due performance of the above stipulation, shall be forfeited to the Railway.</p>

17	Performance Guarantee
17(a)	<p>The successful bidder shall have to submit a Performance Guarantee (PG) within 21 (Twenty one) days from the date of issue of Letter of Acceptance (LOA). Extension of time for submission of PG beyond 21 (Twenty one) days and upto 60 days from the date of issue of LOA may be given by the Authority who is competent to sign the contract agreement. However, a penal interest of 12% per annum shall be charged for the delay beyond 21(Twenty one) days, i.e. from 22nd day after the date of issue of LOA. Further, if the 60th day happens to be a declared holiday in the concerned office of the Railway, submission of PG can be accepted on the next working day.</p> <p>In all other cases, if the Contractor fails to submit the requisite PG even after 60 days from the date of issue of LOA, the contract is liable to be terminated.</p> <p>In case contract is terminated railway shall be entitled to forfeit Bid Security and other dues payable to the contractor against that particular contract, subject to maximum of PG amount.</p> <p>In case a tenderer has not submitted Bid Security on the strength of their registration as a Startup recognized by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) under Ministry of Commerce and Industry, DIPP shall be informed to this effect.</p> <p>The failed Contractor shall be debarred from participating in re-tender for that work.</p>
17(b)	The successful bidder shall submit the Performance Guarantee (PG) in any of the following forms, amounting to 5% of the Original Contract value:-
(i)	A Deposit in cash.
(ii)	Irrevocable Bank Guarantee.
(iii)	<p>Insurance Surety Bond as per Annexure A4 (Annexure-XVII of GCC 2022 amended upto date)</p> <p>Note:</p> <p>1. The provision of Insurance Surety Bond shall be for all contracts having DOC within 36 months only.</p> <p>2. In case DOC extends beyond 36 months, fresh Insurance Surety Bond or any other form of Performance Guarantee prescribed in GCC for the balance amount shall be submitted by agency, otherwise necessary action will be taken as per terms of Agreement.</p>
(iv)	Government Securities including State Loan Bonds at 5 Percent below the market value.
(v)	Pay Orders and Demand Drafts tendered by any Scheduled Commercial Bank of India
(vi)	Guarantee Bonds executed or Deposits Receipts tendered by any Scheduled Commercial Bank of India
(vii)	A Deposit in the Post Office Saving Bank.
(viii)	A Deposit in the National Saving Certificates.
(ix)	Twelve years National Defence Certificates.
(x)	Ten years Defence Deposits.
(xi)	National Defence Bonds and
(xii)	Unit Trust Certificate at 5 Percent below market value or at the face value whichever is less.
(xiii)	Also FDR in favour of Sr.Divl.Finance Manager, N.W.Rly.,Bikaner, (Free from any encumbrance) may be accepted.
17(c)	The Performance Guarantee shall be submitted by the successful bidder after the Letter Of Acceptance (LOA) has been issued, but before signing of the contract agreement. The PG shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus 60 days beyond that. In case, the time for completion of work gets extended, the contractor shall get the validity of P.G. extended to cover such extended time for completion of work plus 60 days
17(d)	The value of PG to be submitted by the Contractor is based on original contract value and shall not change due to subsequent variation(s) in the original contract value.
17(e)	The Performance Guarantee (PG) Shall be released after physical completion of the work based on "Completion Certificate" issued by the competent authority stating that the contractor has completed the work in all respects satisfactorily.
17(f)	Whenever the contract is rescinded, the Performance Guarantee already submitted for the contract shall be encashed
17(g)	<p>The engineer shall not make a claim under the Performance Guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and /or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of :</p> <p>(i) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer may claim the full amount of the Performance Guarantee.</p> <p>(ii) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the Agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer.</p> <p>(iii) The Contract being determined or rescinded under clause 62 of these conditions.</p>
17(h)	Performance Guarantee Bond shall be as per Annexure-I.

18	Security deposit:
18(a)	Security Deposit for the work will be 5% of the contract value.
18(b)	The rate of recovery shall be at the rate of 6% of the bill amount till the full security deposit is recovered.
18©	<p>The Bid Security submitted by the Contractor with his tender will be retained/encashed by the Railways as part of security for the due and faithful fulfillment of the contract by the Contractor.</p> <p>Provided further that, if Contractor submits the Cash or Term Deposit Receipt issued from a Scheduled commercial bank of India or irrevocable Bank Guarantee Bond from a Scheduled commercial bank of India, either towards the Full Security Depositor the Part Security Deposit equal to or more than Bid Security, the Railway shall return the Bid Security, to the Contractor.</p> <p>Balance of Security Deposit may be deposited by the Contractor in cash or Term Deposit Receipt issued from Scheduled commercial bank of India or irrevocable Bank Guarantee bond issued from Scheduled commercial bank of India, or may be recovered at the rate of 6% of the bill amount till the full Security Deposit is recovered.</p> <p>Provided also that in case of defaulting Contractor, the Railway may retain any amount due for payment to the Contractor on the pending "on account bills" so that the amounts so retained (including amount guaranteed through Performance Guarantee) may not exceed 10% of the total value of the contract.</p>
	<p>The Irrevocable Bank Guarantee submitted towards Security deposit shall be initially valid up to the stipulated date of Maintenance period plus 60 days and shall be extended from time to time, depending upon extension of contract granted in terms of Clause 17A and 17B of the Standard General Conditions of Contract.</p> <p>Note: Security Deposit deposited in cash by the Contractor or recovered from the running bills of a Contractor or submitted by contractor as Term Deposit Receipt(s) can be refunded/returned to the contractor, in lieu of irrevocable Bank Guarantee bond issued from scheduled commercial bank of India, to be submitted by him, for an amount equal to or more than the already available Security Deposit, provided however that, in a contract of value less than Rs. 50 Crore, such refund/ return of the already available Security Deposit is permitted up to two times and in a contract of value equal to or more than Rs. 50 Crore, such refund / return of the already available Security Deposit is permitted up to three times.</p>
18(d)	<p>Refund of Security Deposit: Security Deposit mentioned in sub clause (1) above shall be returned to the Contractor along with or after, the following:</p> <p>(a) Final Payment of the Contract as per clause 51.(1) of GCC April 2022 (Ammended upto date) and</p> <p>(b) Execution of Final Supplementary Agreement or Certification by Engineer that Railway has No Claim on Contractor and</p> <p>© Maintenance Certificate issued, on expiry of the maintenance period as per clause 50.(1) of GCC April 2022 (Ammended upto date), in case applicable.</p>
18(e)	No interest shall be payable upon the Bid Security and Security Deposit or amounts payable to the Contractor under the Contract, but Government Securities deposited in terms of Para of 17(b) above {Sub-Clause 16.(4)(b) of GCC April 2022 (Ammended upto date)} will be payable with interest accrued thereon.
18(f)	Advances to Contractor – If specifically provided in Tender Documents of tender having advertised value more than Rs 50 Crores, Railway shall make payment, as an Interest bearing advances, as per Contractor's request. These advances shall carry a simple interest _____ as indicated in the Tender documents. The payment and recovery of such advances shall be made as per manners prescribed in Clause 46.4 of the Standard General Conditions of Contract {GCC April 2022 (Ammended upto date)}.
19	Determination of contract owing to default of contractor:-
	In case the contract is rescinded owing to default of contractor-
19(a)	Forfeiture of Security Deposit: Whenever the contract is rescinded as a whole under clause 62 (1) of these conditions, the Security Deposit already with railways under the contract shall be forfeited. However, in case the contract is rescinded in part or parts under clause 62 (1) of these conditions, the Security Deposit shall not be forfeited.
19(b)	The Engineer shall not make a claim under the Performance Guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:

(i)	Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer may claim the full amount of the Performance Guarantee.
(ii)	Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer.
(iii)	The contract being determined or rescinded under provision of the GCC, the Performance Guarantee shall be forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.
19(c)	However, recovery of claims of Railway in regard to terminated contracts may be made from the Final Bills, Security Deposits and Performance Guarantees of other contract or contracts executed by the contractor. The Performance Guarantee submitted by the Contractor against other contracts, if required may be withheld and encashed. In addition, 10% of each subsequent on-account bill may be withheld, if required, for recovery of Railway's dues against the terminated contract.
19(d)	<p>Offloading of Part(s) of Work: At the final stage of completion/ commissioning of work, in case the contractor fails to complete the final part(s) of the work and the value of such part(s) of the work is limited to 5% of the original contract value, the Engineer may allow/decide for offloading of such part(s) of works, either after the Contractor's request in writing to do so or after serving a 14 (Fourteen) days suo-moto notice {as per annexure- VIIA of GCC April 2022 (Ammended upto date)}, if the Engineer is of the opinion that :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Such Offloading of works (up to 5% of original contract value) would enable successful completion of contract/work, (ii) Termination/ Part termination of the contract at this stage is not be in the interest of the Railway/work;, and (iii) The anticipated additional cost for execution of such works through other mode would not be substantial and can be recovered from the pending dues of the contractor; <p>The Contractor shall be informed, in due course, by the Engineer of the mode and cost of execution of such offloaded work through other agency(ies) (as per annexure- VIIB of GCC April 2022 (Ammended upto date)). The extra expenditure so incurred in execution of the offloaded work, shall be recovered from subsequent Bill(s) or any other dues of the Contractor, but not exceeding the value of Performance Guarantee available in the contract. There shall be no other repercussion of such offloading on execution of the balance contract. The Contractor shall have no claim on account of above mentioned offloading of works.</p>
20	Constitution of Firm/society etc.
20(a)	If any partner(s) of a partnership firm expires after the submission of its tender or after the acceptance of its tender, the Railway shall deem such tender as cancelled/contract as terminated under clause 61 of the Standard General Conditions of Contract, unless the firm retains its character as per partnership agreement. If a sole proprietor expires after the submission of tender or after the acceptance of tender, the Railway shall deem such tender as cancelled / contract as terminated under clause 61 of the Standard General Conditions of Contract.
20(b)	The cancellation of any documents such as power of attorney partner ship deed etc., shall forthwith be communicated to the Railway in writing failing which the Railway shall have no responsibility of liability for any action taken on the strength of the said documents.
21	Rates of Tender:-
21(a)	Every possible fluctuation in the rates of labour and material and general commodities of each and every kind should be considered before quoting the rates and the claim on this account shall not be entertained by the railway. [No price escalation clause is admissible unless specifically mentioned in the document]
21(b)	The tenderer shall not increase his rates in case Railway Administration negotiates for reduction of rates/special conditions. Such negotiations shall not amount to cancellation or withdrawal of the original offer and original offer will be binding on the tenderer if it happens to be lower than the negotiated offer.
21(c)	The tenderer shall submit analysis of rates if called for.
21(d)	Octroi, royalty, toll tax, other livable taxes by the Central or State Government/Local bodies shall be borne by the tenderer. No such taxes on contractor's labour or material shall be paid by the Railway. For ballast supply work, final bill will be passed after submission of No Dues certificate from Mines Department.
Note (i)	Works contracts shall be treated as supply of services as per schedule –II of Model GST Law.
(ii)	GST Act and Rules issued from time to time by the Government/ concered authorities shall be applicable.

(iii)	Contractor/ suppliers/ service providers/ parties shall registered their firms under GSTIN (GST Identification Number).
22	Care in Submission of Tenders:
22(a)(i)	Before submitting a tender, the tenderer will be deemed to have satisfied himself by actual inspection of the site and locality of the works, that all conditions liable to be encountered during the execution of the works are taken into account and that the rates he enters in the tender forms are adequate and all inclusive to accord with the provisions in Clause-37 of the Standard General Conditions of Contract (as mentioned in below para no.23) for the completion of works to the entire satisfaction of the Engineer .
22(a)(ii)	Tenderers will examine the various provisions of The Central Goods and Services Tax Act, 2017(CGST)/ Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(IGST)/ Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(UTGST)/ respective state's State Goods and Services Tax Act (SGST) also, as notified by Central/State Govt. & as amended from time to time and applicable taxes before bidding. Tenderers will ensure that full benefit of Input Tax Credit (ITC) likely to be availed by them is duly considered while quoting rates.
22(a)(iii)	The successful tenderer who is liable to be registered under CGST/IGST/UTGST/SGST Act shall submit GSTIN along with other details required under CGST/IGST/UTGST/SGST Act to railway immediately after the award of contract, without which no payment shall be released to the Contractor. The Contractor shall be responsible for deposition of applicable GST to the concerned authority.
22(a)(iv)	In case the successful tenderer is be not liable to registered under CGST/IGST/UTGST/ SGST Act, the railway shall deduct the applicable GST from his/their bills under reverse charge mechanism (RCM) and deposit the same to the concerned authority.
22(a)(v)	Contractor shall be liable to pay/refund the amount collected as GST to the Indian Railways along with interest and penalties, if any imposed by the authorities, in case GST input tax credit of Indian Railways is denied/rejected by the tax authorities due to reasons mentioned below but not limited to: Wrong/incorrect invoice s is sued by Contractor ; No-filing of GST returns; Non-payment of GST collected from Indian Railways to the authorities; Any other non-compliance done by Contractor; General Indemnity: Contractor hereby agrees to indemnify and hold harmless the Indian Railways from and against any and all losses, including loss on account of Input Tax Credit and all losses incurred by the Indian Railways relating to or arising out of or in connection with any actual or threatened claim, legal action, proceedings, prosecution or inquiry by or against the Indian Railways arising out, directly or indirectly, of failure by the contractor to comply with the provisions of GST and related laws, or based upon or arising from any failure by the Contractor. Retention Money: Any payment liable to be paid by Indian Railways to contractor against the goods or services or both supplied by such contractor to Indian Railways shall be kept on hold in case supplier makes any non-compliance of any of the GST law provisions including non-reporting of invoices in GST returns. Such payment shall be released after proper verification of records and availability of ITC to Indian Railways as per provisions of GST Law.
22(b)	When work is tendered for by a firm or company, the tender shall be signed by the individual legally authorized to enter into commitments on their behalf.
22(c)	The Railway will not be bound by any power of attorney granted by the tenderer or by changes in the composition of the firm made subsequent to the execution of the contract. It may, however, recognize such power of attorney and changes after obtaining proper legal advice, the cost of which will be chargeable to the Contractor.
23	Rates for Items of Works:
23(a)	The rates, entered in the accepted Bills of Quantities of the Contract are intended to provide for works duly and properly completed in accordance with the General and Special (if any) Conditions of the Contract and the Specifications and drawings together with such enlargements, extensions, diminutions, reductions, alterations or additions as may be ordered in terms of Clause 42 of these conditions (as mentioned in below para no.33) and without prejudice to the generality thereof and shall be deemed to include and cover superintendence and labour, supply, including full freight of materials, stores, patterns, profiles, moulds, fittings, centerings, scaffolding, shoring props, timber, machinery, barracks, tackle, roads, pegs, posts, tools and all apparatus and plant required on the works, except such tools, plant or materials as may be specified in the contract to be supplied to the Contractor by the Railway, the erection, maintenance and removal of all temporary works and buildings, all watching, lighting, bailing, pumping and draining, all prevention of or compensation for trespass, all barriers and arrangements for the safety of the public or of employees during the

	execution of works, all sanitary and medical arrangements for labour camps as may be prescribed by the Railway, the setting of all work and of the construction, repair and upkeep of all centre lines, bench marks and level pegs thereon, site clearance, all fees duties, royalties, rent and compensation to owners for surface damage or taxes and impositions payable to local authorities in respect of land, structures and all material supplied for the work or other duties or expenses for which the Contractor may become liable or may be put to under any provision of law for the purpose of or in connection with the execution of the contract and all such other incidental charges or contingencies as may have been specially provided for in the Specifications.
23(b)	However, if rates of existing GST or cess on GST for Works Contract is increased or any new tax /cess on Works Contract is imposed by Statute after the date of opening of tender but within the original date of completion/date of completion extended under clause 17 & 17A and the Contractor thereupon properly pays such taxes/cess, the Contractor shall be reimbursed the amount so paid.
23(c)	Further, if rates of existing GST or cess on GST for Works Contract is decreased or any tax/cess on Works Contract is decreased / removed by Statute after the date of opening of tender, the reduction in tax amount shall be recovered from Contractor's bills/Security Deposit or any other dues of Contractor with the Government of India.
24	Period of completion:-
	Force Majeure Clause: If at any time, during the continuance of this contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by reason of any war, hostility, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, serious loss or damage by fire, explosions, epidemics/pandemics, strikes, lockouts or acts of God (hereinafter, referred to events) provided, notice of the happening of any such event is given by either party to the other within 30 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance, and works under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Engineer as to whether the works have been so resumed or not shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or in part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 120 days, either party may at its option terminate the contract by giving notice to the otherparty.
24(a)	The work, in reference is required to be completed in all respect within the period specified in tender notice as time is the essence of contract. The contractor will be required to maintain steady and regular progress to the satisfaction of the Engineer to ensure that the work is completed in all respects within the time stipulated above. Failing which action may be taken by the Railway as per General Conditions of the contract- April 2022 (Ammended upto date) amended from time to time. The contractor should plan the execution of works in close co- ordination with the engineer or his authorized representative.
24(b)	Site Inspection Register at the site of the work be maintained by the Engineer or his representative in which the contractor shall be bound to sign day to day entries made by the Engineer or his representative. The contractor is required to take note of the instructions given to him in site inspection register and should comply within reasonable time. The contractor will receive all the letters etc., issued to him at the site of work or at his registered address with the Railways.
24(c)	Extension of Time in Contracts under clause 17(A) of GCC: Subject to any requirement in the contract as to completion of any portion or portions of the works before completion of the whole, the Contractor shall fully and finally complete the whole of the works comprised in the contract (with such modifications as may be directed under conditions of this contract) by the date entered in the contract or extended date in terms of the following clauses:
24(c)(i)	Extension due to Modification: If any modifications have been ordered which in the opinion of the Engineer have materially increased the magnitude of the work, then such extension of the contracted date of completion may be granted as shall appear to the Engineer to be reasonable in the circumstances, provided moreover that the Contractor shall be responsible for requesting such extension of the date as may be considered necessary as soon as the cause thereof shall arise.

24(c)(ii)	<p>Extension for Delay not due to Railway or Contractor: If in the opinion of the Engineer, the progress of work has any time been delayed by any act or neglect of Railway's employees or by other Contractor employed by the Railway under Sub-Clause (4) of Clause 20 of GCC April 2022 (Amended upto date) or in executing the work not forming part of the contract but on which Contractor's performance necessarily depends or by reason of proceeding taken or threatened by or dispute with adjoining or to neighbouring owners or public authority arising otherwise through the Contractor's own default etc. or by the delay authorized by the Engineer pending arbitration or in consequences of the Contractor not having received in due time necessary instructions from the Railway for which he shall have specially applied in writing to the Engineer or his authorized representative then upon happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer within 15 days of such happening, but shall nevertheless make constantly his best endeavours to bring down or make good the delay and shall do all that may be reasonably required of him to the satisfaction of the Engineer to proceed with the works. The Contractor may also indicate the period for which the work is likely to be delayed and shall be bound to ask for necessary extension of time.</p>
24(c)(iii)	<p>Extension for Delay due to Railways: In the event of any failure or delay by the Railway to hand over the Contractor possession of the lands necessary for the execution of the works or to give the necessary notice to commence the works or to provide the necessary drawings or instructions or any other delay caused by the Railway due to any other cause whatsoever, then such failure or delay shall in no way affect or vitiate the contract or alter the character thereof or entitle the Contractor to damages or compensation therefor, but in any such case, the Railway may grant such extension or extensions of the completion date as may be considered reasonable.</p> <p>The Contractor shall indicate the period for which the work is likely to be delayed and shall seek extension of time as may be considered necessary under clause 17A(i) or/and 17A(ii) or/ and 17A(iii) above, as soon as the cause thereof shall arise and, in any case, not less than 15 days before the expiry of the date fixed for completion of the works. The Engineer shall consider the same and shall grant and communicate such extension of time as in his opinion is reasonable having regard to the nature and period of delay and the type and quantum of work affected thereby. No other compensation shall be payable for works so carried forward to the extended period of time; the same rates, terms and conditions of contract being applicable, as if such extended period of time was originally provided in the original contract itself.</p> <p>The non-submission of request for extension or submission of request within less than 15 days before the expiry of the date fixed for completion of the works, shall make him ineligible for extension under these sub clauses, subject to final decision of Engineer.</p>
24(d)	<p>As per clause 17(B) of GCC Extension of Time with Liquidated Damages (LD) for delay due to Contractor: The time for the execution of the work or part of the works specified in the contract documents shall be deemed to be the essence of the contract and the works must be completed not later than the date(s) as specified in the contract. If the Contractor fails to complete the works within the time as specified in the contract for the reasons other than the reasons specified in Clause 17 and 17-A, the Railway may, if satisfied that the works can be completed by the Contractor within reasonable short time thereafter, allow the Contractor for further extension of time (Proforma at Annexure-VII of GCC) as the Engineer may decide. On such extension the Railway will be entitled without prejudice to any other right and remedy available on that behalf, to recover from the Contractor as agreed damages and not by way of penalty for each week or part of the week, a sum calculated at the rate of Liquidated Damages as decided by Engineer, between 0.05% to 0.30% of contract value of the works for each week or part of the week.</p> <p>For the purpose of this Clause, the contract value of the works shall be taken as value of work as per contract agreement including any supplementary work order/contract agreement issued. Provided also, that the total amount of liquidated damages under this condition shall not exceed 5% of the contract value or of the total value of the item or groups of items of work for which a separate distinct completion period is specified in the contract.</p>
24(e)	<p>Provided further, that if the Railway is not satisfied that the works can be completed by the Contractor and in the event of failure on the part of the contractor to complete the work within further extension of time allowed as aforesaid, the Railway shall be entitled without prejudice to any other right or remedy available in that behalf, to appropriate the contractor's Security Deposit and rescind the contract under Clause 62 of these Conditions, whether or not actual damage is caused by such default.</p>
	<p>NOTE: In a contract, where extension(s) of time have been allowed once under clause 17B, further request(s) for extension of time under clause 17A can also be considered under exceptional circumstances. Such extension(s) of time under clause 17A shall be without any Liquidated damages, but the Liquidated damages already recovered during extension(s) of time granted previously under clause 17B shall not be waived. However, Price variation during such extension(s) shall be dealt as applicable for extension(s) of time under clause 17B.</p>

24(f)	Bonus for Early Completion of Work: In open tenders having advertised value more than Rs.50 crore and original period of completion 12 months or more , when there is no reduction in original scope of work by more than 10%, and no extension granted on either railway or Contractor's account, Contractor shall be entitled for a bonus of 1% for each 30 days early completion of work. The period of less than 30 days shall be ignored while working out bonus. The maximum bonus shall be limited to 5% of original contract value. The completion date shall be reckoned as the date of issuance of completion certificate by Engineer.
25	Rates of payment:-
25(a)	<p>The rates tendered by the contractor and accepted by the Railway will form the basis of payment for such items of work done under this contract.</p> <p>However, if rates of existing GST or cess on GST for Works Contract is increased or any new tax /cess on Works Contract is imposed by Statute after the date of opening of tender but within the original date of completion/date of completion extended under clause 17 & 17A and the Contractor thereupon properly pays such taxes/cess, the Contractor shall be reimbursed the amount so paid.</p> <p>Further, if rates of existing GST or cess on GST for Works Contract is decreased or any tax/cess on Works Contract is decreased / removed by Statute after the date of opening of tender, the reduction in tax amount shall be recovered from Contractor's bills/Security Deposit or any other dues of Contractor with the Government of India.</p>
25 (b)	The rates for any item of work not included in the schedule of rates and quantities and which contractor may be called upon to do shall be fixed by a supplementary written agreement/work order between the contractor and the Railway before the particular item of work is executed. In the event of such agreement /work orders not being entered into/executed, Railway may appoint other party to do these works and the contractor shall have no claim of loss or damage on this account. He should also work in close co-operation with the other contractor/s and departmental staff working in the adjacent section.
25(b)(i)	<p>Rates for Extra Item(s) of Works:</p> <p>(a) Standard Schedule of Rates (SSOR) Items: Any item of work carried out by the Contractor on the instructions of the Engineer which is not included in the accepted Bill(s) of Quantities but figures in the Standard Schedule of Rates (SSOR), shall be executed at the rates set forth in the "Standard Schedule of Rates (SSOR)" modified by the tender percentage as accepted in the contract for that chapter of Standard Schedule of Rates (SSOR).</p> <p>For item(s) not covered in this sub clause, the rate shall be decided as agreed upon between the Engineer and the Contractor before the execution of such items of work as per sub clause (b).</p> <p>(b) Other Items: For any item of work to be carried out by the Contractor but not included in the accepted Bill(s) of Quantities and also not covered under sub clause (a) above, the Contractor shall be bound to notify the Engineer at least seven days before the necessity arises for the execution of such items of works that the accepted Bill(s) of Quantities does not include rate or rates for such extra work involved. The rates payable for such items shall be decided at the meeting to be held between the Engineer and Contractor, in as short a period as possible after the need for the special item has come to the notice. In case the Contractor fails to attend the meeting after being notified to do so or in the event of no settlement being arrived at, the Railway shall be entitled to execute the extra works by other means and the Contractor shall have no claim for loss or damage that may result from such procedure. The assessment of rates for extra item(s) shall be arrived at based on the prevailing market rates of labour, machinery & materials and by taking guidance from the following documents in order of priority:</p> <p>(i) i. Analysis of Rates for "Unified Standard Schedule of Rates of Indian Railways (USSOR)" ii. Analysis of Rates for "Delhi Schedule of Rates issued by CPWD (DSR)" iii. Market Analysis</p>

25(c)	<p>The item numbers, description, units and rates given in the schedule are based on the</p> <p>(i) NWR-USSOR-2021 and Indian Railways Unified Standard Specification (IRUSS-2021) (formation works, bridge works and P.Way works) updated with correction slips issued up to date of inviting tender or as otherwise specified in the tender documents, if applicable in the contract.</p> <p>(ii) CPWD-DSR-2021 and CPWD Specifications 2019 Vol I & II updated with correction slips issued up to date of inviting tender or as otherwise specified in the tender documents, if applicable in the contract.</p>
25(d)	No claim for idle labour, idle machinery etc. on any account will be entertained. Similarly, no claim shall be entertained for business loss or any such loss.
25(e)	The contractor must arrange to be present or to be represented through his authorized agent on the date notified for recording measurement and if he fails to do so the ex-parte measurements will be taken and will be binding on him.
25(f)	For all contracts costing more than Rs.5 Crore, Contractor's e-MB is mandatory. (Ref :- Railway board letter no. 2017/CE-I/CT/9 dated 31.05.2023.
26	Use of Raw materials procured with Govt. Assistance.
26(a)	Whenever any raw materials for the execution of the contract is procured with the assistance of Government either by issue from Govt. Stock or purchase under arrangements made or permit or license issued by Govt., the contractor shall hold the said materials as trustee for Govt. He shall use such materials economically and solely for the purpose of the contract against which these are issued and not dispose them off without the permission of the Govt. and return, if required by the purchaser, all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or its termination for any reason what-so-ever. On this using pay such price, as Govt. may fix with due regard to the condition of the material. The freight charges for the return of the material according to the directions of the purchase shall be borne by the contractor. In the event of the contract being cancelled for any default on his part, the decision of the Govt. shall be final and conclusive.
26(b)	In the event of breach of the aforesaid condition, the contractor shall in addition throwing himself open to action for contravention in terms of the license or the permit and/or for nominal breach of trust be liable to account to Govt. for all monetary advantages or profits resulting or which in the usual course, would have resulted to him by reason of such breach.
27	Various Acts & Rules to be followed by the contractor :-
27(a)	Contractor must note that he and all the persons employed by him on any works in connection with work shops and vital installations are bound by Official Security Act-1926 both during and after execution of such work.
27(b)	Provisions of Payments of Wages Act: The Contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 and the rules made thereunder in respect of all employees employed by him either directly or through petty Contractors or sub-contractors in the works. If in compliance with the terms of the contract, the Contractor directly or through petty Contractors or sub-contractors shall supply any labour to be used wholly or partly under the direct orders and control of the Engineer whether in connection with the works to be executed hereunder or otherwise for the purpose of the Engineer, such labour shall nevertheless be deemed to comprise persons employed by the Contractor and any moneys which may be ordered to be paid by the Engineer shall be deemed to be moneys payable by the Engineer on behalf of the Contractor and the Engineer may on failure of the Contractor to repay such money to the Railways deduct the same from any moneys due to the Contractor in terms of the contract. The Railway shall be entitled to recover the same from Contractor's bills/Security Deposit or any other dues of Contractor with the Government of India all moneys paid or payable by the Railway by way of compensation of aforesaid or for costs of expenses in connection with any claim thereto and the decision of the Engineer upon any question arising out of the effect or force of this Clause shall be final and binding upon the Contractor.

27(c)	<p>Provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970:</p> <p>(1) The Contractor shall comply with the provision of the contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971 as modified from time to time, wherever applicable and shall also indemnify the Railway from and against any claims under the aforesaid Act and the Rules</p>
	<p>(2) The Contractor shall obtain a valid license under the aforesaid Act as modified from time to time before the commencement of the work and continue to have a valid license until the completion of the work. Any failure to fulfill the requirement shall attract the penal provision of the Act.</p>
	<p>(3) The Contractor shall pay to the labour employed by him directly or through sub- contractors the wages as per provision of the aforesaid Act and the Rules wherever applicable. The Contractor shall notwithstanding the provisions of the contract to the contrary, cause to be paid the wages to labour, indirectly engaged on the works including any engaged by sub- contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.</p>
	<p>(4) In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for performance of the Contractor's part of the contract, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the provisions of the aforesaid Act and Rules wherever applicable.</p>
	<p>(5) In every case in which, by virtue of the provisions of the aforesaid Act or the rules, the Railway is obliged to pay any amount of wages to a workman employed by the Contractor or his sub-contractor in execution of the work or to incur any expenditure on account of the contingent, liability of the Railway due to the Contractor's failure to fulfill his statutory obligations under the aforesaid Act or the rules, the Railway will recover from the Contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred and without prejudice to the rights of the Railway under the Section 20, Sub-Section (2) and Section 2, Sub-Section (4) of the aforesaid Act, the Railway shall be at liberty to recover such amount or part thereof from Contractor's bills/Security Deposit or any other dues of Contractor with the Government of India. The Railway shall not be bound to contest any claim made against it under Sub-Section (1) of Section 20 and Sub-Section (4) of Section 21 of the aforesaid Act except on the written request of the Contractor and upon his giving to the Railway full security for all costs for which the Railway might become liable in contesting such claim. The decision of the Chief Engineer regarding the amount actually recoverable from the Contractor as stated above shall be final and binding on the Contractor.</p>
27(d)	<p>Provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952: The Contractor shall comply with the provisions of Para 30 & 36-B of the Employees Provident Fund Scheme, 1952; Para 3 & 4 of Employees' Pension Scheme, 1995; and Para 7 & 8 of Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976; as modified from time to time through enactment of "Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952", wherever applicable and shall also indemnify the Railway from and against any claims under the aforesaid Act and the Rules.</p>
27(e)	<p>Contract Labourer Payment Management Portal (CLPMP)</p> <p>Contractor is to abide by the provisions of Payment of Wages act & Minimum Wages act in terms of clause 54, 55, 55A and 55B of Indian Railways General Condition of Contract. In order to ensure the same, an application has been developed and hosted on website 'www.shramikkalyan.indianrailways.gov.in'. Contractor shall register his firm/company etc. and upload requisite details of labour and their payment in this portal. These details shall be available in public domain. The Registration/ updation of Portal shall be done as under:</p>
(a)	<p>Contractor shall apply for onetime registration of his company/firm etc. in the Shramikkalyan portal with requisite details subsequent to issue of Letter of Acceptance. Engineer shall approve the contractor's registration in the portal within 7 days of receipt of such request.</p>
(b)	<p>Contractor once approved by any Engineer, can create password with login ID (PAN No.) for subsequent use of portal for all LoAs issued in his favour.</p>
(c)	<p>The contractor once registered on the portal, shall provide details of his Letter of Acceptances (LoA) / Contract Agreements on shramikkalyan portal within 15 days of issue of any LoA for approval of concerned engineer. Engineer shall update (if required) and approve the details of LoA filled by contractor within 7 days of receipt of such request.</p>
(d)	<p>After approval of LoA by Engineer, contractor shall fill the salient details of contract labours engaged in the contract and ensure updating of each wage payment to them on shramikkalyan portal on monthly basis.</p>
(e)	<p>It shall be mandatory upon the contractor to ensure correct and prompt uploading of all salient details of engaged contractual labour & payments made thereof after each wage period.</p>

(f)	While processing payment of any 'On Account bill' or 'Final bill' or release of 'Advances' or 'Performance Guarantee / Security deposit', contractor shall submit a certificate to the Engineer or Engineer's representatives that "I have uploaded the correct details of contract labours engaged in connection with this contract and payments made to them during the wage period in Railway's Shramikkalyan portal at 'www.shramikkalyan.indianrailways.gov.in' till _____ Month, _____ Year."
27(f)	The contractor shall not allow any road vehicle belonging to him or his suppliers etc. to ply in Railway Land next to the running line. If for execution of certain work viz. Earth work for parallel Railway Line and supply of ballast for new or existing rail line, gauge conversion etc. road vehicles are necessary to be used in Railway Land next to the Railway Lines, the contractor shall apply to the Engineer-In-charge for permission giving the type and No. of individual vehicles, names and license particulars of the drivers location, duration & timings for such work/movement. The Engineer-In-charge or his authorized representative will personally counsel & examine the road vehicle drivers, contractor's flag men and supervisors and after satisfying himself will give specific written permission giving names of road vehicle drivers, contractor's flagmen and supervisor to be deployed on the work, location, period and timing of the work. This permission will be subject to the following obligatory conditions.
27(f)(i)	The road vehicles will ply only between sunrise and sunset.
27(f)(ii)	Nominated vehicles & drivers will be utilized for work in the presence of at least one flagman and one supervisor certified for such work.
27(f)(iii)	The vehicles shall ply 6m clear of track. Any movement work at less than 6m and up to minimum 3.5 m clear of track centers shall be done only in the presence of Railway employee authorized by the Engineer-In-charge. No part of the road vehicle will be allowed at less than 3.5 m from track centre. Cost of such Railway employee shall be born by the Railway.
27(f)(iv)	The contractor shall remain fully responsible for ensuring safety and in case of any accident, shall bear cost of all damages to this equipment & men and also damages to Railway and its passengers. Engineer-In-charge may impose any other condition necessary for a particular work or site.
27(f)(v)	Insurance of Railway's material Dispatched/moved by Road Transport from one depot to various indeters of Railway- Transit Risk will be contractor's account.
27(f)(vi)	Working during Night: The Contractor shall not carry out any work between sun-set and sun-rise without the previous permission of the Engineer. However, if the Engineer is satisfied that the work is not likely to be completed in time except by resorting to night work, he may order the same without confirming any right on the Contractor for claiming any extra payment for the same.
27(f)(vii)	Safety of Public: The Contractor shall be responsible to take all precautions to ensure the safety of the public whether on public or railway property and shall post such look out men as may, in the opinion of the Engineer, be required to comply with regulations appertaining to the work. Contractor shall ensure placement of barricading / partitions at the place of work to ensure safety of habitants of adjacent area, failing which Engineer may advise stoppage of work as per his discretion.
28	SETTLEMENT OF DISPUTES – INDIAN RAILWAY ARBITRATION AND CONCILIATION RULES
28(a)	(i) This clause is applicable in the tender having advertised value less than or equal to Rs 50 Crore. (ii) All disputes and differences of any kind whatsoever arising out of or in connection with the contract, whether during the progress of the work or after its completion and whether before or after the determination of the contract, shall be referred by the Contractor to the "Chief Engineer" or "Divisional Railway Manager" through "Notice of Dispute" provided that no such notice shall be served later than 30 days after the date of issue of Completion Certificate by the Engineer. Chief Engineer or Divisional Railway Manager shall, within 30 days after receipt of the Contractor's "Notice of Dispute", notify the name of conciliator(s) to the Contractor. (iii)The Conciliator(s) shall assist the parties to reach an amicable settlement in an independent and impartial manner within the terms of contract. (iv)If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, they shall draw up and sign a written settlement agreement duly signed by Engineer In-charge, Contractor and conciliator(s). When the parties sign the settlement agreement, it shall be final and binding on the parties. (v) The parties shall not initiate, during the conciliation proceedings, any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject matter of the conciliation proceedings. (vi)The conciliation proceedings shall be terminated as per Section 76 of 'The Arbitration and Conciliation Act, 1996.

28 (b)	Matters Finally Determined by the Railway: All disputes and differences of any kind whatsoever arising out of or in connection with the contract, whether during the progress of the work or after its completion and whether before or after the determination of the contract, shall be referred by the Contractor to the GM and the GM shall, within 120 days after receipt of the Contractor's representation, make and notify decisions on all matters referred to by the Contractor in writing provided that matters for which provision has been made in Clauses 7(j), 8, 18, 22(5),39.1, 39.2, 40A,43(2), 45(i)(a), 55, 55-A(5), 57, 57A,61(1), 61(2),62(1), 63(iv) and 63.2.11of the Standard General Conditions of Contract or in any Clause (stated as excepted matter) of the Special Conditions of the Contract, shall be deemed as 'excepted matters' (matters not arbitrable) and decisions of the Railway authority, thereon shall be final and binding on the Contractor; provided further that 'excepted matters' shall stand specifically excluded from the purview of the Dispute Adjudication Board (DAB) and Arbitration.	
28(c)	The Arbitral Tribunal shall consist of a panel of three arbitrators. General Manager/Additional General Manager will appoint two arbitrators, one railway nominee and other from among the contractor's nominee. Contractor can recommend his nominee either from approved panel of Railways or from approved panel of Indian Council of Arbitration (ICA) within 30 days from the date of dispatch of approval of wriuen and valid acceptance of demand for arbitration by the General Manager/Additional General Manager.	
29	The contractor(s) shall satisfactorily maintain the work(s) completed by him/them for the following periods commencing from the date of completion certificate-	
	Description of Work	Period of Maintenance
	(a) Earth work and supply of materials	Nil
	(b) Repair and Maintenance works	3 Months.
	(c) New works except earth work.	6 Months.
	(d) P.Way works-	1 Month (30 days) after relaxing the speed to the normal or as required in the tender.
	(e) Construction of new quarters	2 Year (As per Railway Board letter no. 2018/LMB-II/12/1 dt. 16.04.2024)
	(f) (i) Construction of ROB/RUB/LHS (ii) Work of construction of new Rail Bridges/ROR (iii) Work related to re-building of existing bridges	4 Year (As per Railway Board letter no. 2022/CE-III/Bridge Policy (E-3406846) dt 29.12.2025)
30	Penalties-	
	In the event of accident at the work site the departmental enquiry will be held and in case it is established that derailment has occurred on account of the contractor's negligence or the negligence of his men damages at the following rates will be recovered from contractor:-	
30(a)	Accident involving use of accident Relief train /Crane = Rs.100000/-.	
30(b)	Nominal accident involving use of Jacks- Rs.25000/-.	
31	Final bill will be paid after necessary royalty clearance certificate is submitted by the contractor. After completion of work, Railway will advise the final quantities of various minerals utilized in the work to Mining Department as well as to contractor. In turn, Contractor will arrange to submit necessary royalty clearance certificate from the Mining Department.	
32	Agreement :	
32(a)	The successful tenderer shall be required to execute an agreement/work order with the President of India acting through the Divisional Railway Manager /Sr.Divl.Engineer/ Divl.Engineer, N. W. Rly., Bikaner for carrying out the work according to the General conditions of contract-2022 (Amended from time to time). Payment for the work done will be made to the contractor only after the formal agreement has been executed between the parties. The Contract Agreement shall be entered into by Railway only after submission of valid Performance Guarantee by the Contractor. In such cases the Railway may determine that such tenderer has abandoned the contract and there upon his tender and acceptance thereof shall be treated as cancelled and the Railway shall be entitled to forfeit the full amount of the Bid Security and other dues payable to the Contractor under this contract. The failed Contractor shall be debarred from participating in the re-tender for that work.	
32(b)	Final Supplementary Agreement: After the work is completed or otherwise concluded by the parties with mutual consent, and taken over by the Railway as per terms and conditions of the contract agreement, and there is unequivocal no claim on either side under the Contract other than as mentioned in item 4 of Annexure XIV, the parties shall execute the Final Supplementary Agreement as per Annexure XIV of GCC April 2022 (Ammended upto date).	

32(c)	Post Payment Audit: It is an agreed term of contract that the Railway reserves to itself the right to carry out a post-payment audit and/ or technical examination of the works and the Final Bill including all supporting vouchers, abstracts etc. and to make a claim on the Contractor for the refund of any excess amount paid to him till the release of security deposit or settlement of claims, whichever is later, if as a result of such examination any over-payment to him is discovered to have been made in respect of any works done or alleged to have been done by him under the contract.
33	Variation in quantities during execution of work contracts.
33(i)	Unless otherwise specified in the special conditions of the contract, the accepted variation in quantity of each individual item of the contract would be upto 25% of the quantity originally contracted, except in case of foundation work (in which no variation limit shall apply) . However, the rates for the increased quantities shall be as per sub- para 33(ii) below. The Contractor shall be bound to carry out the work at the agreed rates and shall not be entitled to any claim or any compensation whatsoever upto the limit of 25% variation in quantity of individual item of works.
33(ii)	In case an increase in quantity of an individual item by more than 25% of the agreement quantity is considered unavoidable, then same shall be executed at following rates
(a)(i)	Quantities operated in excess of 125% but upto 140% of the agreement quantity of the concerned item, shall be paid at 98% of the rate awarded for that item in that particular tender;
(a)(ii)	Quantities operated in excess of 140% but upto 150% of the agreement quantity of the concerned item shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in that particular tender;
(a)(iii)	Variation in quantities of individual items beyond 150% will be avoided and would be permitted only in exceptional unavoidable circumstances and shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in that particular tender.
(b)	Execution of quantities beyond 150% of the overall agreemental value should not be permitted and, if found necessary, should be only through fresh tenders or by negotiating with existing contractor, with prior personal concurrence of PFA/ FA&CAO/ FA&CAO(C) and approval of General Manager.
33(iii)	For decrease beyond 25% for individual items or 25% of contract agreement value, the approval of an officer not less than rank of S.A.Grade may be taken, after obtaining "No Claim Certificate" from the contractor and with finance concurrence, giving detailed reasons for each such decrease in the quantities.
33(iv)	Variation to quantities of Minor Value Item: The limit for varying quantities for minor value items shall be 100% (as against 25% prescribed for other items). A minor value item for this purpose is defined as an item whose original agreement value is less than 1 % of the total original agreement value. (i) Quantities operated upto and including 100% of the agreement quantity of the concerned minor value item, shall be paid at the rate awarded for that item in that particular tender; (ii) Quantities operated in excess of 100% but upto 200% of the agreement quantity of the concerned minor value item, shall be paid at 98% of the rate awarded for that item in that particular tender; (iii) Variation in quantities of individual minor value item beyond 200% will be avoided and would be permitted only in exceptional unavoidable circumstances and shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in that particular tender.
33(v)	In case of earthwork, the variation limit of 25% shall apply to the gross quantity of earthwork and variation in the quantities of individual classifications of soil shall not be subject to this limit.
33(vi)	In case of foundation work, no variation limit shall apply and the work shall be carried out by the Contractor on agreed rates irrespective of any variation.
33(vii)	As far as Standard Schedule of Rates (SSOR) items are concerned, the variation limit of 25% would apply to the value of SSOR schedule(s) as a whole and not on individual SSOR items. However, in case of Non Standard Schedule of Rates (SSOR) items, the limit of 25% would apply on the individual items irrespective of the manner of quoting the rate (single percentage rate or individual item rate).
33(viii)	The aspect of vitiation of tender with respect to variation in quantities should be checked and avoided. In case of vitiation of the tender (both for increase as well as decrease of value of contract agreement), sanction of the competent authority as per single tender should be obtained.

33(ix)	Handling vitiation during variation in Contract Quantities :- As a result of variations, a contract shall be considered “Vitiated” only when, the following percentage variation in contract value between tenderers are noticed to have been exceeded.													
	S.N.	Value of Contract	Percentage difference between present Contract and new L-1 as a result of variation. (Percentage shall be calculated with base as the revised contract quantities multiplied by the rates of the present contractor)											
	1	Small value contrats (Tender value less than Rs.50 Lakh)	10											
	2	Other than small value contrats (Tender value equal to or more than Rs.50 Lakh)	5											
34	Price Variation Clause:-													
(i)	Applicability: Price Variation Clause (PVC) shall be applicable only in tender having advertised value above Rs. 2 Crores.													
(ii)	Price variation clause (PVC) shall be applicable only for contracts of value as prescribed by the Ministry of Railways through instructions/ circulars issued from time to time and irrespective of the contract completion period. Variation in quantities shall not be taken into account for applicability of PVC in the contract.													
(iii)	Provided further that, in a contract where PVC is applicable, following shall be outside the purview of price adjustments (i.e. shall be excluded from the gross value of the work for the purpose of price variation) : a) Materials supplied by Railway to the Contractors, either free or at fixed rate; b) Any extra item(s) included in subsequent variation falling outside the purview of the Bill(s) of Quantities of tender, under clause 39. (1)(b) of these Standard General Conditions, unless applicability of PVC and ‘Base Month’ has been specially agreed, while fixing the rates of such extra item(s)													
(iv)	Validity: Rates accepted by Railway Administration shall hold good till completion of work and no additional individual claim shall be admissible except: (a) Payment/recovery for increase/decrease in GST on works contract or imposition/removal of any tax/cess on Works Contract as per Clause 37 of GCC April 2022 (Ammended upto date), (b) Payment/recovery for overall market situation as per Price Variation Clause given hereunder.													
(v)	Base Month: The Base Month for ‘Price Variation Clause’ shall be taken as the one month prior to closing of tender, unless otherwise stated elsewhere. The quarter for applicability of PVC shall commence from the month following the Base month. The Price Variation shall be based on the average Price Index of the quarter under consideration.													
35	General Price Variation Clauses:-													
	Components of various items in a contract on which variation in prices be admissible, shall be steel, cement, ferrous material, non-ferrous material, insulators, zinc and other materials, labour, plant & machinery, fuel, explosives, detonators etc. Adjustment for variation in prices of these items shall be determined in the manner prescribed.													
35(a)	No price variation shall be admissible for fixed components.													
35(b)	The percentages of various components in various type of works shall be as specified for all item (s)/ Bill(s) of Quantities in tender document and the same shall be fixed as per table & classifications given below:													
	Sl. No	Component	Classification	1A,2 & 3A	4A	5A	6A	7	8A	9A	1B, 3B, 4B, 5B, 6B 8B & 9B	1C, 3C, 4C, 5C, 6C, 8C & 9C	3D, 4D, 5D, 6D, 8D & 9D	3E, 4E, 5E, 6E, 8E & 9E
	1	Fixed	*	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	2	Labour	Lc	20	25	30	20	50	20	20	0	0	10	25
	3	Steel	Sc	0	0	0	0	0	0	0	85	0	50	0

[illegible]

* It shall not be considered for any price variation.

The classification mentioned in the table above represents following type of item(s) in the work(s) –

1 Earthwork in Formation
1A All Item(s) excluding 1B or/and 1C
1B Item(s) for supply of Steel
1C Item(s) for supply of Cement

2 Ballast Supply Works

3 Tunnelling Works (Without Explosives)
3A All Item(s) excluding 3B or/and 3C or/and 3D or/and 3E
3B Item(s) for supply of Steel
3C Item(s) for supply of Cement or/and Grout
3D Item(s) for Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel
3E Item(s) for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel.

4 Tunnelling Works (With explosives)	9	11.7
4A All Item(s) excluding		
4B or/and 4C or/and 4D or/and 4E 4B Item(s) for supply of Steel		
4C Item(s) for supply of Cement or/and Grout		
4D Item(s) for Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel		
4E Item(s) for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel.		

5 Building Works
5A All Item(s) excluding 5B or/and 5C or/and 5D or/and 5E
5B Item(s) for supply of Steel
5C Item(s) for supply of Cement
5D Item(s) for Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel
5E Item(s) for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel.

6 Bridges & Protection work
6A All Item(s) excluding 6B or/and 6C or/and 6D or/and 6E
6B Item(s) for supply of Steel
6C Item(s) for supply of Cement
6D Item(s) for Fabrication, Assembly, Erection& Launching of Girders including supply of Steel
6E Item(s) for Fabrication, Assembly, Erection & Launching of Girders excluding supply of Steel

7 Permanent Way linking

8 Platform, Passenger Amenities
8A All Item(s) excluding 8B or/and 8C or/and 8D or/and 8E
8B Item(s) for supply of Steel item/fittings
8C Item(s) for supply of Cement Item
8D Item(s) for Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel
8E Item(s) for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel

9 Any Other Works not covered in Classification 1 to 8
9A All Item(s) excluding 9B or/and 9C or/and 9D or/and 9E
9B Item(s) for supply of Steel
9C Item(s) for supply of Cement or/and Grout
9D Item(s) for Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel
9E Item(s) for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel

35(c)	Formulae: The Amount of variation in prices in various components (labour, material etc.) shall be worked out by the following formulae:
(i)	$L = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{LB \times 100} \times (L_Q - L_B) \times L_C$
(ii)	$M = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{M_B \times 100} \times (M_Q - M_B) \times M_C$
(iii)	$F = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{F_B \times 100} \times (F_Q - F_B) \times F_C$
(iv)	$E = \frac{(W)}{E_B \times 100} \times (E_Q - E_B) \times E_C$
(v)	$PM = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{PM_B \times 100} \times (PM_Q - PM_B) \times PM_C$
(vi)	$S = \frac{(W \text{ or } W_S \text{ or } W_{SF})}{SB \times 100} \times (S_Q - S_B) \times S_C$
(vii)	$C = \frac{(W \text{ or } W_C)}{C_B \times 100} \times (C_Q - C_B) \times C_C$
L-	Amount of price variation in labour.
M-	Amount of price variation in material.
F-	Amount of price variation in fuel.
E	Amount of price variation in Explosives
PM	Amount of price variation in Plant, Machinery and Spares
S	Amount of price variation in Steel Supply Item
C	Amount of price variation in Cement Supply Item
LC=	% of Labour Component in the item(s)
MC=	% of Material Component in the item(s)
FC=	% of Fuel Component in the item(s)
Ec=	% of Explosive Component in the item(s)
PMc	% of Plant, Machinery and Spares Component in the item(s)
Sc	% of Steel Supply item Component in the item(s)
Cc	% of Cement Supply item Component in the item(s)
W-	Gross value of work done by Contractor as per on-account bill(s) excluding the Gross value of work under Ws or/and Wc or/and Wsf or/and Wf or/and WSFL or/and WFL and cost of materials supplied by Railway either free or at fixed rate,
Ws	Gross value of work done by Contractor for item(s) of supply of steel.
Wc	Gross value of work done by Contractor for item(s) of supply of cement and /or supply of grout material.
WSF	Gross value of work done by Contractor for item(s) of Fabrication & Erection of Structures including supply of Steel.
WF	Gross value of work done by Contractor for Fabrication & Erection of Structures excluding supply of Steel.
WSFL	Gross value of work done by Contractor for item(s) of Fabrication, Assembly, Erection / Launching of Girders including supply of Steel.
WFL	Gross value of work done by Contractor for item(s) of Fabrication, Assembly, Erection / Launching of Girders excluding supply of Steel.
LB	Consumer Price Index for Industrial Workers - All India: Published in R.B.I. Bulletin for the base period
LQ	Consumer Price Index for Industrial Workers - All India: Published in R.B.I. Bulletin for the average price index of the 3 months of the quarter under consideration
MB	Wholesale Price Index: All commodities – as published in the R.B.I. Bulletin for the base period
MQ	Wholesale Price Index: All commodities – as published in the R.B.I. Bulletin for the average price index of the 3 months of the quarter under consideration
FB	The average of official prices of Diesel available on the official website of 'Petroleum Planning and Analysis cell' under Ministry of Petroleum and Natural Gas for Delhi, Kolkata, Mumbai & Chennai, for the base period

FQ	The average of official prices of Diesel available on the official website of 'Petroleum Planning and Analysis cell' under Ministry of Petroleum and Natural Gas for Delhi, Kolkata, Mumbai & Chennai, for the 3 months of the quarter under consideration																	
EB	Index number of Monthly Whole Sale Price Index for the category 'Explosive' of (g). Manufacture of other chemical products under (J) MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, published by Office of Economic Adviser, Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), for the base period.																	
EQ	Index number of Monthly Whole Sale Price Index for the category 'Explosive' of (g). Manufacture of other chemical products under (J) MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, published by Office of Economic Adviser, Govt. of India, Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), for the average price index of 3 months of the quarter under consideration.																	
PMB	Index Number of Wholesale Prices in India by Groups and Sub Groups (Averages) for 'Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction'– published in RBI (Reserve Bank of India) Bulletin, for the base period.																	
PMQ	Index Number of Wholesale Prices in India by Groups and Sub Groups (Averages) for 'Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction'– published in RBI (Reserve Bank of India) Bulletin, for the average price index of 3 months of the quarter under consideration.																	
SB	The average rate provided by the Joint Plant Committee for the relevant category of steel item as mentioned in Clause 46A.9; for the base period.																	
SQ	The average rate provided by the Joint Plant Committee for the relevant category of steel item as mentioned in Clause 46A.9; for the 3 months of the quarter under consideration.																	
CB	Index No. of Wholesale Price Index of sub-group Cement, Lime & Plaster as published in RBI Bulletin for the base period																	
CQ	No. of Wholesale Price Index of sub-group Cement, Lime & Plaster as published in RBI Bulletin for the average price index of the 3 months of the quarter under consideration																	
35(d)	The contract Agreement should clearly indicate that price variation implies both increase as well as decrease in input prices and therefore, price variation during the currency of the contract may result in extra payment or recovery, as the case may be.																	
36	Relevant categories of steel for the purpose of operating Price Variation formula as mentioned in this Clause shall be as under:																	
	<table><tr><th>S. No.</th><th>Classification</th><th>Rates to be used for calculating S_Q or S_B</th></tr><tr><td>1</td><td>Reinforcement bars and other rounds</td><td>Average of per tonne rates of 10mm dia TMT & 25mm dia TMT; confirming IS1786; Fe 500</td></tr><tr><td>2</td><td>All types and sizes of angles, channels and joists</td><td>Average of per tonne rates of 'Angle 75x75x6mm, Mild Steel Plate 10mm thickness and Channel 150x75mm; confirming IS2062, E250 Gr "A"</td></tr><tr><td>3</td><td>All types and sizes of plates</td><td>Average of per tonne rates of 'MS Plates 10mm thickness and 25mm thickness; confirming IS2062, E250 Gr "A"</td></tr><tr><td>4</td><td>Any other section of steel not covered in the above categories</td><td>Average of price for the 3 categories covered under SL 1, 2 & 3 in this table.</td></tr></table>	S. No.	Classification	Rates to be used for calculating S_Q or S_B	1	Reinforcement bars and other rounds	Average of per tonne rates of 10mm dia TMT & 25mm dia TMT; confirming IS1786; Fe 500	2	All types and sizes of angles, channels and joists	Average of per tonne rates of 'Angle 75x75x6mm, Mild Steel Plate 10mm thickness and Channel 150x75mm; confirming IS2062, E250 Gr "A"	3	All types and sizes of plates	Average of per tonne rates of 'MS Plates 10mm thickness and 25mm thickness; confirming IS2062, E250 Gr "A"	4	Any other section of steel not covered in the above categories	Average of price for the 3 categories covered under SL 1, 2 & 3 in this table.		
S. No.	Classification	Rates to be used for calculating S_Q or S_B																
1	Reinforcement bars and other rounds	Average of per tonne rates of 10mm dia TMT & 25mm dia TMT; confirming IS1786; Fe 500																
2	All types and sizes of angles, channels and joists	Average of per tonne rates of 'Angle 75x75x6mm, Mild Steel Plate 10mm thickness and Channel 150x75mm; confirming IS2062, E250 Gr "A"																
3	All types and sizes of plates	Average of per tonne rates of 'MS Plates 10mm thickness and 25mm thickness; confirming IS2062, E250 Gr "A"																
4	Any other section of steel not covered in the above categories	Average of price for the 3 categories covered under SL 1, 2 & 3 in this table.																
37	Relevant city for referring " JPC (Joint Plant Committee) " rates of steel items (SQ /SB) in different Zonal Railways shall be as under : For North Western Railway- Delhi City.																	
38	The demands for escalation of cost shall be allowed on the basis of provisional indices as mentioned above in Clause 46A.7. Any adjustment needed to be done based on the finally published indices shall be made as and when they become available.																	
39	The contract agreements should clearly indicate that price variation implies both increase as well decrease in input prices and therefore, price variation during the currency of the contract may result in extra payment or recovery, as the case may be.																	

40	Price Variation: Extended Period.
	The price adjustment as worked out above, i.e. either increase or decrease shall be applicable upto the stipulated date of completion of work including the extended period of completion where such extension has been granted under Clause 17-A of the Standard General Conditions of Contract. However, where extension of time has been granted due to Contractor's failure under Clause 17-B of the Standard General Conditions of Contract, price adjustment shall be done as follows:
40(i)	In case the indices increase above the indices applicable to the last month of original completion period or the extended period under Clause 17-A, the price adjustment for the period of extension granted under Clause 17-B shall be limited to the amount payable as per the Indices applicable to the last month of the original completion period or the extended period under Clause 17-A of the Standard General Conditions of Contract; as the case may be.
40(ii)	In case the indices fall below the indices applicable to the last month of original/ extended period of completion under Clause 17-A, as the case may be; then the lower indices shall be adopted for the price adjustment for the period of extension under Clause 17-B of the Standard General Conditions of Contract.
41	Joint Ventures are not applicable for the tender costing below Rs.10.00 crores (Rs. Ten Crores). In terms of Railway Board's letter no.2002/CE-1/CT/37-JV Pt.VIII dated 14.12.12
42	Provisions of "The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996" and "The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996": The tenderers, for carrying out any construction work, shall get themselves registered with the Registering Officer under Section-7 of the Building and Other Construction Workers Act, 1996 and Rules made thereto by the concerned State Govt., and submit Certificate of Registration issued by Registering Officer of the concerned State Govt. (Labour Dept.). The Cess shall be deducted from contractor's bills as per provisions of the Act. For enactment of this Act, the tenderer shall be required to pay cess @ 1% of cost of construction work to be deducted from each bill.
43	Two Packet System of tendering :-
(i)	For all works contract tenders requiring techno-economic evaluation, 'Two Packet system' of tendering shall be obtained.
(ii)	All works contract tenders valuing more than Rs.10 Crore, "Two Packet System" shall mandatorily be followed, except in cases where it is decided by an executive officer not below HAG level for reasons to be recorded in writing and with the concurrence of FA & CAO, that it would be advantageous to follow 'Single Packet System'.
(iii)	For tenders valuing upto Rs.10 Crore, decision to adopt 'Two Packet System' shall be taken by the tender inviting authority with the concurrence of Associate Finance, keeping in view the guiding principle laid down in item (a) above.
(iv)	In case of Two packet system of tendering, for Packet-I Technical Bid, the level of TC to be decided based on Face value of the tender and for Packet-II Financial Bid, the level of TC to be decided based on the face value of the Tender or the lowest valid offer whichever is higher. (As per SOP part A)
44	Deployment of qualified Engineers at work sites by the contractor
	Contractor will deploy one qualified Graduate Engineer or Diploma Holder Engineer when the cost of work will be more than Rs.2.00 Crore Or more than Rs.25.0 Lacs but less than Rs.2.00 Crore respectively. Contractor will deploy two qualified Graduate Engineers when the cost of work will be more than Rs.5.00 Crore. In case the contractor fails to deploy the qualified engineer, contractor will be liable to pay penalty for the default period as per Clause 26A.2 of the GCC (Ammended upto date). NOTE :-1. Deployment of qualified engineers are not required for the contract of water supply, transportation, hiring of vehicle, ballast supply and Zonal works. 2. Individuals having Diploma in Railway Engineering awarded by IPWE (India) shall also be considered as qualified Diploma Holder Engineers and contractors for track contract works can employ such individuals at their work site.

45	Employment / Partnership etc. of Retired Railway Employees
45(a)	<p>Should a tenderer i) be a retired Engineer of the gazetted rank or any other gazetted officer working before his retirement, whether in the executive or administrative capacity or whether holding a pensionable post or not, in the Engineering or any other department of any of the railways owned and administered by the President of India for the time being, OR</p> <p>ii) being partnership firm / joint venture (JV) / registered society / registered trust etc have as one of its partners a retired Engineer of the gazetted rank or any other gazetted officer working before his retirement, OR</p> <p>iii) being an incorporated company have any such retired Engineer of the gazetted rank or any other gazetted officer working before his retirement as one of its directors</p> <p>AND</p> <p>in case where such Engineer or officer had not retired from government service at least 1 year prior to the date of submission of the tender</p> <p>THEN</p> <p>the tenderer will give full information as to the date of retirement of such Engineer or gazetted officer from the said service and as to whether permission for taking such contract, or if the Contractor be a partnership firm or an incorporated company, to become a partner or director as the case may be, has been obtained by the tenderer or the Engineer or officer, as the case may be from the President of India or any officer, duly authorized by him in this behalf, shall be clearly stated in writing at the time of submitting the tender.</p>
45(b)	<p>In case, upon successful award of contract, should a tenderer depute for execution of the works under or to deal matters related with this contract, any retired Engineer of gazetted rank or retired gazetted officer working before his retirement in the Engineering or any other department of any of the railways owned and administered by the President of India for the time being, and now in his employment, then the tenderer will ensure that retired Engineer or retired gazetted officer had retired from government service at least 1 year prior to the date of his employment with tenderer and in case he had retired from service within a year then he possesses the requisite permission from the President of India or any officer, duly authorized by him in this behalf, to get associated with the tenderer.</p>
45(c)	<p>Should a tenderer or Contractor being an individual, have member(s) of his family or in the case of partnership firm/ company / joint venture (JV) / registered society / registered trust etc. one or more of his partner(s)/shareholder(s) or member(s) of the family of partner(s)/shareholder(s) having share of more than 1% in the tendering entity employed in gazetted capacity in the Engineering or any other department of the railway, then the tenderer at the time of submission of tender, will inform the authority inviting tenders the details of such persons.</p> <p>Note:-If information as required as per (a), (b), (c) above has not been furnished, contract is liable to be dealt in accordance with provision of clause 62 of Standard General Condition of contract.</p>
46	These provisions shall be applicable with prospective effect.
47	<p>If any discrepancies found in above paras, the instructions contained in GCC (Amended upto date) shall be correct and final.</p> <p>GCC April 2022 enclosed for information.</p>

For Divl. Rly., Manager/Engg.
North Western Railway, Bikaner
For and on behalf of President of India

I/We accept above conditions

Signature & address of the tenderer(s)
Address _____

PERFORMANCE GUARANTEE BOND

To,
The President of India, acting through.....

Against Contract No.....dated.....covering.....
(hereinafter called the said contract) entered into between the President of India and
.....(hereinafter called the contractor) this is to certify that at the request of
the contractor, we.....Bank are holding in trust in favour of the President of India, the
amount of Rs.....(write the sum here in letters) to indemnify and keep indemnified the
President of India (Government of India) against any loss or damage that may be caused to or suffered by
the President of India (Government of India) by reasons of any breach by the contractor of any of the
terms and condition of the said contract and/ or performance thereof has been committed by the contractor
and the amount of loss or damage that has been caused or suffered by the President of India (Government
of India) shall be final and binding on us and the amount of the said loss or damage shall be paid by us
forthwith on demand and without demur to the President of India (Government of India).

- We, (indicate the name of Bank).....further agree that the guarantee herein contain
shall remain in full force and affect during the period that would be taken for the satisfactory performance
and fulfillment in all respects of the said contract and till the expiry of the maintenance period and that it
shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said contract
have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the DRM(WA) Office, North Western
Railway, Bikaner certifies that the terms and conditions of the said contract have been fully properly
carried out by the said Contractor and accordingly discharges this guarantee.

- It is fully understood that this guarantee is effective from the date of the said Contract and
that we.....Bank undertake not to revoke this guarantee during its currency without
the consent in writing of the President of India (Government of India).

- We.....Bank further agree that the President of India (Government of
India) shall have the fullest liberty, without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any
of the terms and conditions of the said contract or to extend time of performance by the contractor from
time to time or to postpone for any time or from time to time any of the power exercisable by the
President of India (Government of India) against the said contract and to forbear or enforce any of the
terms and conditions relating to the said contract and we.....Bank shall not
be released from our liability under this guarantee by reasons of any such variation or extension and/or
omission on the part of the President of India or any indulgence by the President of India to the said
contractor or by any other matter of the thing whatsoever, which under the law relating to sureties would,
but for the provision, have the effect of so releasing us from out liability under this guarantee.

- We.....Bank further agree that the guarantee herein contained shall
not be effected by any change in the constitution of the Bank or.....said contractor(s).

Dated.....Day of.....for.....Bank.

ACCEPTED

For and on behalf of the President of India.

DRM/Engg.

Signature of Tenderer N.W.Rly.,Bikaner

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)

Model Mandate Form

(Investor/Customer's Option to receive payment through Credit Clearing Mechanism)

- Name of Contractor _____
ठेकेदार का नाम
- Complete Address with Pin code
पिन कोड सहित पूर्ण पता _____

_____ Pin Code पिन कोड _____
- Bank A/c No. बैंक खाता सं. _____
- Type of A/c खाते का प्रकार
 - Saving Account बचत खाता (ii) Current Account चालु खाता
- Name of Bank & Address _____
बैंक का नाम एवं पता
- I.F.S.C.Code No. आई एफ एस सी कोड न० _____
- PAN No. पेन नं. _____

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete and I agree to receive my payment under Electronic Clearing System.

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है और मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के अन्तर्गत भुगतान लेने से सहमत हूँ।

(_____)

ठेकेदार/सप्लायर के हस्ताक्षर

Signature of Contractor / Supplier

मोबाइल नं० Mobile No.-----

Annexure –A-1A

Reference -Para 6.1 of ITT

(This certificate is to be given by attorney/ authorized signatory/ each member of Partnership firm/ Joint Venture (JV)/ Hindu Undivided Family (HUF)/ Limited Liability Partnership (LLP) etc.)

I/We (Name), attorney/ authorized signatory of the (constituent firm/ constituent partner) and member/ partner of the (tendering firm) hereby solemnly affirm and state as under :-

1. I/We certify that (constituent firm/ constituent partner) is/ are not blacklisted or debarred by Railway or any other Ministry/ Department of Govt. of India from participation in tender on the date of submission of bids, either in individual capacity or as a HUF/ member of partnership firm/ LLP/ JV/ Society/ Trust.
2. I/We have read the clause regarding restriction on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India and certify that I am/We are not from such a country or,
if from such a country, have been registered with the competent Authority. I/We hereby certify that I/we fulfil all the requirements in this regard and am/are eligible to be considered (evidence of valid registration by the competent authority is enclosed)

SEAL AND SIGNATURE
OF THE CONSTITUENT FIRM/ CONSTITUENT PARTNER

Place :

Dated :

Annexure –A-2

Para 5 of the Instructions to Tenderers

(Bid Security)

Bank Guarantee Bond from any scheduled commercial bank of India

(On non-judicial stamp paper, which should be in the name of the Executing Bank).

Name of the Bank: -----

President of India, Acting through,

..... Railway,

Beneficiary: Railway

Date:.....

Bank Guarantee Bond No.:

Date:-----

In consideration of the President of India acting through----- (**Designation & address of Contract Signing Authority**),Railway,, (hereinafter called "The Railway") having invited the bid for_____through Notice inviting tender (NIT) No.._____, We have been informed that .
..... . [**Insert name of the Bidder**]..... (hereinafter called "the Bidder") intends to submit its bid (hereinafter called "the Bid") .

WHEREAS, the Bidder is required to furnish Bid Security for the sum of [Insert required Value of Bid Security], in the form of Bank Guarantee, according to conditions of Bid.

AND

WHEREAS,[**Insert Name of the Bank**], with its Branch[**Insert Address**] having its Headquarters office at..... [**Insert Address**], hereinafter called the Bank, acting through[**Insert Name and Designation of the authorised persons of the Bank**], have, at the request of the Bidder, agreed to give guarantee for Bid Security as hereinafter contained, in favour of the Railway:

1. KNOW ALL MEN that by these present that I/We the undersigned [**Insert name(s) of authorized representatives of the Bank**], being fully authorized to sign and incur obligations for and on behalf of the Bank, confirm that the Bank, hereby, unconditionally and irrevocably guarantee to pay to the Railway full amount in the sum of [**Insert required Value of Bid Security**] as above stated.

2. The Bank undertakes to immediately pay on presentation of demand by the Railway any amount up to and including aforementioned full amount without any demur, reservation or recourse. Any such demand made by the Railway on the Bank shall be final, conclusive and binding, absolute and unequivocal on the Bank notwithstanding any disputes raised/ pending before any Court, Tribunal, Arbitration or any Authority or any threatened litigation by the Bidder or Bank.

3. The Bank shall pay the amount as demanded immediately on presentation of the demand by Railway without any reference to the Bidder and without the Railway being required to show grounds or give reasons for its demand of the amount so demanded.

4. The guarantee hereinbefore shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or in the constitution of the Bidder.

5. The Bank agrees that no change, addition, modifications to the terms of the Bid document or to any documents, which have been or may be made between the Railway and the Bidder, will in any way absolve the Bank from the liability under this guarantee; and the Bank, hereby, waives any requirement for notice of any such change, addition or modification made by Railway at any time.

6. This guarantee will remain valid and effective from.....[insert date of issue] till[insert date, which should be minimum 90 days beyond the expiry of validity of Bid]. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank within the validity period of Bid Security.

7. The Bank Guarantee is unconditional and irrevocable.

8. The expressions Bank and Railway herein before used shall include their respective successors and assigns.

9. The Bank hereby undertakes not to revoke the guarantee during its currency, except with the previous consent in writing of the Railway. This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No.758.

10. The Bank hereby confirms that it is on the SFMS (Structured Financial Messaging System) and shall invariably send the advice of this Bank Guarantee to the following bank details –

IFSC CODE	SBIN000RAIL
IFSC TYPE	BRANCH
BANK NAME	STATE BANK OF INDIA
BRANCH NAME	RAIL
CITY NAME	NAVI MUMBAI
ADDRESS	SECTOR-11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI
DISTRICT	NAVI MUMBAI
STATE	MAHARASHTRA
BG ENABLED	YES

11. The Guarantee shall be valid in addition to and without prejudice to any other security Guarantee(s) of Bidder in favour of the Railway. The Bank, under this Guarantee, shall be deemed as Principal Debtor of the Railway.

Date

Place.....

Bank's Seal and authorized signature(s)

[Name in Block letters]

[Designation with Code No.].....

[P/Attorney] No.

Witness:

1 Signature, Name & Address & Seal

2 Signature, Name& address & Seal

Bank's Seal

[P/Attorney]No.

Note: All italicized text is for guidance on how to prepare this bank guarantee and shall be deleted from the final document.

Annexure –A3

Reference -Para 10.2 & 17.15.2 of Tender Form (Second Sheet) of Annexure I of ITT

Each Bidder or each member of a JV must fill in this form separately:

NAME OF BIDDER/JV PARTNER:

Annual Contractual Turnover Data for the Previous 3/4 Years (Contractual Payment only)			
Year	Amount Currency	Exchange Rate	Indian National Rupees Equivalent
Average Annual Contractual Turnover for last 3 years			

1. The average annual contractual turnover shall be calculated as an average of “total contractual payments” in the previous three financial years. However, in case balance sheet of the previous year is yet to be prepared/ audited, the audited balance sheet of the fourth previous year shall be considered for calculating average annual contractual turnover.
2. The information supplied shall be substantiated by data in the audited balance sheets and profit and loss accounts for the relevant years in respect of the bidder or all members constituting the bidder.
3. Contents of this form should be certified by a Chartered Accountant duly supported by Audited Balance Sheet duly certified by the Chartered Accountant.

SEAL AND SIGNATURE OF THE BIDDER

Certified that all figures and facts submitted in this form have been furnished after full consideration of all observations/notes in Auditor’s reports. _____

(Signature of Chartered Accountant)

Name of CA: _____

Registration No: _____

(Seal)

Annexure –A4

Insurance Surety Bond for Performance Security

Name of the issuer of surety bond:

President of India,
Acting
through.....,
North Western Railway.
Date

Surety Bond No:

Issue Date:

Amount of Bond: Rs.....

Expiry Date

WHEREAS, In consideration of the President of India acting through (Designation & address of contract signing authority), **North Western Railway, Bikaner** (hereinafter called "The Railway") having accepted the bid of M/S **XXXXX** hereinafter called the contractor, for the work of **XXXX**" under invitation for bids No. **XXXX** Dated **XXXX** , Vide Letter of Acceptance No

AND

WHEREAS, the contractor is required to furnish Performance Security for the sum of Rs. **XXXX** (Rupees . **XXXX** Only), in the form of Surety Bond, being a condition precedent to the signing of the contract agreement.

WHEREAS, we, ----- (Name of insurance company) hereinafter called the Surety, acting through [Designation(s) of the authorised person of the Surety], have, at the request of the M/s. **XXXX** contractor, agreed to give Bond for performance security/ additional performance security as hereinafter contained:

1. KNOW ALL MEN by these present that I/We, the undersigned [Insert name(s) of authorized representatives of the Surety], being fully authorized to sign and incur obligations for and on behalf of the Surety, confirm that the Surety, hereby, unconditionally and irrevocably Bond to pay the Railway the full amount in the sum of **XXXX** (Rupees **XXXX** Only) as above stated.
2. The Surety undertakes to immediately pay on presentation of demand by the Railway any amount up to and including aforementioned full amount without any demur, reservation or recourse. Any such demand made by the Railway on the Surety shall be final, conclusive and binding, absolute and unequivocal notwithstanding any disputes raised/pending before any Court, tribunal, arbitration or any authority or any threatened litigation by the Bidder or Bank.
3. On payment of any amount less than aforementioned full amount, as per demand of the Railway, the Bond shall remain valid for the balance amount i.e. the aforementioned full amount less the payment made to the Railway.
4. The Surety shall pay the amount as demanded immediately on presentation of the demand by Railway without any reference to the contractor and without the Railway being required to show grounds or give reasons for its demand or the amount demanded.
5. The Surety Bond shall be unconditional and irrevocable.
6. The Bond hereinbefore shall not be affected by any change in the constitution of the Surety or in the constitution of the Contractor.
7. The Surety agrees that no change, addition, modifications to the terms of the Contract Agreement or to any documents, which have been or may be made between the Railway and the Contractor, will in any way release us from the liability under this Bond; and the Surety, hereby, waives any requirement for notice of any such change, addition or modification to the Surety.

8. This Bond is valid and effective from the date of its issue, which is [insert date of issue]. The Bond and our obligations under it will expire on **XXXX** (Expiry Date). All demands for payment under the Bond must be received by us on or before that date.
9. The Surety agrees that the Railways right to demand payment of aforementioned full amount in one instance or demand payments in parts totalling up to the aforementioned full amount in several instances will be valid until either the aforementioned full amount is paid to the Railway or the Bond is released by Railway before the Expiry date.
10. The Surety agrees that its obligation to pay any amount demanded by the Railway before the expiry of this Bond will continue until the amount demanded has been paid in full.
11. The expressions Surety and Railway hereinbefore used shall include their respective successors, administrators and assigns.
12. The Surety hereby undertakes not to revoke the Bond during its currency, except with the previous consent in writing of the Railway. This Bond is subject to the Uniform Rules for Demand Bonds, ICC Publication No. 758.
13. We, the Surety Insurer, further agree that the Authority shall be the sole judge to decide as to whether the Bidder is in default of due and faithful fulfillment and compliance with the terms and conditions contained in the Bidding Documents including, inter alia, the failure of the Bidder to keep its Bid open during the Bid validity period set forth in the said Documents, and the decision of the Authority that the Bidder is in default as aforesaid shall be final and binding on us, notwithstanding any differences between the Authority and the Bidder or any dispute pending before any Court, tribunal, arbitrator or any other authority.
14. The Bond shall be in addition to and without prejudice to any other security Bond (s) of the contractor in favour of the Railway available with the Railway. The Surety, under this Bond, shall be deemed as Principal Debtor of the Railway.

Notwithstanding anything to the contrary contained in these presents,

- a. Our liability under this Surety Bond shall not exceed **XXXX** ((Rupees **XXXX** Only).
- b. This Surety Bond shall be valid up to **XXXX** (being the date of expiry);
- c. Unless the bank is served a written claim or demand on or before **XXXX** [date of expiry] all rights under this Bond shall be forfeited and the Surety shall be relieved and discharged from all liabilities under this Bond irrespective of whether or not the original Surety bond is returned to the Surety.

Dated the day of 2025

15. The Insurance Surety Bond shall be verified by sending mail to [**customer.care@sbigeneral. in**].

Place

Bank's Seal and authorized signature(s)
[Name in Block letters]
[Designation with Code No.]
[P/Attorney] No.

Witness

1

2

[Note: All italicized texts are for guidance on how to prepare this Insurance Surety Bond and shall be deleted from the final document.]

हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में विवाद या भिन्नता की स्थिति में शर्तों के अंग्रेजी माध्यम अधिक्रमण करेगा और अंग्रेजी माध्यम को सही समझा जायेगा।

अनुलग्नक ए

निविदा शर्तें व निविदाकर्ता हेतु निर्देश

1	उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के ई निविदा सूचना संख्या वर्ष 2025-26 में वर्णित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2	कार्य का अनुमानित मूल्य... रुपये...../- है।
3	ठेकेदार अपनी ऑफर वेबसाइट www.ireps.gov.in प्रस्तुत करें। निविदा को उसी दिन 15.30 बजे खोला जाएगा और निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दरें पढ़ी जाएंगी।
4	निविदाकर्ता किए जाने वाले कार्य की अपेक्षित मात्रा से किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी भी आधार पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है।
5	निविदाकर्ता को अतिरिक्त शर्तों/प्रतिबन्धों को टालना चाहिए। हांलांकि यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे को सशर्त निविदाओं पर विचार न करने और बिना कोई कारण बताए उन्हें निरस्त कर देने का पूर्ण अधिकार है।
6	रेलवे के लिए न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है अतएव उसे निरस्त करने का कोई कारण दर्शाया नहीं जाएगा।
7	यदि निविदाकर्ता जानबूझकर निविदा में गलत सूचना देता है, तो रेलवे को अधिकार है कि वह ऐसी निविदा को बिना किसी विचार के निरस्त कर दे।
8	यदि राज्य या केन्द्र सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा दी गई निविदा का समग्र मूल्य किसी निजी निविदाकर्ता की न्यूनतम निविदा से 10 प्रतिशत तक अधिक है तो रेलवे को यह अधिकार है कि वह न्यूनतर निविदा पर ध्यान न देकर ऐसे सार्वजनिक उपक्रम की निविदा को प्राथमिकता दे।
9	निविदाकर्ता के औजार तथा प्लान्ट तथा अन्य सामग्रियों को ढोने के लिए रेलवे द्वारा कोई भी आर.एम.सी. या प्राथमिकता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जायेंगे।
10	आरेख
10(a)	आरेख मंडल कार्यालय बीकानेर से किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ता को स्वयं के हित ने आरेख का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। यदि आरेख के प्रतियों की आप्यकता हो तो उन्हें 200/- रुपये प्रति आरेख का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
10(b)	डाक द्वारा आरेख प्रतियों की मांग पर तभी विचार किया जाएगा जबकि प्रति आरेख 250/-रुपये की राशि अग्रिम भेजी जाए। निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि आरेख सिर्फ सामान्य दिखा निर्देश हेतु है और रेलवे उनमें कार्य चालू रहने के समय भी परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त परिवर्धन/परिवर्तन कर सकती है। डाक द्वारा आरेख के प्रेषण में विलम्ब के कारण यदि निविदा देने में विलम्ब होता है तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी।
10(c)	जब जैसी आवश्यकता हो या कार्य के किसी भी चरण में रेलवे को आरेखों में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार है। अनुमोदित योजना या डिजाइन या रेलवे द्वारा व्यवस्था की गई सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण कार्य के किसी मद का काम रुक जाने के किसी प्रकार के किसी दावों को रेलवे स्वीकार नहीं करेगी।
10(d)	वर्क ले आउट (कार्य विन्यास) और महत्वपूर्ण इनस्टालेशन से सम्बन्धित आरेख व विवरण गोपनीय होते हैं और वे पूर्णतः ठेकेदार के निजी प्रयोग के दायरे में (जहां आवश्यक होने पर उप ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता को गोपनीयता बताना आवश्यक हो, को छोड़कर) तथा संविदा के उद्देश्य के लिए होने चाहिए।
10(e)	कार्य की पूर्णता या संविदा के निरस्त होने पर जो भी पहले हो, आरेख और विवरण कार्य के प्रभारी इंजीनियर को लौटा दिये जायेंगे।

11	पात्रता मापदंड
	50 लाख रुपये तक की निविदाओं के लिए कोई तकनीकी और वित्तीय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं हैं निविदाकर्ताओं को अपने प्रत्यय पत्र की प्रतियां निम्नानुसार जमा करनी चाहिए - 50 लाख रु. से अधिक मूल्य की खुली निविदा के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण-
11(i)	तकनीकी योग्यता मानदंड
11(i)(a)	निविदाकर्ता ने पिछले 07 वित्तीय वर्षों एवं निविदा प्रस्तुत किये जाने वाले माह से पिछले माह के अन्तिम दिवस तक निम्न में कोई एक पूर्ण किया हो या काफी हद तक पूर्ण किया हो:- अ. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 30 प्रतिशत मूल्य के तीन समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। ब. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 40 प्रतिशत मूल्य के दो समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। स. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 60 प्रतिशत मूल्य का एक समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। नोट संयुक्त उद्यम (जेवी) के लिए 2022 निविदाकर्ता जीसीसी अप्रैल : (अधतन संशोधित) के खंड में 17 उल्लिखित योग्यता मानदंड जमा करेगा।
11(i)(b)(i)	समग्र कार्यों के लिए निविदाओं के मामले में:- (जैसे एक से अधिक विशिष्ट घटकों से युक्त कार्य, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग कार्य, एसएंडटी कार्य, विद्युत कार्य, ओएचई कार्य आदि और प्रमुख पुलों के मामले में - उपनिर्माण, अधिरचना आदि) निविदाकार को सफलतापूर्वक या काफी हद तक पूरा होना चाहिये। पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी पूरा किया, महिने के आखिरी दिन से पहले के अंत में निविदा जिसमें आमंत्रित किया गया है:- अ. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 30 प्रतिशत मूल्य के तीन समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। ब. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 40 प्रतिशत मूल्य के दो समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। स. कार्य के विज्ञापित निविदा मूल्य के न्यूनतम 60 प्रतिशत मूल्य का एक समान प्रकृति का कार्य पूर्ण किया हो। नोट:- विभिन्न घटकों के लिए तकनीकी पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मूल्यों के अलग-अलग पूर्ण किये गये कार्यों पर भी विचार किया जायेगा। नोट संयुक्त उद्यम (जेवी) के लिए 2022 निविदाकर्ता जीसीसी अप्रैल : (अधतन संशोधित) के खंड में 17 उल्लिखित योग्यता मानदंड जमा करेगा।
11(i)(b)(ii)	ऐसे मामलों में, एक समग्र कार्य में एक घटक का गठन स्पष्ट रूप से पूर्व अनुमानित लागत के साथ परिभाषित किया जाएगा, बिना किसी अस्पष्टता के निविदा दस्तावेजों के हिस्से के रूप में।
11(i)(b)(iii)	निविदाकर्ता की तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी योग्यता के मूल्यांकन के लिए निविदा दस्तावेजों में निर्धारित कार्य के केवल घटकों पर विचार किया जाएगा। अन्य शेष घटकों में शामिल कार्य का दायरा या तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं निष्पादित किया जाएगा यदि उसके पास अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 7 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उप-ठेकेदार के माध्यम से ठेकेदार की मानक सामान्य शर्तों के खंड 7 में उल्लिखित कार्य अनुभव है या संयुक्त रूप से अर्थात्, आंशिक रूप से स्वयं और शेष उपठेकेदार के माध्यम से, लिखित में मुख्य अभियंता के पूर्व अनुमोदन के साथ। हालांकि, यदि विशेष शर्तों के माध्यम से निविदा दस्तावेजों में आवश्यक है, तो विधिवत रूप से नोटरीकृत एक औपचारिक समझौता, कानून की अदालत में कानूनी रूप से लागू करने योग्य, मुख्य ठेकेदार द्वारा उपसंविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के घटक (ओं) के लिए निष्पादित किया जाएगा। उपठेकेदार (ओं), और तकनीकी योग्यता की पूर्ति के लिए कार्य के उस दायरे को सबलेट करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के उपठेकेदार को निम्नानुसार तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: उप-ठेकेदार ने उप-ठेके के लिए प्रस्तावित कार्य के समान कम से कम एक कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया होगा, जिसमें पिछले 5 वर्षों में, जिस महीने के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है, उससे पहले के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले काम के 35% मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। एक कार्य अनुबंध। नोट: 50 लाख रुपये तक के कार्य को सबलेट करने के लिए रेलवे द्वारा उपठेकेदार का कोई पिछला कार्य अनुभव नहीं मांगा जाएगा।

	<p>यदि ठेका देने के बाद या कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार के लिए उपठेकेदार को बदलना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसा उपठेकेदारों के साथ किया जाएगा जो अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 7 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मुख्य के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित में इंजीनियर।</p>
	<p>नोट आइटम 11.1 के लिए:- निजी व्यक्ति से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, किसी भी सरकार द्वारा जारी किए गए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा। संगठन, सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, जिनका चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक का वार्षिक कारोबार हुआ हो, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, 5 वर्ष पहले शामिल / पंजीकृत कम से कम निविदा खोलने की तिथि, यह भी माना जाएगा कि कार्य अनुभव प्रमाणपत्र सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी किया गया है।</p>
	<p>यदि निविदाकर्ता सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो निविदाकार को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य आदेश की प्रासंगिक प्रति, राशियों की बिल की मात्रा, भुगतान का बिलवार विवरण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्राप्त विधिवत प्रमाणित, टीडीएस प्रमाणपत्रों के साथ जमा करना होगा। उपरोक्त कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अंतिम अंतिम बिल की सभी भुगतान / प्राप्त और प्रतिलिपि।</p>
11(ii)	<p>वित्तीय पात्रता मानदंड: निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार V/N या V जो भी कम हो; जहाँ पे V= निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में एन = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "कुल संविदात्मक भुगतान" के औसत के रूप में की जाएगी, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष की तुलन-पत्र अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र पर विचार किया जाएगा। निविदाकर्ता एनेक्सर- ए3 के अनुसार अपेक्षित सूचना, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों की प्रतियों/ लेखापरीक्षित तुलन पत्र द्वारा समर्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे। नोट (i) संयुक्त उद्यम (जेवी) के लिए : निविदाकर्ता जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के खंड 17 में उल्लिखित योग्यता मानदंड जमा करेगा। (ii) यदि निविदा आमंत्रित करने की तारीख पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के ऑडिट के लिए वैधानिक समय सीमा (यानी 30 सितंबर या इस वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई) की तारीख पर या उसके बाद है, तो चौथे पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सीए प्रमाणित करता है कि इस निविदा के आमंत्रण की तिथि तक बैलेंस शीट का ऑडिट नहीं किया गया है।</p>
11(iii)	<p>पूर्व में किए गए कार्यों की सूची के साथ जिस प्रकार की नौकरी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, उसके लिए अनुबंध के अनुभव के संबंध में प्रमाण पत्र और प्रशंसापत्र। पूर्व में प्राप्त संविदात्मक भुगतानों के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।</p>
11(iv)	<p>विषयगत कार्य के लिए नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित कार्मिकों एवं संस्थानों की सूची निविदा के साथ संलग्न की जानी है। इसी प्रकार विषयगत कार्य के लिए तत्काल उपलब्ध निजी प्लांट व मशीनरी एवं लगाए जाने के लिए (निजी व किराए की) प्लांट व मशीनरी की सूची अलग-अलग दी जानी है।</p>
11(v)	<p>कार्य के विवरण के साथ पिछले सात वित्तीय वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों की सूची जिसके लिए कार्य किया गया उस संस्था, संविदा प्राप्त होने के समय संविदा के अनुमानित मूल्य एवं संविदा प्राप्त होने की तिथि व कार्य की निर्धारित पूर्णता की तिथि, वास्तविक पूर्णता की तिथि एवं संविदा का अंतिम मूल्य भी देना चाहिए।</p>
11(vi)	<p>हाथ में लिए कार्य की सूची जिसमें कार्य का विवरण संविदा मूल्य, जो कार्य अभी शेष है उसका अनुमानित मूल्य व संविदा मिलने की तिथि दर्शाया हो।</p>

11(vii)	कंपनी/मालिकाना फर्म के अलावा अन्य के मामले में, अनुबंध-ए-1ए भी एक साझेदारी फर्म/संयुक्त उद्यम (जेवी)/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)/ के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) आदि, जैसा भी मामला हो। बोलीदाता द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति जमा न करने पर उसकी/उनकी बोली सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। यह अनिवार्य रूप से निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होगा कि वह विधिवत स्वप्रमाणित/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों की पहचान करें, बताएं और जमा करें, जिसके द्वारा वे निविदा दस्तावेज में उल्लिखित योग्यता मानदंड को पूरा कर रहे हैं/कर रहे हैं।
11(viii)	निविदा के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सभी स्टेटमेंट, सूचना एवं दस्तावेजों को प्रमाणित करवाने का रेलवे को अधिकार है तथा रेलवे द्वारा मांगे जाने पर उक्त सूचनाएं प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों को प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार के प्रमाणीकरण अथवा प्रमाणीकरण के अभाव में ठेकेदार किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है तथा यह रेलवे के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
11(ix)	(a) निविदा के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना फर्जी होने या निविदा प्रक्रियामें किसी भी समय गलत पाये जाने पर ठेके के अन्तर्गत जमा बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जायेगा तथा एजेन्सी को कार्य करने से 2 (दो) वर्षों के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। (b) निविदा के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना फर्जी होने या ठेका अवार्ड के बाद गलत पाये जाने की स्थिति में ठेके को टर्मिनेट कर दिया जायेगा। ठेके के अन्तर्गत जमा बोली प्रतिभूति, परफोरमेन्स गारण्टी व सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। इस ठेके के अन्तर्गत अन्य देय यदि कोई हो को भी जब्त कर लिया जायेगा तथा एजेन्सी को रेलवे पर कार्य करने से 2 (दो) वर्षों के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
11(x)	बोली क्षमता:- निविदा / तकनीकी बोली का मूल्यांकन GCC-April 2022 (अद्यतन संशोधित) के अनुबंध- VI के रूप में विस्तृत बोली क्षमता फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। बोली क्षमता की गणना 20 करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए की जाएगी। या जैसा कि रेलवे द्वारा निर्देश / एनआईटी द्वारा कार्य के लिए जारी किया गया है
11(xi)	बोली पूर्व सम्मेलन: 50 करोड़ रुपये से अधिक या निविदा दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य वाले इच्छुक, रेलवे संभावित बोलीदाताओं के साथ पूर्व बोली सम्मेलन आयोजित करेगा।
11(xii)	मेक इन इंडिया पॉलिसी: सरकार द्वारा जारी मेक इन इंडिया पॉलिसी 2017 के प्रावधान। निविदाओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर संशोधित भारत सरकार का पालन किया जाएगा।
11(xiii)	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले के लिए बोली लगाने की अनुमति: भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों का कोई भी बोलीदाता किसी भी कार्य (टर्नकी परियोजनाओं सहित) की खरीद में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता पंजीकृत है। सक्षम प्राधिकारी। पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी। इस पैरा की व्याख्या के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23/07/2020 को संदर्भित किया जाएगा।
11(xiv)	बोलियों का स्पष्टीकरण: निविदा की परीक्षा, मूल्यांकन और तुलना और पूर्व योग्यता में सहायता करने के लिए, रेलवे अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण जो रेलवे के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा या उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए रेलवे का अनुरोध और इस संबंध में बोलीदाता की प्रतिक्रिया लिखित में होगी। तथापि, यदि कोई बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए रेलवे अनुरोध में सूचित दिनांक और समय तक अपनी बोली का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो बोली के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार बोली का मूल्यांकन किया जाएगा।

12	ऊपर बताए गए किसी भी शर्त के साथ अनुपालन निविदा को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी है।
13	पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि
13(i)	निविदादाता को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिये कि निविदा को स्वयं (प्रोपराईटर फर्म) या पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/जोईण्ट वेन्चर/रजिस्टर्ड शोसायटी/ रजिस्टर्ड ट्रस्ट/ अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ)/सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) इत्यादि के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। निविदादाता को संस्थान से संबंधित कागजात एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना चाहिये। जैसा भी केस होए निविदा के कागजात उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये जो कि फर्म/ए कम्पनी/ए संगठन/ए ट्रस्ट या सोसायटी के द्वारा विधिक रूप से अधिकृत हो।
13(ii)	यदि निविदादाता सोल प्रोपराईटर फर्म के अलावा होने के स्थिति में निविदादाता द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
(a)	एकमात्र प्रोपराईटरशिप फर्म: उपरोक्त पैरा 11 के संदर्भ में अन्य सभी दस्तावेज {जीसीसी अप्रैल 2022 का पैरा 10 (अधतन संशोधित)}।
(b)	HUF: (i) स्टैम्प पेपर पर नोटरीकृत हलफनामे की एक प्रति यह घोषित करते हुए कि वह जो एचयूएफ की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा है, वह हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के 'कर्ता' की स्थिति में है और उसके पास अधिकार, शक्ति और सहमति है। अन्य सदस्यों द्वारा एचयूएफ की ओर से कार्रवाई करने के लिए। (ii) उपरोक्त पैरा 11 के संदर्भ में अन्य सभी दस्तावेज {जीसीसी अप्रैल 2022 का पैरा 10 (अधतन संशोधित)}।
(c)	पार्टनरशिप फर्म : निविदाकर्ता जीसीसी अप्रैल 2022 (अधतन संशोधित) के पैरा 18 के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज जमा करेगा।
(d)	संयुक्त उद्यम (जेवी): निविदाकर्ता जीसीसी अप्रैल 2022 (अधतन संशोधित) के खंड 17 में उल्लिखित दस्तावेज जमा करेगा।
(e)	कंपनी अधिनियम -2013 के तहत पंजीकृत कंपनी: निविदाकर्ता प्रस्तुत करेगा (i) कंपनी की एमओए (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) / एओए (एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन) की प्रतियां और (ii) निगमन प्रमाण पत्र की एक प्रति (iii) कंपनी की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण (पावर ऑफ अटॉर्नी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समर्थित) के लिए प्राधिकरण / पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति और कंपनी के खिलाफ दायित्व बनाएँ। (iv) उपरोक्त पैरा 11 के संदर्भ में अन्य सभी दस्तावेज {जीसीसी अप्रैल 2022 का पैरा 10 (अधतन संशोधित)}।
(f)	एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) फर्म: यदि निविदा जमा की जाती है (i) एलएलपी समझौते की एक प्रति (ii) निगमन के प्रमाण पत्र की एक प्रति (iii) एलएलपी की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति के पक्ष में एलएलपी द्वारा जारी मुख्तारनामा/प्राधिकरण की एक प्रति और इसके खिलाफ दायित्व बनाने के लिए एलएलपी। (iv) एलएलपी के सभी भागीदारों द्वारा एक उपक्रम कि उन्हें रेलवे या सरकार के किसी अन्य मंत्रालय / विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट या डिबार नहीं किया गया है। भारत के निविदाओं / अनुबंधों में भाग लेने की तिथि के अनुसार, या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या किसी फर्म / एलएलपी या संयुक्त उद्यम में जिसमें वे भागीदार / सदस्य थे। उपरोक्त के संबंध में छिपाना/गलत जानकारी अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 62 के तहत निर्धारण के लिए अनुबंध को उत्तरदायी बना देगी। (v) उपरोक्त पैरा 11 के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज {जीसीसी अप्रैल 2022 का पैरा 10 (अधतन संशोधित)}।
(g)	पंजीकृत सोसायटी और पंजीकृत ट्रस्ट: निविदाकर्ता प्रस्तुत करेगा (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति (ii) सोसायटी ऑफ एसोसिएशन / ट्रस्ट डीड के ज्ञापन की एक प्रति (iii)

	निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और सोसाइटी / ट्रस्ट के खिलाफ दायित्व बनाने के लिए व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति . (iv) सोसायटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति (v) उपरोक्त पैरा 11 के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज {जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) का पैरा 10}।
13(iii)	यदि प्रस्तुत निविदा में यह उल्लेख नहीं है कि निविदा एक एकल स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/संयुक्त उद्यम/पंजीकृत कंपनी आदि की ओर से प्रस्तुत की जा रही है, तो निविदा को उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जिसने हस्ताक्षर किए हैं निविदा।
13(iv)	निविदा खुलने के बाद, एकल स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/पंजीकृत कंपनी/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सोसायटी/एचयूएफ/एलएलपी आदि के गठन से संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर न तो पूछा जाएगा और न ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक डोमेन (अर्थात्, इंटरनेट आदि पर) या रेलवे के रिकॉर्ड / कार्यालय की फाइलों आदि में उपलब्ध किसी भी दस्तावेज का कोई स्वतः संज्ञान निविदा पर विचार के लिए नहीं लिया जाएगा, यदि प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव में ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है।
13(v)	जेवी/पार्टनरशिप फर्म आदि से प्राप्त निविदा पर तभी विचार किया जाएगा जब निविदा शर्तों के अनुसार अनुमति हो।
13(vi)	रेलवे निविदा जमा करने के बाद किए गए फर्म की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए बाध्य नहीं होगा। रेलवे, हालांकि, उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद ऐसे मुख्तारनामा और परिवर्तनों को मान्यता दे सकता है, जिसकी लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
13(vii)	<p>निविदाकर्ता चाहे वह एकमात्र मालिक/कंपनी या साझेदारी फर्म/पंजीकृत सोसायटी/पंजीकृत ट्रस्ट/एचयूएफ/एलएलपी आदि हो, यदि वे एजेंट या व्यक्तिगत भागीदार (ओं) के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें निविदा के साथ जमा करना चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत मुहर लगी और प्रमाणित मुख्तारनामा की एक प्रति, चाहे वह फर्म का भागीदार हो या कोई अन्य व्यक्ति, विशेष रूप से उसे / उन्हें निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता है, निविदा जमा करें और आगे समझौते पर हस्ताक्षर करने के चरण तक निविदा / अनुबंध से निपटने के लिए, उस मामले को छोड़कर जहां ऐसा विशिष्ट व्यक्ति उपरोक्त उद्देश्यों के लिए साझेदारी विलेख / समझौता ज्ञापन / एसोसिएशन के लेख / बोर्ड में किए गए प्रावधान के माध्यम से अधिकृत है। संकल्प, जिसके विफल होने पर निविदा सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी।</p> <p>विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से मुहर लगी और प्रमाणित एक अलग मुख्तारनामा, चाहे वह फर्म का भागीदार हो या कोई अन्य व्यक्ति, विशेष रूप से उसे अधिकृत करते हुए, कार्य प्रदान करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। /उन्हें आवश्यकता पड़ने पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अन्य सभी संविदात्मक गतिविधियों से निपटने के लिए।</p> <p>नोट: एक मुख्तारनामा विदेश में निष्पादित और जारी किया जाता है, दस्तावेज को भारतीय दूतावास द्वारा भी वैध किया जाना चाहिए और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत किया जाना चाहिए जहां मुख्तारनामा जारी किया जा रहा है। हालांकि, हेग लेजिस्लेशन कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एक अनुरूप एपोस्टिल प्रमाण पत्र रखता है।</p>

14	दुर्घटना /प्राकृतिक आपदाएँ	
	मानव-जीवन को जोखिम में डालने वाली दुर्घटनाओं/प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ठेकेदार के सभी वाहन व उपकरण रेल प्रशासन द्वारा ड्राफ्ट किए जा सकते हैं।	
15	बयाना राशि:- निविदाओं के साथ बोली प्रतिभूति होनी चाहिये, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-	
	कार्य का मूल्य (निविदा मूल्य)	बोली प्रतिभूति
	अनुमानित एक करोड़ रु. तक के कार्य के लिए	कार्य के अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत
	अनुमानित एक करोड़ रु. से अधिक के कार्य के लिए	रु. 2 लाख तथा 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) एक करोड़ रु. से जो अधिक लागत हो उसके लिए जो पुनः एक करोड़ से अधिक न हो।
	जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के भाग-1 (आईटीटी) के पैरा 5(1) (ए) के तहत प्रदान की गई छूट के अधीन, निविदा के साथ निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित बोली सुरक्षा संलग्न होनी चाहिए, अन्यथा निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।	
15(i)	बोली सुरक्षा या तो ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से नकद में जमा की जाएगी या भारत के एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड के रूप में जमा की जाएगी या जैसा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। बैंक गारंटी बांड एनेक्सर ए2 के अनुसार होगा और बोली की वैधता अवधि के बाद 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।	
	<p>बैंक गारंटी के रूप में बोली सुरक्षा जमा करने के मामले में, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:</p> <p>i. निविदा के लिए आवेदन करते समय बैंक गारंटी की स्कैन प्रति ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (आईआरईपीएस) पर अपलोड की जाएगी।</p> <p>ii. मूल बैंक गारंटी बोली जमा करने की अंतिम तिथि (यानी बोली जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) से पहले निविदा दस्तावेज में बताए अनुसार नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सौंपी जानी चाहिए। या Sr.DEN/Co., के कार्यालय, इंजीनियरिंग शाखा, डीआरएम कार्यालय, बीकानेर-334001 में।</p> <p>iii. ई-टेंडरिंग पोर्टल (आईआरईपीएस) पर बोली के साथ बैंक गारंटी की स्कैन कॉपी जमा नहीं करने और/या निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर बोली को संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>iv. निविदा सुरक्षा निविदा की वैधता अवधि के बाद 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।</p> <p>v. वास्तविक रूप से प्रस्तुत बीजी का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए, ऐसा न करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>vi. बैंक गारंटी को एक लिफाफे में रखा जाएगा, जिसे सील किया जाएगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "***** परियोजना के लिए बोली" की पहचान होगी और बोली लगाने वाले का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होगा। इसके अलावा, बोली की नियत तारीख लिफाफे के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर इंगित की जानी चाहिए।</p> <p>vii. लिफाफा अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित</p>	

	पता होना चाहिए। viii. यदि लिफाफा को ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सील और चिह्नित नहीं किया जाता है, तो रेलवे प्रस्तुत बोली की सामग्री के खो जाने या समय से पहले खुलने और बोलीदाता को होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
15(ii)	<p>औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी फर्म को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऊपर वर्णित बोली सुरक्षा के भुगतान से छूट दी जाएगी।</p> <p>(i) 100% सरकार। स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों को ऊपर वर्णित बोली सुरक्षा जमा के भुगतान से छूट दी जाएगी।</p> <p>(i) श्रम सहकारी समितियां ऊपर वर्णित बोली सुरक्षा जमा राशि का केवल 50% जमा करेंगी।</p>
15(iii)	<p>यदि उसकी निविदा स्वीकार कर ली जाती है,</p> <p>(i) ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से नकद में जमा उपरोक्त उप पैरा (ए) में उल्लिखित बोली सुरक्षा अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 16 के अनुसार अनुबंध की देय और वफादार पूर्ति के लिए आंशिक सुरक्षा के रूप में रखी जाएगी;</p> <p>बैंक गारंटी बांड के रूप में जमा की गई बोली सुरक्षा, अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 16 के अनुसार अनुबंध की देय और वफादार पूर्ति के लिए आंशिक सुरक्षा के रूप में भुनाई जाएगी।</p>
15(iv)	अन्य निविदाकारों की बोली सुरक्षा, जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, उन्हें वापस कर दी जाएगी, लेकिन रेलवे उनके कब्जे में होने पर बोली सुरक्षा के किसी भी नुकसान या मूल्यहास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और न ही ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उस पर।
15(v)	यदि ठेकेदार पूर्ण सुरक्षा जमाकर्ता या बोली सुरक्षा के बराबर या उससे अधिक की जमानत राशि के लिए सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी बांड जमा करता है, तो रेलवे उपरोक्त उप पैरा (सी) के अनुसार रखी गई बोली सुरक्षा को वापस कर देगा। ठेकेदार।
15(vi)	बैंक गारंटी बांड के रूप में बोली सुरक्षा Sr.DFM/NWR/BKN के पक्ष में जारी की जाएगी।
16	ऑफर की वैधता :-
	निविदाकर्ता (ओं) को निविदा बंद होने की तिथि से न्यूनतम 60 दिनों की अवधि (निविदा की दो पैकेट प्रणाली के मामले में 90 दिनों के लिए) के लिए खुला रखना होगा। यह समझा जाता है कि निविदा दस्तावेज निविदाकर्ता(ओं) को जारी कर दिए गए हैं और निविदाकर्ता(ओं) को इस शर्त पर विचार करने के लिए निविदा करने की अनुमति है/हैं कि इस अवधि के अधीन अपनी निविदा जमा करने के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है, यदि समय-समय पर आपसी सहमति से आवश्यक हो, तो वह अपने प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेगा या उसके नियमों और शर्तों को इस तरह से संशोधित नहीं करेगा जो उत्तर पश्चिम रेलवे को स्वीकार्य नहीं है। यदि निविदाकर्ता पूर्वोक्त शर्तों का पालन करने या उनका पालन करने में विफल रहता है, तो जमा की गई राशि या बैंक गारंटी बांड उपरोक्त शर्तों के उचित प्रदर्शन के लिए बोली सुरक्षा के रूप में जमा किया जाएगा, रेलवे को जब्त कर लिया जाएगा।

17	परफोरमेन्स गारंटी
17(a)	<p>सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी होने की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर एक परफोरमेन्स गारंटी (पीजी) जमा करनी होगी। एलओए जारी होने की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों से अधिक और 60 दिनों तक पीजी जमा करने के लिए समय का विस्तार प्राधिकरण द्वारा दिया जा सकता है जो अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है। हालांकि, 21 (इक्कीस) दिनों से अधिक की देरी के लिए, यानी एलओए जारी होने की तारीख के 22 वें दिन से 12% प्रति वर्ष का दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा, यदि रेलवे के संबंधित कार्यालय में 60 वें दिन को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगले कार्य दिवस पर पीजी जमा करना स्वीकार किया जा सकता है।</p> <p>अन्य सभी मामलों में, यदि ठेकेदार एलओए जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद भी अपेक्षित पीजी जमा करने में विफल रहता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।</p> <p>यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो रेलवे उस विशेष अनुबंध के लिए बोली सुरक्षा और ठेकेदार को देय अन्य देय राशि को जब्त करने का हकदार होगा, जो अधिकतम पीजी राशि के अधीन होगा।</p> <p>यदि किसी निविदाकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के रूप में अपने पंजीकरण के आधार पर बोली सुरक्षा जमा नहीं की है, तो डीआईपीपी को इस आशय की सूचना दी जाएगी।</p> <p>असफल ठेकेदार को उस कार्य के लिए पुनः निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।</p>
17(b)	सफल बोली लगाने वाला निम्न में से किसी रूप में निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा जो मूल अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत होगी -
(i)	नकद जमा
(ii)	अप्रत्यादेय बैंक गारंटी
(iii)	<p>बीमा जमानत बांड अनुबंध ए4 (जीसीसी 2022 का अनुबंध-XVII आज तक संशोधित)</p> <p>नोट: -</p> <ol style="list-style-type: none"> बीमा जमानत बांड का प्रावधान केवल 36 महीने के भीतर डीओसी वाले सभी अनुबंधों के लिए होगा। यदि डीओसी 36 महीने से अधिक बढ़ जाती है, तो शेष राशि के लिए जीसीसी में निर्धारित नया बीमा जमानत बांड या प्रदर्शन गारंटी का कोई अन्य रूप एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा समझौते की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
(iv)	बाजार दर से 5 प्रतिशत कम पर स्टेट लोन बॉण्ड सहित सरकारी प्रतिभूतियां।
(v)	भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश और डिमांड ड्राफ्ट।
(vi)	सभी भारतीय शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी गारंटी बॉण्ड या जमा रसीदें
(vii)	ड्राफ्ट घर बचत बैंक में कोई जमा
(viii)	राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा
(ix)	बारह वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र
(x)	दस वर्षीय रक्षा जमा
(xi)	राष्ट्रीय रक्षा बॉण्ड
(xii)	बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम या अंकित मूल्य जो भी कम हो, पर यूनिट ट्रस्ट प्रमाण-पत्र
(xiii)	वरि. मंडल वित्त प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर के पक्ष में जारी एफ डी आर (ऋण भार रहित) भी स्वीकार की जा सकती है।

17(c)	स्वीकृति-पत्र जारी होने के पश्चात सफल बोली लगाने वाले द्वारा, संविदा करार पर हस्ताक्षर से पहले निष्पादन गारंटी जमा की जाएगी। निष्पादन गारंटी कार्य पूर्णता की तिथि के 60 दिन बाद तक की वैध होगी। यदि कार्य पूर्णता की अवधि आगे बढ़ाई जाती है तो संविदाकर्ता को कार्यपूर्णता की बड़ी तिथि से 60 दिन बाद तक की निष्पादन गारंटी वैधता प्राप्त होगी
17(d)	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पीजी का मूल्य मूल अनुबंध मूल्य पर आधारित है और मूल अनुबंध मूल्य में बाद के बदलाव के कारण नहीं बदलेगा।
17(e)	निष्पादन गारंटी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्णता-प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्य की भौतिक पूर्णता के बाद विमुक्त की जाएगी। पूर्णता प्रमाण-पत्र में उल्लेख होगा कि संविदाकर्ता ने हर पहलू से संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण कर दिया है। तथापि जमानत जमा राशि कार्य समाप्ति की अनुरक्षण अवधि की पूर्णता तथा संविदाकर्ता से प्राप्त “नो-क्लेम प्रमाण पत्र” के आधार पर अन्तिम बिल के पास होने के बाद ही विमुक्त की जाएगी।
17(f)	जब भी अनुबंध को रद्द किया जाता है, अनुबंध के लिए पहले से जमा की गई प्रदर्शन गारंटी को भुनाया जाएगा
17(g)	निम्न स्थितियों में, संविदा के अन्तर्गत (संविदा करार के किसी अन्य व्यवस्था के बावजूद/किसी अन्य व्यवस्था के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के) भारत के राष्ट्रपति जिस राशि के हकदार है, इंजीनियर उसके अलावा निष्पादन गारंटी के अन्तर्गत कोई दावा नहीं करेगा:-
(i)	संविदाकर्ता द्वारा उपर दिए अनुसार निष्पादन गारंटी की वैधता बढ़ाने में विफल रहना, इस स्थिति में इंजीनियर निष्पादन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है
(ii)	संविदाकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति को, इंजीनियर द्वारा इस आशय का नोटिस जारी किए जाने के पश्चात 30 दिनों के अन्दर भुगतान करने में विफल रहने पर जिसे भुगतान के लिए संविदाकर्ता द्वारा सहमति दी गई हो या जो करार के किसी उपलब्धों/शर्तों के अधीन विनिश्चित किया गया हो।
(iii)	अनुबंध इन शर्तों के खंड 62 के तहत निर्धारित या रद्द किया जा रहा है।
17(h)	निष्पादन गारंटी बॉण्ड संलग्नक-I के अनुसार होगा।
18	सुरक्षा जमा राशि:
18(a)	कार्य हेतु जमानत राशि संविदा मूल्य का 5% होगी।
18(b)	पूरी जमानत राशि की वसूली होने तक वसूली की दर बिल राशि के 6% की दर से होगी।
18(c)	ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा के साथ जमा की गई बोली सुरक्षा को ठेकेदार द्वारा अनुबंध की देय और ईमानदारी से पूर्ति के लिए सुरक्षा के हिस्से के रूप में रेलवे द्वारा बरकरार रखा जाएगा / भुनाया जाएगा। बशर्ते कि, यदि ठेकेदार भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी नकद या सावधि जमा रसीद या भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी बांड, पूर्ण सुरक्षा जमाकर्ता को या तो बोली के बराबर या उससे अधिक जमा करता है सुरक्षा, रेलवे ठेकेदार को बोली सुरक्षा वापस कर देगा।

	<p>सुरक्षा जमा की शेष राशि ठेकेदार द्वारा नकद या भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी सावधि जमा रसीद या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया से जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी बांड में जमा की जा सकती है, या बिल राशि के 6% की दर से वसूल की जा सकती है। जब तक पूरी जमानत राशि वसूल नहीं हो जाती।</p> <p>बशर्ते यह भी कि चूककर्ता ठेकेदार के मामले में, रेलवे लंबित "अकाउंट बिल" पर ठेकेदार को भुगतान के लिए देय किसी भी राशि को अपने पास रख सकता है ताकि इस तरह रखी गई राशि (प्रदर्शन गारंटी के माध्यम से गारंटीकृत राशि सहित) 10% से अधिक न हो। अनुबंध का कुल मूल्य।</p>
	<p>सुरक्षा जमा के लिए जमा की गई अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी शुरू में रखरखाव अवधि और 60 दिनों की निर्धारित तिथि तक वैध होगी और मानक सामान्य शर्तों के खंड 17 ए और 17 बी के अनुसार दिए गए अनुबंध के विस्तार के आधार पर समय-समय पर बढ़ाई जाएगी। अनुबंध का।</p> <p>नोट: ठेकेदार द्वारा नकद में जमा की गई सुरक्षा जमा या ठेकेदार के चल रहे बिलों से वसूल की गई या ठेकेदार द्वारा सावधि जमा रसीद (रों) के रूप में जमा की गई, अनुसूचित वाणिज्यिक से जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी बांड के बदले ठेकेदार को वापस/वापस किया जा सकता है बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा के बराबर या उससे अधिक राशि के लिए जमा किया जाना है, बशर्ते कि, रुपये से कम मूल्य के अनुबंध में। 50 करोड़, पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा की ऐसी वापसी / वापसी की अनुमति दो बार तक और रुपये के बराबर या उससे अधिक मूल्य के अनुबंध में है। 50 करोड़, पहले से उपलब्ध सुरक्षा जमा की ऐसी वापसी / वापसी की अनुमति तीन गुना तक है।</p>
18(d)	<p>सुरक्षा जमा की वापसी: उपरोक्त उप खंड (1) में उल्लिखित सुरक्षा जमा निम्नलिखित के साथ या बाद में ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी:</p> <p>(ए) जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के खंड 51.1 के अनुसार अनुबंध का अंतिम भुगतान और</p> <p>(बी) अंतिम अनुपूरक समझौते का निष्पादन या इंजीनियर द्वारा प्रमाणन कि रेलवे का ठेकेदार पर कोई दावा नहीं है और</p> <p>(सी) जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के खंड 50.1 के अनुसार रखरखाव अवधि की समाप्ति पर जारी रखरखाव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।</p>
18(e)	<p>बोली सुरक्षा और सुरक्षा जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को जीसीसी के {उप-खंड 16. (4) (बी) के ऊपर 17 (बी) के पैरा के अनुसार जमा किया गया है। अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित)} उस पर अर्जित ब्याज के साथ देय होगा।</p>
18(f)	<p>ठेकेदार को अग्रिम - यदि विशेष रूप से 50 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापित मूल्य के निविदा दस्तावेजों में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, तो रेलवे ठेकेदार के अनुरोध के अनुसार, ब्याज वाले अग्रिम के रूप में भुगतान करेगा। इन अग्रिमों पर साधारण ब्याज _____ होगा जैसा कि निविदा दस्तावेजों में दर्शाया गया है। ऐसे अग्रिमों का भुगतान और वसूली अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों {जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित)} के खंड 46.4 में निर्धारित तरीके के अनुसार की जाएगी।</p>

19	ठेकेदार की चूक के कारण अनुबंध का निर्धारण:-
	यदि ठेकेदार की चूक के कारण अनुबंध रद्द कर दिया जाता है-
19(a)	सुरक्षा जमा की जब्ती: जब भी इन शर्तों के खंड 62 (1) के तहत अनुबंध को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, तो अनुबंध के तहत रेलवे के पास पहले से मौजूद सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, इन शर्तों के खंड 62 (1) के तहत अनुबंध को आंशिक रूप से या भागों में रद्द करने की स्थिति में, सुरक्षा जमा को जब्त नहीं किया जाएगा।
19(b)	निम्नलिखित स्थितियों में, उन राशियों को छोड़कर जिनके लिए संविदा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अधिकृत हैं, निष्पादन गारंटी के अंतर्गत इंजीनियर कोई दावा नहीं करेगा (संविदा एग्रीमेंट में किसी अन्य उपबंध के प्रति पूर्वाग्रह के बिना या/विचार न करते हुए)-
(i)	यहां ऊपर बढ़ाए अनुसार ठेकेदार के निष्पादन गारंटी वैद्यता को आगे बढ़ाने में विफल रहने पर इंजीनियर पूर्ण निष्पादन गारंटी की राशि का दावा करेगा।
(ii)	संविदाकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति को करार के किसी उपबंध/करार की शर्तों के अंतर्गत यथा-सहमत या निर्धारित बकाया राशि के भुगतान में विफल रहने पर इंजीनियर द्वारा इस आशय के नोटिस की सर्विस के 30 दिवस के भीतर।
(iii)	जी.सी.सी. की व्यवस्था के अंतर्गत संविदा के निर्धारित/निरस्त होने पर पूरी निष्पादन गारंटी जब्त करली जाएगी व पूर्णतया भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर होगी।
19(c)	हालांकि, निरस्त संविदा के मामले में रेलवे के दावों की वसूली, अंतिम बिल, जमानत जमा तथा अन्य संविदा की निष्पादन गारंटी या संविदाकर्ता द्वारा अन्य संविदाओं के सापेक्ष जमा निष्पादन गारंटी आवश्यक होने पर रोकी जा सकती है और उसका नकदीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके बाद के हर ऑन एकाउंट बिल का 10 प्रतिशत आवश्यक होन पर निरस्त संविदा के सापेक्ष रेलवे बकाया वसूली के लिए रोका जा सकता है।
19(d)	कार्य के भाग (भागों) को उतारना: कार्य के पूरा होने / चालू करने के अंतिम चरण में, यदि ठेकेदार काम के अंतिम भाग को पूरा करने में विफल रहता है और काम के ऐसे हिस्से का मूल्य सीमित है ठेकेदार के लिखित अनुरोध के बाद या 14 (चौदह) दिनों की स्व-प्रेरणा नोटिस की सेवा के बाद, मूल अनुबंध मूल्य के 5% तक, इंजीनियर काम के ऐसे हिस्से (भागों) को उतारने की अनुमति/निर्णय ले सकता है { अनुबंध के अनुसार- जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के VIIA}, यदि इंजीनियर की राय है कि: - (i) कार्यों की इस तरह की ऑफलोडिंग (मूल अनुबंध मूल्य के 5% तक) अनुबंध/कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होगी, (ii) इस स्तर पर अनुबंध की समाप्ति / आंशिक समाप्ति रेलवे/कार्य के हित में नहीं है; और (iii) अन्य तरीकों से ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमानित अतिरिक्त लागत पर्याप्त नहीं होगी और ठेकेदार के लंबित बकाया से वसूल की जा सकती है; ठेकेदार को, नियत समय में, अन्य एजेंसी(यों) के माध्यम से इस तरह के ऑफलोड किए गए कार्य के

	निष्पादन की विधि और लागत के बारे में इंजीनियर द्वारा सूचित किया जाएगा {जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के अनुबंध-VIIB के अनुसार}। ऑफलोड किए गए कार्य के निष्पादन में इस प्रकार किया गया अतिरिक्त व्यय, बाद के बिलों या ठेकेदार के किसी अन्य देय राशि से वसूल किया जाएगा, लेकिन अनुबंध में उपलब्ध प्रदर्शन गारंटी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। शेष अनुबंध के निष्पादन पर इस तरह के ऑफलोडिंग का कोई अन्य प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त उल्लिखित कार्यों को उतारने के संबंध में ठेकेदार का कोई दावा नहीं होगा।
20	फर्म/सोसाईटी आदि का संविधान-
20(a)	यदि किसी साझेदारी फर्म के किसी भागीदार की निविदा जमा करने के बाद या उसकी निविदा की स्वीकृति के बाद समाप्त हो जाती है, तो रेलवे ऐसी निविदा को रद्द/अनुबंध के रूप में अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 61 के तहत समाप्त माना जाएगा, जब तक कि साझेदारी समझौते के अनुसार फर्म अपने चरित्र को बरकरार रखती है। यदि एक एकल मालिक निविदा जमा करने के बाद या निविदा की स्वीकृति के बाद समाप्त हो जाता है, तो रेलवे ऐसी निविदा को रद्द / अनुबंध के रूप में अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों के खंड 61 के तहत समाप्त माना जाएगा।
20(b)	पावर ऑफ अटॉर्नी पार्टनर शिप डीड आदि जैसे किसी भी दस्तावेज को रद्द करने की सूचना तत्काल रेलवे को लिखित रूप में दी जाएगी, ऐसा न करने पर उक्त दस्तावेजों के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21	निविदा की दर
21(a)	दर देने से पहले श्रम व सामग्री व हर प्रकार की सामान्य वस्तुओं की दरों में सभी संभावित परिवर्तनों पर विचार कर लेना चाहिए और इस संबंध में रेलवे किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं करेगी। (कोई भी मूल्य वृद्धि उप खण्ड स्वीकार्य नहीं है जब तक कि दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख न हो)।
21(b)	निविदाकर्ता अपनी दरें नहीं बढ़ाएगा यदि रेल प्रशासन दर कम करने/विशेष शर्तों के लिए वार्ता कर रहा हो। ऐसी वार्ता, रद्दकरण या मूल प्रस्ताव वापस लेने के तुल्य नहीं होगी और निविदाकर्ता मूल प्रस्ताव से आबद्ध होगा यदि यह वार्ता द्वारा तय प्रस्ताव से कम हो।
21(c)	मांगे जाने पर निविदाकर्ता दरों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।
21(d)	चुंगी, रायल्टी, टोल टैक्स तथा केन्द्र या राज्य सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले अन्य करों को निविदाकर्ता वहन करेगा। ठेकेदार के मजदूर व सामग्री के ऐसे किसी भी कर का भुगतान रेलवे नहीं करेगी। बैलास्ट आपूर्ति कार्यों के लिए, खनिज विभाग से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य का फाईनल बिल का भुगतान किया जायेगा।
Note (i)	मॉडल जीएसटी कानून के शेड्यूल-11 के अनुसार वर्क्स कॉन्टेक्ट को सर्विस की आपूर्ति माना जायेगा।
(ii)	समय-समय पर सरकार/ संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी जीएसटी कानून एवं नियम लागू होंगे।
(iii)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता/पार्टी अपनी फर्म को जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान नम्बर) के तहत रजिस्टर्ड करवायेगा।

22	निविदाएं प्रस्तुत करने में सावधानी:
22(a)(i)	निविदा प्रस्तुत करने से पहले, निविदाकार को साइट और कार्यों के इलाके के वास्तविक निरीक्षण से खुद को संतुष्ट माना जाएगा, कि कार्यों के निष्पादन के दौरान आने वाली सभी शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और वह दरों में प्रवेश करता है निविदा प्रपत्र पर्याप्त हैं और इंजीनियर की संपूर्ण संतुष्टि के लिए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों (जैसा कि नीचे पैरा संख्या 23 में उल्लिखित है) के खंड -37 में प्रावधानों के अनुसार सभी समावेशी हैं।
22(a)(ii)	निविदाकर्ता केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी)/एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (आईजीएसटी)/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (यूटीजीएसटी)/संबंधित राज्य के राज्य के माल और के विभिन्न प्रावधानों की जांच करेंगे। सेवा कर अधिनियम (एसजीएसटी) भी, जैसा कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। और समय-समय पर संशोधित और बोली लगाने से पहले लागू करा। निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि दरों को उद्धृत करते समय उनके द्वारा संभावित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
22(a)(iii)	सफल निविदाकार जो सीजीएसटी/आईजीएसटी/यूटीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, अनुबंध के पुरस्कार के तुरंत बाद सीजीएसटी/आईजीएसटी/यूटीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक अन्य विवरणों के साथ जीएसटीआईएन प्रस्तुत करेगा, जिसके बिना कोई भुगतान नहीं होगा। ठेकेदार को जारी किया। संबंधित प्राधिकारी को लागू जीएसटी जमा करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
22(a)(iv)	यदि सफल निविदाकार सीजीएसटी / आईजीएसटी / यूटीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो रेलवे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत अपने बिलों से लागू जीएसटी काटेगा और संबंधित प्राधिकरण को जमा करेगा।
22(a)(v)	यदि भारतीय रेलवे के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर अधिकारियों द्वारा नीचे उल्लिखित कारणों से अस्वीकार/अस्वीकार कर दिया जाता है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, तो ठेकेदार भारतीय रेलवे को जीएसटी के रूप में एकत्र की गई राशि, साथ में यदि अधिकारियों द्वारा कोई ब्याज और जुर्माना लगाया गया हो, का भुगतान वापसी करने के लिए / उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा गलत/गलत चालान जारी किए गए हैं; जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करना; भारतीय रेलवे से एकत्रित जीएसटी का अधिकारियों को भुगतान न करना; ठेकेदार द्वारा किया गया कोई अन्य गैर-अनुपालन;

	<p>सामान्य क्षतिपूर्ति: ठेकेदार एतद्वारा भारतीय रेलवे को किसी भी और सभी नुकसानों से क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण होने वाला नुकसान और किसी वास्तविक से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले भारतीय रेलवे को होने वाले सभी नुकसान शामिल हैं। या जीएसटी और संबंधित कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी विफलता के आधार पर या उससे उत्पन्न होने वाले भारतीय रेलवे द्वारा या उसके खिलाफ दावा, कानूनी कार्रवाई, कार्यवाही, अभियोजन या जांच की धमकी दी गई है। ठेकेदार।</p> <p>रिटेंशन मनी: भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के खिलाफ ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले किसी भी भुगतान को रोक दिया जाएगा, यदि आपूर्तिकर्ता किसी भी जीएसटी कानून प्रावधानों का गैर-अनुपालन करता है, जिसमें गैर-अनुपालन भी शामिल है। जीएसटी रिटर्न में चालान की रिपोर्टिंग। ऐसा भुगतान जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड के उचित सत्यापन और भारतीय रेलवे को आईटीसी की उपलब्धता के बाद जारी किया जाएगा।</p>
22(b)	जब किसी फर्म या कंपनी द्वारा काम के लिए निविदा दी जाती है, तो उनकी ओर से प्रतिबद्धताओं में प्रवेश करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
22(c)	रेलवे निविदाकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी मुख्तारनामा या अनुबंध के निष्पादन के बाद फर्म की संरचना में परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं होगा। हालांकि, यह उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद ऐसे मुख्तारनामा और परिवर्तनों को मान्यता दे सकता है, जिसकी लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
23	कार्यों की वस्तुओं के लिए दरें:
23(a)	<p>अनुबंध की मात्रा के स्वीकृत बिलों में दर्ज की गई दरों का उद्देश्य अनुबंध की सामान्य और विशेष (यदि कोई हो) शर्तों और विनिर्देशों और चित्रों के साथ-साथ इस तरह के विस्तार, विस्तार, इन शर्तों के खंड 42 (जैसा कि नीचे पैरा संख्या 33 में उल्लिखित है) के अनुसार आदेश दिया जा सकता है, कमी, कटौती, परिवर्तन या परिवर्धन और इसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधीक्षण और श्रम, आपूर्ति को शामिल और कवर करने के लिए समझा जाएगा। सामग्री, स्टोर, पैटर्न, प्रोफाइल, मोल्ड, फिटिंग, सेंट्रिंग, मचान, शोरिंग प्रॉप्स, लकड़ी, मशीनरी, बैरक, टैकल, सड़कें, खूंटे, पोस्ट, उपकरण और कार्यों पर आवश्यक सभी उपकरण और संयंत्र के पूर्ण माल सहित, ऐसे को छोड़कर रेलवे द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति किए जाने वाले अनुबंध में निर्दिष्ट उपकरण, संयंत्र या सामग्री, सभी अस्थायी कार्यों और भवनों के निर्माण, रखरखाव और हटाने, ए निगरानी, प्रकाश व्यवस्था, बेलिंग, पंपिंग और ड्रेनिंग, अतिचार के लिए सभी रोकथाम या मुआवजा, कार्यों के निष्पादन के दौरान जनता या कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी बाधाएं और व्यवस्थाएं, श्रम शिविरों के लिए सभी स्वच्छता और चिकित्सा व्यवस्थाएं निर्धारित की जा सकती हैं रेलवे द्वारा, सभी कार्यों की स्थापना और सभी केंद्र लाइनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, बेंच मार्क और लेवल पेग्स, साइट क्लीयरेंस, सभी शुल्क शुल्क, रॉयल्टी, किराया और मालिकों को सतह क्षति या करों और अधिरोपण के लिए मुआवजा भूमि, संरचनाओं और काम के लिए आपूर्ति की गई सभी सामग्री या अन्य कर्तव्यों या खर्चों के संबंध में स्थानीय अधिकारियों को देय, जिसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी हो सकता है या कानून के किसी प्रावधान के तहत या निष्पादन के संबंध में रखा जा सकता है अनुबंध और ऐसे सभी अन्य आकस्मिक शुल्क या आकस्मिकताएं जो विनिर्देशों में विशेष रूप से प्रदान की गई हों।</p>

23(b)	तथापि, यदि कार्य अनुबंध के लिए जीएसटी पर मौजूदा जीएसटी या उपकर की दरों में वृद्धि की जाती है या कार्य अनुबंध पर कोई नया कर/उपकर निविदा खोलने की तिथि के बाद, लेकिन पूर्ण होने की मूल तिथि/पूर्ण होने की तिथि के भीतर खंड के तहत बढ़ाया जाता है। 17 और 17ए और उसके बाद ठेकेदार ऐसे करों/उपकर का उचित भुगतान करता है, ठेकेदार को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
23(c)	इसके अलावा, यदि कार्य अनुबंध के लिए जीएसटी पर मौजूदा जीएसटी या उपकर की दरों में कमी की जाती है या कार्य अनुबंध पर किसी भी कर/उपकर को निविदा खोलने की तारीख के बाद कानून द्वारा घटाया/हटा दिया जाता है, तो कर राशि में कमी ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी/ सुरक्षा जमा या भारत सरकार के पास ठेकेदार का कोई अन्य बकाया।
24	पूर्णता अवधि:-
	अप्रत्याशित घटना खंड: यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्यों के कारण रोका या विलंबित किया जाएगा, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग से गंभीर नुकसान या क्षति, विस्फोट, महामारी / महामारी, हड़ताल, तालाबंदी या भगवान के कार्य (इसके बाद, घटनाओं के लिए संदर्भित) प्रदान की जाती है, ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है इसके घटित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में किसी भी पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ नुकसान का कोई दावा नहीं होगा, और इस तरह की घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद अनुबंध के तहत काम जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा, और इंजीनियर का निर्णय कि काम फिर से शुरू किया गया है या नहीं, अंतिम और निष्कर्ष होगा भ्रामक, बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक प्रदर्शन को 120 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अन्य पक्ष।
24(a)	कार्य, संदर्भ में, निविदा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूरा किया जाना आवश्यक है क्योंकि समय अनुबंध का सार है। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊपर निर्धारित समय के भीतर सभी तरह से काम पूरा हो गया है, इंजीनियर की संतुष्टि के लिए स्थिर और नियमित प्रगति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। असफल होने पर रेलवे द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है- अप्रैल 2022 अद्यतन संशोधित समय-समय पर संशोधित। ठेकेदार को इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ निकट समन्वय में कार्यों के निष्पादन की योजना बनानी चाहिए।
24(b)	कार्य स्थल पर साइट निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है जिसमें ठेकेदार इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा की गई दैनिक प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार को साइट निरीक्षण रजिस्टर में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है और उचित समय के भीतर अनुपालन करना चाहिए। ठेकेदार को जारी किए गए सभी पत्र आदि कार्य स्थल पर या रेलवे में उसके पंजीकृत पते पर प्राप्त होंगे।

24(c)	<p>जीसीसी के खंड 17 (ए) के तहत अनुबंधों में समय का विस्तार: अनुबंध में किसी भी आवश्यकता के अधीन काम के किसी भी हिस्से या हिस्से को पूरा करने से पहले पूरा करने के लिए, ठेकेदार पूरी तरह से और अंत में पूरे काम को पूरा करेगा। अनुबंध में शामिल (ऐसे संशोधनों के साथ जैसा कि इस अनुबंध की शर्तों के तहत निर्देशित किया जा सकता है) अनुबंध में दर्ज तिथि या निम्नलिखित खंडों के अनुसार विस्तारित तिथि तक:</p>
24(c)(i)	<p>संशोधन के कारण विस्तार: यदि कोई संशोधन का आदेश दिया गया है, जिसने अभियंता की राय में कार्य के परिमाण में भौतिक रूप से वृद्धि की है, तो अनुबंध की समाप्ति की तारीख का ऐसा विस्तार दिया जा सकता है जो अभियंता को उचित प्रतीत होता है इसके अलावा, बशर्ते कि ठेकेदार तारीख के ऐसे विस्तार का अनुरोध करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है जैसे ही इसका कारण उत्पन्न होगा।</p>
24(c)(ii)	<p>देरी के लिए विस्तार रेलवे या ठेकेदार के कारण नहीं है: यदि इंजीनियर की राय में, रेलवे के कर्मचारियों या रेलवे द्वारा उप-खंड (4) के तहत नियोजित अन्य ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्य या उपेक्षा के कारण कार्य की प्रगति में किसी भी समय देरी हुई है। जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के खंड 20 के या कार्य को निष्पादित करने में जो अनुबंध का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस पर ठेकेदार का प्रदर्शन आवश्यक रूप से निर्भर करता है या कार्यवाही के कारण या उसके द्वारा या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ विवाद के कारण या ठेकेदार के माध्यम से अन्यथा उत्पन्न होता है स्वयं की चूक आदि या इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत देरी से लंबित मध्यस्थता या ठेकेदार के रेलवे से आवश्यक समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को लिखित रूप में आवेदन किया होगा। ऐसी किसी भी घटना के कारण देरी होने पर, ठेकेदार तुरंत 15 दिनों के भीतर इंजीनियर को लिखित रूप में नोटिस देगा ऐसा होने पर, लेकिन फिर भी देरी को कम करने या ठीक करने के लिए लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियर की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो उससे उचित रूप से आवश्यक हो सकता है। ठेकेदार उस अवधि का भी उल्लेख कर सकता है जिसके लिए कार्य में देरी होने की संभावना है और समय के आवश्यक विस्तार के लिए पूछने के लिए बाध्य होगा।</p>
24(c)(iii)	<p>रेलवे के कारण देरी के लिए विस्तार: रेलवे द्वारा किसी भी विफलता या देरी की स्थिति में ठेकेदार को कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि का कब्जा सौंपने के लिए या कार्यों को शुरू करने के लिए आवश्यक नोटिस देने या आवश्यक ड्राइंग प्रदान करने के लिए या निर्देश या रेलवे द्वारा किसी अन्य कारण से हुई कोई अन्य देरी, तो ऐसी विफलता या देरी किसी भी तरह से अनुबंध को प्रभावित या खराब नहीं करेगी या उसके चरित्र को परिवर्तित नहीं करेगी या ठेकेदार को नुकसान या मुआवजे का हकदार नहीं होगा, लेकिन ऐसे किसी भी मामले में मामले में, रेलवे ऐसे विस्तार या पूर्णता तिथि के विस्तार को मंजूरी दे सकता है जिसे उचित माना जा सकता है।</p>

	<p>ठेकेदार उस अवधि को इंगित करेगा जिसके लिए काम में देरी होने की संभावना है और समय के विस्तार की मांग करेगा जैसा कि उपरोक्त खंड 17 ए (i) या / और 17 ए (ii) या / और 17 ए (iii) के तहत आवश्यक समझा जा सकता है, जैसे ही क्योंकि इसके कारण उत्पन्न होंगे और, किसी भी मामले में, कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले नहीं होना चाहिए। इंजीनियर उस पर विचार करेगा और समय का ऐसा विस्तार प्रदान करेगा और सूचित करेगा जैसा कि उसकी राय में देरी की प्रकृति और अवधि और उससे प्रभावित कार्य के प्रकार और मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस प्रकार विस्तारित अवधि के लिए आगे किए गए कार्यों के लिए कोई अन्य मुआवजा देय नहीं होगा; लागू होने वाले अनुबंध की समान दरें, नियम और शर्तें, जैसे कि ऐसी विस्तारित अवधि मूल रूप से मूल अनुबंध में ही प्रदान की गई थी।</p> <p>कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि की समाप्ति से पहले 15 दिनों से कम समय के भीतर विस्तार के लिए अनुरोध या अनुरोध प्रस्तुत न करना, उसे इन उप-खंडों के तहत विस्तार के लिए अयोग्य बना देगा, जो कि इंजीनियर के अंतिम निर्णय के अधीन है।</p>
24(d)	<p>जीसीसी के खंड 17 (बी) के अनुसार, ठेकेदार के कारण देरी के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) के साथ समय का विस्तार: कार्य के निष्पादन का समय या अनुबंध दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्यों के हिस्से का सार माना जाएगा अनुबंध और कार्यों को अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि (तारीखों) के बाद में पूरा नहीं किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार खंड 17 और 17-ए में निर्दिष्ट कारणों के अलावा अन्य कारणों से अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो रेलवे संतुष्ट हो सकता है कि ठेकेदार द्वारा उचित समय के भीतर काम पूरा किया जा सकता है। उसके बाद, ठेकेदार को समय के और विस्तार के लिए अनुमति दें (जीसीसी के अनुबंध-VII में प्रोफार्मा) जैसा कि इंजीनियर तय कर सकता है। इस तरह के विस्तार पर रेलवे उस ओर से उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार और उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार से सहमत नुकसान के रूप में वसूल करने का हकदार होगा, न कि प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के हिस्से के लिए दंड के रूप में, दर पर गणना की गई राशि प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के हिस्से के लिए कार्य के अनुबंध मूल्य के 0.05% से 0.30% के बीच, इंजीनियर द्वारा तय किए गए परिसमापन नुकसान का।</p> <p>इस खंड के प्रयोजन के लिए, कार्यों के अनुबंध मूल्य को अनुबंध अनुबंध के अनुसार कार्य के मूल्य के रूप में लिया जाएगा, जिसमें कोई भी पूरक कार्य आदेश / जारी अनुबंध अनुबंध शामिल है। बशर्ते, इस शर्त के तहत परिसमाप्त नुकसान की कुल राशि अनुबंध मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगी या आइटम के कुल मूल्य या काम की वस्तुओं के समूह जिसके लिए अनुबंध में एक अलग अलग पूर्णता अवधि निर्दिष्ट है।</p>
24(e)	<p>बशर्ते आगे, यदि रेलवे संतुष्ट नहीं है कि ठेकेदार द्वारा काम पूरा किया जा सकता है और ठेकेदार की ओर से पूर्वोक्त अनुमत समय के आगे विस्तार के भीतर काम पूरा करने में विफलता की स्थिति में, रेलवे बिना हकदार होगा इस संबंध में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव, ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि को विनियोजित करने और इन शर्तों के खंड 62 के तहत अनुबंध को रद्द करने के लिए, चाहे वास्तविक क्षति इस तरह की चूक के कारण हुई हो या नहीं।</p>

	<p>नोट: एक अनुबंध में, जहां क्लॉज 17बी के तहत एक बार समय के विस्तार की अनुमति दी गई है, क्लॉज 17 ए के तहत समय के विस्तार के लिए आगे के अनुरोध पर भी असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है। खंड 17ए के तहत समय का ऐसा विस्तार बिना किसी परिसमापन क्षति के होगा, लेकिन खंड 17बी के तहत पहले दिए गए समय के विस्तार (ओं) के दौरान पहले से ही वसूल किए गए परिसमापन नुकसान को माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस तरह के विस्तार (विस्तार) के दौरान मूल्य भिन्नता को खंड 17 बी के तहत समय के विस्तार के लिए लागू माना जाएगा।</p>
24(f)	<p>काम के जल्दी पूरा करने के लिए बोनस: 50 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापित मूल्य और 12 महीने या उससे अधिक की मूल अवधि वाली खुली निविदाओं में, जब काम के मूल दायरे में 10% से अधिक की कमी नहीं होती है, और कोई विस्तार नहीं दिया जाता है या तो रेलवे या ठेकेदार के खाते में, ठेकेदार प्रत्येक 30 दिनों के काम को जल्दी पूरा करने के लिए 1% के बोनस का हकदार होगा। बोनस की गणना करते समय 30 दिनों से कम की अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अधिकतम बोनस मूल अनुबंध मूल्य के 5% तक सीमित होगा। पूर्णता तिथि को इंजीनियर द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के रूप में माना जाएगा।</p>
25	<p>भुगतान की दरें:-</p>
25(a)	<p>ठेकेदार द्वारा दी गई और रेलवे द्वारा स्वीकृत दरें इस अनुबंध के तहत किए गए कार्यों की ऐसी वस्तुओं के भुगतान का आधार बनेंगी।</p> <p>तथापि, यदि कार्य अनुबंध के लिए जीएसटी पर मौजूदा जीएसटी या उपकर की दरों में वृद्धि की जाती है या कार्य अनुबंध पर कोई नया कर/उपकर निविदा खोलने की तिथि के बाद, लेकिन पूर्ण होने की मूल तिथि/पूर्ण होने की तिथि के भीतर खंड के तहत बढ़ाया जाता है। 17 और 17ए और उसके बाद ठेकेदार ऐसे करों/उपकर का उचित भुगतान करता है, ठेकेदार को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।</p> <p>इसके अलावा, यदि कार्य अनुबंध के लिए जीएसटी पर मौजूदा जीएसटी या उपकर की दरों में कमी की जाती है या कार्य अनुबंध पर किसी भी कर/उपकर को निविदा खोलने की तारीख के बाद कानून द्वारा घटाया/हटा दिया जाता है, तो कर राशि में कमी ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी/ सुरक्षा जमा या भारत सरकार के पास ठेकेदार का कोई अन्य बकाया।</p>
25 (b)	<p>काम की किसी भी मद के लिए दरें जो दरों और मात्रा की अनुसूची में शामिल नहीं हैं और जिन्हें करने के लिए ठेकेदार को बुलाया जा सकता है, काम की विशेष मद के निष्पादन से पहले ठेकेदार और रेलवे के बीच एक पूरक लिखित समझौते/कार्य आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। . इस तरह के अनुबंध/कार्य आदेशों के निष्पादित/निष्पादित नहीं होने की स्थिति में, रेलवे इन कार्यों को करने के लिए अन्य पार्टी को नियुक्त कर सकता है और ठेकेदार को इस संबंध में नुकसान या क्षति का कोई दावा नहीं होगा। उसे अन्य ठेकेदारों और समीपवर्ती अनुभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के साथ भी निकट सहयोग में कार्य करना चाहिए।</p>

25(b)(i)	<p>कार्यों की अतिरिक्त मदों की दरें:</p> <p>(ए) दरों की मानक अनुसूची (एसएसओआर) आइटम: ठेकेदार द्वारा इंजीनियर के निर्देश पर किए गए कार्य की कोई भी वस्तु जो मात्रा के स्वीकृत बिल (एस) में शामिल नहीं है, लेकिन दरों की मानक अनुसूची (एसएसओआर) में आंकड़े शामिल हैं।), दरों की मानक अनुसूची (एसएसओआर) के उस अध्याय के लिए अनुबंध में स्वीकार किए गए निविदा प्रतिशत द्वारा संशोधित "दरों की मानक अनुसूची (एसएसओआर)" में निर्धारित दरों पर निष्पादित किया जाएगा।</p> <p>इस उपखंड में शामिल नहीं की गई मदों के लिए, उप खंड (बी) के अनुसार काम की ऐसी वस्तुओं के निष्पादन से पहले दर का निर्धारण इंजीनियर और ठेकेदार के बीच सहमति के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>(बी) अन्य मदें: ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम के किसी भी आइटम के लिए, लेकिन मात्रा के स्वीकृत बिल (बिलों) में शामिल नहीं है और उपरोक्त उप खंड (ए) के तहत भी शामिल नहीं है, ठेकेदार को सूचित करने के लिए बाध्य होगा कार्य की ऐसी मदों के निष्पादन के लिए आवश्यकता उत्पन्न होने से कम से कम सात दिन पहले इंजीनियर कि मात्रा के स्वीकृत बिल (बिलों) में ऐसे अतिरिक्त कार्य के लिए दर या दरें शामिल नहीं हैं। ऐसी मदों के लिए देय दरों का निर्णय विशेष मद की आवश्यकता के संज्ञान में आने के बाद यथासंभव कम अवधि में अभियंता और ठेकेदार के बीच होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने के लिए अधिसूचित होने के बाद या कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में बैठक में भाग लेने में विफल रहता है, तो रेलवे अन्य माध्यमों से अतिरिक्त कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा और ठेकेदार के पास नुकसान या क्षति का कोई दावा नहीं होगा जो इस तरह की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हो सकता है। अतिरिक्त मदों के लिए दरों का निर्धारण श्रम, मशीनरी और सामग्री की प्रचलित बाजार दरों के आधार पर और प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित दस्तावेजों से मार्गदर्शन लेकर किया जाएगा:</p> <p>(मैं) मैं। "भारतीय रेलवे की एकीकृत मानक अनुसूची (यूएसएसओआर)" के लिए दरों का विश्लेषण ii. "सीपीडब्ल्यूडी (डीएसआर) द्वारा जारी दरों की दिल्ली अनुसूची" के लिए दरों का विश्लेषण iii. बाज़ार विश्लेषण</p>
25(c)	<p>अनुसूची में दिए गए मद संख्या, विवरण, इकाइयाँ और दरें निम्नलिखित पर आधारित हैं:</p> <p>(i) एनडब्ल्यूआर-यूएसएसओआर-2021 और भारतीय रेलवे एकीकृत मानक विनिर्देश (IRUSS-2021) (निर्माण कार्य, पुल कार्य और पी.वे कार्य) निविदा आमंत्रित करने की तिथि तक जारी किए गए सुधार पर्वियों के साथ अद्यतन किए गए हैं या अन्यथा निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट किए गए हैं, यदि अनुबंध में लागू हो।</p> <p>(ii) सीपीडब्ल्यूडी-डीएसआर-2021 और सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश 2019 खंड I और II निविदा आमंत्रित करने की तिथि तक जारी किए गए सुधार पर्वियों के साथ अद्यतन किए गए हैं या अन्यथा निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट किए गए हैं, यदि अनुबंध में लागू हो।</p>

25(d)	किसी भी कारण से बेकार श्रम, बेकार मशीनरी आदि के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, व्यापार हानि या ऐसे किसी भी नुकसान के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
25(e)	माप की रिकॉर्डिंग के लिए अधिसूचित तिथि पर ठेकेदार को उपस्थित होने या अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करनी चाहिए और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो एकतरफा माप लिया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा।
25(f)	5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी अनुबंधों के लिए, ठेकेदार का ई-एमबी अनिवार्य है। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2017/सीई-I/सीटी/9 दिनांक 31.05.2023)
26	सरकार की सहायता से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग
26(a)	जब भी अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई कच्चा माल सरकार की सहायता से या तो सरकार से जारी करके खरीदा जाता है। सरकार द्वारा जारी की गई व्यवस्था या परमिट या लाइसेंस के तहत स्टॉक या खरीद, ठेकेदार उक्त सामग्री को सरकार के ट्रस्टी के रूप में रखेगा। वह ऐसी सामग्री का आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा जिसके खिलाफ ये जारी किए गए हैं और सरकार की अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेंगे। और, यदि क्रेता द्वारा आवश्यक हो, सभी अधिशेष या अनुपयोगी सामग्री, जो अनुबंध के पूरा होने या किसी भी कारण से इसकी समाप्ति के बाद उसके पास छोड़ी जा सकती है, वापस कर दें। इस पर सरकार के रूप में ऐसी कीमत का भुगतान करें। सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठीक कर सकता है। खरीद के निर्देशों के अनुसार सामग्री की वापसी के लिए भाड़ा शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए अनुबंध रद्द होने की स्थिति में, सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
26(b)	उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार इसके अलावा लाइसेंस या परमिट के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए खुद को खुला छोड़ देगा और / या नाममात्र के विश्वास के उल्लंघन के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। सभी मौद्रिक लाभ या लाभ के लिए जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य रूप से, इस तरह के उल्लंघन के कारण उसे हुआ होगा।
27	ठेकेदार द्वारा पालन किये जाने वाले विभिन्न अधिनियम एवं नियम :-
27(a)	ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह और उसके द्वारा कार्य की दुकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी भी कार्य पर नियोजित सभी व्यक्ति ऐसे कार्य के निष्पादन के दौरान और बाद में आधिकारिक सुरक्षा अधिनियम -1926 द्वारा बाध्य हैं।

27(b)	<p>मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान: ठेकेदार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अपने द्वारा सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों में नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में करेगा। यदि अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में, ठेकेदार सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी श्रम की आपूर्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से इंजीनियर के प्रत्यक्ष आदेश और नियंत्रण के तहत किया जाएगा चाहे वह यहां निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में हो या अन्यथा इंजीनियर के उद्देश्य के लिए, ऐसे श्रम को फिर भी ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा और कोई भी पैसा जिसे इंजीनियर द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है, ठेकेदार की ओर से इंजीनियर द्वारा देय धन माना जाएगा। और अभियंता रेलवे को इस तरह के पैसे को चुकाने में ठेकेदार की विफलता पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को देय किसी भी पैसे से कटौती कर सकता है। रेलवे ठेकेदार के बिलों/सिक्क्योरिटी डिपॉजिट या भारत सरकार के पास ठेकेदार के किसी भी अन्य देय राशि से उक्त के मुआवजे के रूप में रेलवे द्वारा भुगतान या देय सभी धन या किसी भी दावे के संबंध में खर्च की लागत के लिए इसे वसूल करने का हकदार होगा। उस पर और इस खंड के प्रभाव या बल से उत्पन्न किसी भी प्रश्न पर अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।</p>
27(c)	<p>ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान:</p> <p>(1) ठेकेदार ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का पालन करेगा, जहां भी लागू हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और रेलवे को इससे क्षतिपूर्ति भी करेगा। और पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के तहत किसी भी दावे के खिलाफ</p> <p>(2) ठेकेदार काम शुरू होने से पहले समय-समय पर संशोधित पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा और काम पूरा होने तक एक वैध लाइसेंस जारी रखेगा। आवश्यकता को पूरा करने में कोई भी विफलता अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करेगी।</p> <p>(3) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रम को सीधे या उप-ठेकेदारों के माध्यम से पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जहां भी लागू हो, मजदूरी का भुगतान करेगा। ठेकेदार इसके विपरीत अनुबंध के प्रावधानों के बावजूद, उक्त कार्य के संबंध में उप-ठेकेदारों द्वारा लगाए गए किसी भी काम सहित अप्रत्यक्ष रूप से काम पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने का कारण होगा, जैसे कि श्रमिक को तुरंत नियोजित किया गया था उसे।</p> <p>(4) ठेकेदार के अनुबंध के हिस्से के प्रदर्शन के लिए काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार उपरोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा या जहां भी लागू होगा, उनका पालन करेगा।</p>

	<p>(5) प्रत्येक मामले में, जिसमें, उपरोक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के आधार पर, रेलवे ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार द्वारा काम के निष्पादन में नियोजित कामगार को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है या उपरोक्त अधिनियम या नियमों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता के कारण आकस्मिक, रेलवे की देयता के कारण किसी भी व्यय को उठाने के लिए, रेलवे ठेकेदार से भुगतान की गई मजदूरी की राशि या भुगतान की गई राशि की वसूली करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20, उप-धारा (2) और धारा 2, उप-धारा (4) के तहत रेलवे के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस तरह का व्यय, रेलवे ऐसी राशि या हिस्से की वसूली के लिए स्वतंत्र होगा। भारत सरकार के पास ठेकेदार के बिल/सिक्क्योरिटी डिपॉजिट या ठेकेदार के किसी अन्य बकाया से। रेलवे उपरोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) और धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और रेलवे को उन सभी लागतों के लिए पूरी सुरक्षा देने पर जिसके लिए रेलवे ऐसे दावे का विरोध करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ऊपर बताए गए अनुसार ठेकेदार से वास्तव में वसूली योग्य राशि के संबंध में मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।</p>
27(d)	<p>कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान: ठेकेदार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 30 और 36-बी के प्रावधानों का पालन करेगा; कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3 और 4; और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976 के पैरा 7 और 8; जैसा कि "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952" के अधिनियमन के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया गया है, जहां कहीं भी लागू हो और रेलवे को उपरोक्त अधिनियम और नियमों के तहत किसी भी दावे से और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति भी करेगा।</p>
27(e)	<p>ठेका मजदूर भुगतान प्रबंधन पोर्टल (CLPMP)</p> <p>ठेकेदार को भारतीय रेलवे के अनुबंध की सामान्य शर्त के खंड 54, 55, 55ए और 55बी के अनुसार वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है और वेबसाइट www.sramikkalyan.indianrailways.gov.in पर होस्ट किया गया है। ठेकेदार अपनी फर्म/कंपनी आदि का पंजीकरण कराकर श्रम एवं उनके भुगतान का अपेक्षित विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करेगा। ये विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होंगे। पोर्टल का पंजीकरण/अद्यतन निम्नानुसार किया जाएगा:</p>
(a)	<p>ठेकेदारश्रमिक कल्याण पोर्टल में अपनी कंपनी / फर्म इत्यादि के वन टाइम पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद आवश्यक विवरण के साथ। अभियंता इस तरह के अनुरोध प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर पोर्टल में ठेकेदार के पंजीकरण को मंजूरी दे देगा।</p>
(b)	<p>किसी भी अभियंता द्वारा अनुमोदित ठेकेदार, अपने पक्ष में जारी सभी एलओए के लिए पोर्टल के बाद के उपयोग के लिए लॉगिन आईडी (पैन नंबर) के साथ पासवर्ड बना सकता है।</p>
(c)	<p>पोर्टल पर पंजीकृत एक बार ठेकेदार संबंधित अभियंता की मंजूरी के लिए किसी भी लोए जारी करने के 15 दिनों के भीतर श्रमिक कल्याण पोर्टल पर स्वीकृति पत्र (एलओए) / अनुबंध समझौतों का विवरण प्रदान करेगा। अभियंता अद्यतन करेगा (यदि आवश्यक हो) और इस तरह के अनुरोध प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा भरे एलओए के विवरण को मंजूरी दे दी है।</p>
(d)	<p>अभियंता द्वारा एलओए की मंजूरी के बाद, ठेकेदार अनुबंध में लगे अनुबंध श्रमिकों के मुख्य विवरण भरेंगे और मासिक आधार पर श्रमिक कल्याण पोर्टल पर प्रत्येक मजदूरी भुगतान को अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।</p>

(e)	प्रत्येक मजदूरी अवधि के बाद किए गए संविदात्मक श्रम और भुगतान के सभी प्रमुख विवरणों के सही और त्वरित अपलोड सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार पर अनिवार्य होना आवश्यक होगा।
(f)	किसी भी 'खाता बिल' या 'अंतिम बिल' या 'अग्रिम' या 'परफोरमेंस गारंटी / सुरक्षा जमा' के रिलीज के भुगतान को संसाधित करते समय, ठेकेदार अभियंता या अभियंता के प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र जमा करेगा कि "मैंने अपलोड किया है रेलवे के श्रमिक कल्याण पोर्टल में मजदूरी अवधि के दौरान 'www.shramikkalyan.indianrailways.gov.in' पर मजदूरी अवधि के दौरान अनुबंधित श्रमिकों के सही विवरण और महीने, साल तक।
27(f)	संविदाकर्ता अपने या अपने आपूर्तिकर्ताओं के किसी भी सड़क वाहन को रनिंग लाइन के समीप रेलवे भूमि पर आवागमन की इजाजत नहीं देगा। यदि कुछ कार्यों यथा समांतर रेलवे लाईन के लिए मिट्टी, नई या पहले से मौजूद लाईन के लिए बैलास्ट की आपूर्ति, आमान परिवर्तन आदि को करने हेतु रेलवे लाइन के समीप रेलवे भूमि पर वाहनों का प्रयोग आवश्यकता हो तो संविदाकर्ता हर वाहन की श्रेणी व संख्या, चालकों के नाम व लाइसेंस विवरण, स्थान व ऐसे कार्य/आवागमन के लिए अवधि/समय बताते हुए प्रभारी इंजीनियर को अनुमति हेतु आवेदन देगा। प्रभारी इंजीनियर या उसका अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से सड़क वाहन चालकों, संविदाकर्ता के फ्लैगमैन व अधीक्षकों की समझाइश व जांच करेगा और संतुष्ट होने के पश्चात् कार्य पर लगने वाले सड़क वाहन चालकों, फ्लैगमैन, अधीक्षकों के नाम, कार्य की लोकेशन, अवधि व समय देते हुए लिखित में अनुमति देगा। यह अनुमति निम्नलिखित आवश्यक शर्तानुसार होगी।
27(f)(i)	सड़क वाहनों का आवागमन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगी।
27(f)(ii)	कम से कम इस कार्य के लिए प्रमाणित एक फ्लैगमैन व अधीक्षक की उपस्थिति में कार्य के लिए नामित वाहनों व चालकों का प्रयोग किया जाएगा।
27(f)(iii)	चलने वाले वाहन ट्रैक से 6 मी. की दूरी पर चलेंगे। 6 मी. से कम व ट्रैक से 3.5 मी. की दूरी पर चलने का कार्य प्रभारी इंजीनियर द्वारा अधिकृत रेल कर्मचारी की उपस्थिति में ही किया जाएगा। उस कर्मचारी की लागत रेलवे द्वारा देय होगी। ट्रैक के सेंटर से 3.5 मी. से कम दूरी पर किसी भी स्थिति में वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
27(f)(iv)	संविदाकर्ता संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतया जिम्मेदार होगा और कोई दुर्घटना होने पर उपकरणों व लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा व रेल एवं इसके यात्रियों को होने वाले नुकसान की भी भरपाई करेगा। किसी विषेय कार्य या कार्यस्थल के लिए प्रभारी इंजी. अन्य आवश्यक शर्तें लगा सकता है।
27(f)(v)	एक डिपो से रेलवे के विभिन्न इंडेंटर्स को सड़क परिवहन द्वारा प्रेषित रेल सामग्री का बीमा-पारेषण जोखिम संविदाकर्ता का होगा।
27f(vi)	रात के दौरान काम करना: ठेकेदार अभियंता की पिछली अनुमति के बिना सूर्य सेट और सूर्य वृद्धि के बीच कोई काम नहीं करेगा। हालांकि, अगर अभियंता संतुष्ट है कि काम रात के काम का सहारा लेते हुए समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह ठेकेदार पर किसी भी अतिरिक्त भुगतान का दावा करने के लिए उसे किसी भी अधिकार की पुष्टि किए बिना आदेश दे सकता है।
27f(vii)	जनता की सुरक्षा: अभियंता सार्वजनिक या रेलवे संपत्ति पर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतने के लिए उत्तरदायी होगा और अभियंता की राय में पुरुषों को इस तरह के रूप में देखेगा, नियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक होना चाहिए काम के लिए। ठेकेदार निकटवर्ती इलाके के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम के स्थान पर अवरोधक / विभाजन की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे अभियंता अपने विवेकाधिकार के अनुसार काम को रोकने की सलाह दे सकता है।
28	विवादों का निपटारा – भारतीय रेलवे मध्यस्थता और सुलह नियम
28(a)	(i) यह खंड 50 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर विज्ञापित मूल्य वाली निविदा में लागू होता है। (ii) संविदा के संबंध में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, चाहे काम की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण से पहले या बाद में, ठेकेदार द्वारा संदर्भित किया जाएगा "विवाद की सूचना" के माध्यम से "मुख्य अभियंता" या "मंडल रेल प्रबंधक" बशर्ते कि ऐसा कोई नोटिस इंजीनियर द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के 30 दिनों के बाद तामील नहीं किया जाएगा। मुख्य अभियंता या मंडल रेल

	<p>प्रबंधक, ठेकेदार की "विवाद की सूचना" प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, ठेकेदार को सुलहकर्ता (ओं) के नाम की सूचना देगा। (iii) सुलहकर्ता अनुबंध की शर्तों के भीतर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पार्टियों की सहायता करेगा। (iv) यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर समझौता करते हैं, तो वे इंजीनियर प्रभारी, ठेकेदार और सुलहकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक लिखित समझौता समझौता तैयार करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। जब पार्टियां समझौता समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं, तो यह अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। (v) पक्षकार, सुलह की कार्यवाही के दौरान, किसी विवाद के संबंध में कोई मध्यस्थ या न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे, जो कि विवाद का विषय है। सुलह की कार्यवाही। (vi) 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' की धारा 76 के अनुसार सुलह की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।</p>	
28 (b)	<p>रेलवे द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मामले: सभी विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद, जो भी अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होते हैं, चाहे काम की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण से पहले या बाद में, संदर्भित किया जाएगा ठेकेदार द्वारा जीएम और जीएम को, ठेकेदार का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर, ठेकेदार द्वारा लिखित में संदर्भित सभी मामलों पर निर्णय लेना और सूचित करना होगा, बशर्ते कि जिन मामलों के लिए क्लॉज 7 (जे) में प्रावधान किया गया है। , 8, 18, 22(5), 39.1, 39.2, 40A, 43(2), 45(i)(a), 55, 55-A(5), 57, 57A, 61(1), 61(2), 62(1), 63(iv) और 63.2.11 अनुबंध की मानक सामान्य शर्तों या अनुबंध की विशेष शर्तों के किसी भी खंड (अपवादित मामले के रूप में वर्णित) में, 'अपवादित मामलों' के रूप में समझा जाएगा (मामले नहीं मध्यस्थ) और रेलवे प्राधिकरण के निर्णय, ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे; बशर्ते आगे कि 'अपवादित मामले' को विशेष रूप से विवाद न्यायनिर्णयन बोर्ड (डीएबी) और मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।</p>	
28(c)	<p>मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थों का एक पैनल होगा। महाप्रबंधकअपर महाप्रबंधक दो मध्यस्थों की / नियुक्ति करेंगे, एक रेलवे का नामित व्यक्ति और दूसरा ठेकेदार के नामित व्यक्ति में से। ठेकेदार महाप्रबंधक अपर महाप्रबंधक द्वारा मध्यस्थता की मांग की वैध स्वीकृति और अनुरोध के प्रेषण की तिथि से/ 30 दिनों के भीतर रेलवे के अनुमोदित पैनल या भारतीय मध्यस्थता परिषद के अनुमो (आईसीए)दित पैनल से अपने नामित व्यक्ति की सिफारिश कर सकता है।</p>	
29	<p>संविदाकर्ता(ओं) को अपने द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का संतोषजनक रख-रखाव पूर्णता प्रमाण-पत्र की तिथि से निम्नलिखित अवधि तक करना चाहिए-</p>	
	कार्य विवरण	अनुरक्षण अवधि
(क)	अर्थ वर्क व सामग्री की आपूर्ति	-शून्य-
(ख)	मरम्मत व अनुरक्षण कार्य	-3 माह-
(ग)	अर्थ वर्क को छोड़कर नए कार्य	-6 माह-
(घ)	पी वे कार्य	1 माह (30 दिन) गति को सामान्य करने के पश्चात् अथवा जैसाकि निविदा में दिया गया है
(ड)	नये क्वार्टरों का निर्माण	2 वर्ष (रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2018/ एलएमबी-II/12/1 दिनांक 16.04.2024 के अनुसार)
(य)	(i) आरओबी/आरयूबी/एलएचएस का निर्माण (ii) नए रेल पुलों/आरओआर के निर्माण का कार्य (iii) मौजूदा पुलों के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य	4 वर्ष (रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2022/CE-III/ Bridge Policy (E-3406846) दिनांक 29.12.2025 के अनुसार)

30	जुर्माना-
	कार्य स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में विभागीय जांच की जाएगी और यदि यह स्थापित होता है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण पटरी से उतरी है या उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निम्नलिखित दरों पर नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी: -
30(a)	दुर्घटना राहत ट्रेन/क्रेन के उपयोग से संबंधित दुर्घटना = रु.100000/-।
30(b)	जैक के उपयोग से संबंधित मामूली दुर्घटना- रु.25000/-।
31	अंतिम बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा आवश्यक रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद रेलवे खनन विभाग के साथ-साथ ठेकेदार को काम में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न खनिजों की अंतिम मात्रा के बारे में सूचित करेगा। बदले में, ठेकेदार खनन विभाग से आवश्यक रॉयल्टी निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा।
32	अनुबंध
32(a)	सफल निविदाकार को सामान्य शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल अभियंता/मंडल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के साथ एक अनुबंध/कार्य आदेश निष्पादित करना आवश्यक होगा। अनुबंध-2022 (समय-समय पर संशोधित)। किए गए कार्य का भुगतान ठेकेदार को पार्टियों के बीच औपचारिक समझौते के बाद ही किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा वैध निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के बाद ही रेलवे द्वारा अनुबंध समझौता किया जाएगा। ऐसे मामलों में रेलवे यह निर्धारित कर सकता है कि ऐसे निविदाकर्ता ने अनुबंध को छोड़ दिया है और वहां उसकी निविदा और स्वीकृति को रद्द माना जाएगा और रेलवे बोली सुरक्षा की पूरी राशि और ठेकेदार को देय अन्य देय राशि को जब्त करने का हकदार होगा। इक्रारनामा। असफल ठेकेदार को उस कार्य के लिए पुनः निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
32(b)	अंतिम अनुपूरक समझौता: पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से काम पूरा होने या अन्यथा समाप्त होने के बाद, और अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार रेलवे द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष पर स्पष्ट रूप से कोई दावा नहीं है। अनुबंध XIV के मद 4 में उल्लिखित है, पार्टियां जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के अनुलग्नक XIV के अनुसार अंतिम पूरक समझौते को निष्पादित करेंगी।
32(c)	पोस्ट पेमेंट ऑडिट: यह अनुबंध की एक सहमत अवधि है कि रेलवे अपने आप को पोस्ट-पेमेंट ऑडिट और / या कार्यों की तकनीकी परीक्षा और सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित अंतिम बिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सुरक्षा जमा की रिहाई या दावों के निपटान तक, जो भी बाद में हो, किसी भी अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए ठेकेदार पर दावा, यदि इस तरह की परीक्षा के परिणामस्वरूप उसे कोई अधिक भुगतान किया गया है अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए या कथित रूप से किए गए किसी भी कार्य के संबंध में।

33	कार्य अनुबंधों के निष्पादन के दौरान मात्रा में परिवर्तन।
33(i)	जब तक अनुबंध की विशेष शर्तों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, अनुबंध की प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु की मात्रा में स्वीकृत भिन्नता मूल रूप से अनुबंधित मात्रा के 25% तक होगी, केवल नींव के काम के मामले में (जिसमें कोई भिन्नता सीमा लागू नहीं होगी)। तथापि, बड़ी हुई मात्रा के लिए दरें नीचे उप-पैरा 33(ii) के अनुसार होंगी। ठेकेदार सहमत दरों पर काम करने के लिए बाध्य होगा और काम की अलग-अलग मद की मात्रा में 25% भिन्नता की सीमा तक किसी भी दावे या किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
33(ii)	यदि किसी मद विशेष की मात्रा में करार की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अपरिहार्य समझी जाए तो उसे निम्नलिखित दरों पर निष्पादित किया जायेगा।
(a)(i)	सम्बन्धित मद की करार मात्रा की 125 प्रतिशत से अधिक परन्तु 140 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा के चालन के लिए उस निविदा विशेष में उस मद के लिए दी गई दर के 98 प्रतिशत से भुगतान किया जाएगा।
(a)(ii)	सम्बन्धित मद की करार मात्रा की 140 प्रतिशत से अधिक परन्तु 150 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा के चालन के लिए उस निविदा विशेष में उस मद विशेष के लिए दी गई दर के 96 प्रतिशत से भुगतान किया जाएगा।
(a)(iii)	मद विषय में 150 प्रतिशत से अधिक का विचलन निषिद्ध होगा और अपवाद स्वरूप अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उसके लिए वित्तीय सहमति के साथ स्वीकृति दी जा सकेगी तथा उस निविदा विषय में उस मद विशेष के लिए दी गई दर के 96 प्रतिशत से भुगतान किया जाएगा।
(b)	कुल करार मूल्य के 150 प्रतिशत से अधिक मात्रा के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, आवश्यक पाए जाने पर नए निविदा द्वारा या प्रमुख वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सी) की पहले से व्यक्तिगत सहमति तथा महाप्रबन्धक के अनुमोदन से वर्तमान संविदाकर्ता से वार्ता द्वारा किया जाना चाहिए।
33(iii)	विशिष्ट मद में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी अथवा संविदा करार मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी के लिए संविदाकर्ता से "नो-क्लेम" प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद तथा वित्तीय सहमति से, मात्राओं में कमी का विस्तृत कारण बताते हुए ऐसे अधिकारी से अनुमोदन लिया जाए जो एस ए ग्रेड से नीचे का न हो।
33(iv)	माइनर वैल्यू आइटम की मात्रा में परिवर्तन : - मामूली मूल्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग मात्रा की सीमा 100%होगी (अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित 25% के मुकाबले)। इस उद्देश्य के लिए एक मामूली मूल्य वस्तु को उस आइटम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मूल अनुबंध मान कुल मूल अनुबंध मूल्य का 1%से कम है। (i) संबंधित मामूली मूल्य वस्तु की अनुबंध मात्रा का 100%तक संचालित और इसमें शामिल मात्रा, उस विशेष निविदा में उस आइटम के लिए दी गई दर पर भुगतान की जाएगी; (ii) संबंधित मामूली मूल्य वस्तु की अनुबंध मात्रा के 100%से अधिक मात्रा में संचालित मात्रा, उस विशेष निविदा में उस आइटम के लिए दिए गए दर के 98%पर भुगतान किया जाएगा; (iii) 200%से अधिक व्यक्तिगत मामूली मूल्य वस्तु की मात्रा में बदलाव से बचा जाएगा और केवल असाधारण अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी और उस विशेष निविदा में उस आइटम के लिए दी गई दर के 96%पर भुगतान किया जाएगा।

33(v)	अर्थवर्क के मामलों में, 25 प्रतिशत की विविधता सीमा अर्थवर्क की कुल मात्रा में लागू होगी और मिट्टी के व्यक्तिगत वर्गीकरण की मात्रा में विविधता इस सीमा के अधीन नहीं होगी।		
33(vi)	नींव के काम के मामले में, कोई बदलाव सीमा लागू नहीं होगी और किसी भी भिन्नता के बावजूद ठेकेदार द्वारा सहमत दरों पर कार्य किया जाएगा।		
33(vii)	जहां तक मानका दरों की अनुसूची (एसएसओआर) मदों का सम्बन्ध है 25 प्रतिशत की सीमा सम्पूर्ण एसएसओआर शैड्यूल के मूल्य पर लागू होगी न कि पृथक एसएसओआर मदों पर। तथापि, दरों की गैर मानक अनुसूची (एसएसओआर) मदों के मामले में 25 प्रतिशत की सीमा अलग-अलग मदों पर लागू होगी, भले ही दर (एकल प्रतिशत दर या पृथक दर) को उद्धृत करने का तरीका कुछ भी हो।		
33(viii)	मात्राओं में विचलन के कारण निविदा के रद्द होने की स्थिति को जांचना और टाला जाना चाहिए। निविदा के रद्द होने की स्थिति में (संविदा करार के मूल्य में वृद्धि या कमी दोनों के कारण) एकल निविदा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।		
33(ix)	ठेके की मात्रा में अन्तर के दौरान विशिष्टन के संबंध में:-		
	क्र.स.	ठेके की कीमत	विशिष्टन के परिणामस्वरूप वर्तमान ठेकेदार व नये एल-1 के मध्य प्रतिशत अन्तर (प्रतिशत की गणना संशोधित संविदा की आधार मात्राओं को वर्तमान संविदाकर्ता द्वारा प्रदत्त दरों के गुणन के आधार पर की जायेगी)
	1	कम कीमत के ठेके (50 लाख से कम कीमत के ठेके)	10
	2	कम कीमत के ठेके के अलावा (50 लाख या अधिक की कीमत के ठेके)	5
34	मूल्य विचलन उपबंध		
(i)	प्रयोज्यता: मूल्य भिन्नता खंड (पीवीसी) केवल उस निविदा में लागू होगा जिसका विज्ञापित मूल्य रु- 2 करोड़ से ऊपर होगा।		
(ii)	मूल्य भिन्नता खंड (पीवीसी) केवल समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के माध्यम से रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुबंधों के लिए लागू होगा और अनुबंध पूरा होने की अवधि के बावजूद। अनुबंध में पीवीसी की प्रयोज्यता के लिए मात्रा में भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।		
(iii)	बशर्ते कि, एक अनुबंध में जहां पीवीसी लागू है, निम्नलिखित मूल्य समायोजन के दायरे से बाहर होंगे (अर्थात् मूल्य भिन्नता के उद्देश्य से कार्य के सकल मूल्य से बाहर रखा जाएगा): क) रेलवे द्वारा ठेकेदारों को मुफ्त या निश्चित दर पर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री; बी) इन मानक सामान्य शर्तों के खंड 39. (1) (बी) के तहत, निविदा की मात्रा के बिल (ओं) के दायरे से बाहर आने वाले बाद के बदलाव में शामिल कोई अतिरिक्त आइटम, जब तक कि पीवीसी और 'आधार' की प्रयोज्यता न हो ऐसी अतिरिक्त मदों की दरें निर्धारित करते समय माह' की विशेष सहमति दी गई है।		
(iv)	वैधता: रेल प्रशासन द्वारा स्वीकृत दरें कार्य पूरा होने तक मान्य होंगी और कोई अतिरिक्त व्यक्तिगत दावा स्वीकार्य नहीं होगा सिवाय: (ए) जीसीसी अप्रैल 2022 (अद्यतन संशोधित) के खंड 37 के अनुसार कार्य अनुबंध पर जीएसटी में वृद्धि/कमी के लिए भुगतान/वसूली या निर्माण अनुबंध पर कोई कर/उपकर लगाने/हटाने, (बी) नीचे दिए गए मूल्य परिवर्तन खंड के अनुसार समग्र बाजार स्थिति के लिए भुगतान/वसूली।		

[illegible]

	<p>3बीमद -स्टीलकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>3सीमद -सीमेंटया/औरग्राउटकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>3डीआइटम-इस्पातकीआपूर्तिसहितसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p> <p>3ईआइटम-स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p>
	<p>4 सुरंग निर्माण कार्य (विस्फोटकों के साथ)</p> <p>4एसभीमदोंकोछोड़कर</p> <p>4बीआइटम -स्टीलकीआपूर्तिकेलिए 4बीया/और 4सीया/और 4डीया/और 4ई</p> <p>4सीमद - सीमेंटया/औरग्राउटकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>4डीआइटम -स्टीलकीआपूर्तिसहितसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p> <p>4ईआइटम -स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए।</p>
	<p>5 भवन निर्माण कार्य</p> <p>5ए-5बीया/और 5सीया/और 5डीया/और 5ईकोछोड़करसभीआइटम</p> <p>5बीमद - स्टीलकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>5सीमद -सीमेंटकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>5डीमद -इस्पातकीआपूर्तिसहितसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p> <p>5ईआइटम -स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए।</p>
	<p>6 पुल और सुरक्षा कार्य</p> <p>6ए 6बीया/और 6सीया/और 6डीया/और 6ईकोछोड़करसभीमदें</p> <p>6बीमद -स्टीलकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>6सीमद -सीमेंटकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>6डीआइटम -स्टीलकीआपूर्तिसहितगर्डरोकेफैब्रिकेशन, असेंबली, इरेक्शनऔरलॉन्चिंगकेलिए</p> <p>6ईआइटम -स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करगर्डरोकेनिर्माण, संयोजन, निर्माणऔरलॉन्चिंगकेलिए</p>
	<p>7 परमानेंट वे लिंकिंग</p>
	<p>8 प्लेटफार्म, यात्रीसुविधाएं</p> <p>8ए 8बीया/और 8सीया/और 8डीया/और 8ईकोछोड़करसभीआइटम</p> <p>8बीमद (मदें) -स्टीलमद/फिटिंग्सकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>8सीमद (मदें) -सीमेंटमदकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>8डीमद -इस्पातकीआपूर्तिसहितसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p> <p>8ईमद -स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p>
	<p>9 कोई अन्य कार्य जो 1 से 8 के वर्गीकरण में शामिल नहीं है</p> <p>9ए 9बीया/और 9सीया/और 9डीया/और 9ईकोछोड़करसभीआइटम</p> <p>9बीमद -स्टीलकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>9सीमद - सीमेंटया/औरग्राउटकीआपूर्तिकेलिए</p> <p>9डीमद -इस्पातकीआपूर्तिसहितसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p> <p>9ईआइटम -स्टीलकीआपूर्तिकोछोड़करसंरचनाओंकेनिर्माणऔरनिर्माणकेलिए</p>

35(c)	सूत्र: विभिन्नघटकों (श्रम, सामग्रीआदि) में कीमतों में भिन्नता की मात्रा निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निकाली जाएगी:
(i)	$L = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{LB \times 100} \times (L_Q - L_B) \times L_C$
(ii)	$M = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{M_B \times 100} \times (M_Q - M_B) \times M_C$
(iii)	$F = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{F_B \times 100} \times (F_Q - F_B) \times F_C$
(iv)	$E = \frac{(W)}{E_B \times 100} \times (E_Q - E_B) \times E_C$
(v)	$PM = \frac{(W \text{ or } W_{SF} \text{ or } W_F \text{ or } W_{SFL} \text{ or } W_{FL})}{PM_B \times 100} \times (PM_Q - PM_B) \times PM_C$
(vi)	$S = \frac{(W \text{ or } W_S \text{ or } W_{SF})}{SB \times 100} \times (S_Q - S_B) \times S_C$
(vii)	$C = \frac{(W \text{ or } W_C)}{C_B \times 100} \times (C_Q - C_B) \times C_C$
L-	श्रम में मूल्य विचलन की राशि
M-	सामग्री में मूल्य विचलन की राशि
F-	ईंधन में मूल्य विचलन की राशि
E	विस्फोटक में मूल्य विचलन की राशि
PM	संयंत्र, मशीनरी और पुर्जों में मूल्य भिन्नता की मात्रा
S	इस्पात आपूर्ति मद में मूल्य भिन्नता की मात्रा
C	सीमेंट आपूर्ति मद में मूल्य भिन्नता की मात्रा
Lc	मद (मदों) में श्रम घटक का %
Mc	मद में सामग्री घटक का %
Fc	मदों में ईंधन घटक का %
Ec	आइटम में विस्फोटक घटक का%
PMc	मद (मदों) में संयंत्र, मशीनरी और स्पेयर कंपोनेंट का %
Sc	मद (मदों) में इस्पात आपूर्ति मद घटक का %
Cc	मद (मदों) में सीमेंट आपूर्ति मद घटक का %
W	डब्ल्यू _{एस} या/और डब्ल्यू _{एस} या/और डब्ल्यू _{एसएफ} या/और डब्ल्यू _{एसएफ} या/और डब्ल्यू _{एसएफएल} या/और डब्ल्यू _{एसएफएल} के तहत काम के सकल मूल्य को छोड़कर ऑन-अकाउंट बिल (बिलों) के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य और रेलवे द्वारा या तो मुफ्त या निश्चित दर पर आपूर्ति की गई सामग्री की लागत को छोड़कर
Ws	इस्पात की आपूर्ति की मदों के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।
Wc	सीमेंट की आपूर्ति और/या ग्राउट सामग्री की आपूर्ति की मदों के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।
W _{SF}	स्टील की आपूर्ति सहित संरचनाओं के निर्माण और निर्माण की मदों के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।
W _F	स्टील की आपूर्ति को छोड़कर संरचनाओं के निर्माण और निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।
W _{SFL}	स्टील की आपूर्ति सहित गर्डरों के फैब्रिकेशन, असेंबली, इरेक्शन/लॉन्चिंग की मदों के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।
W _{FL}	स्टील की आपूर्ति को छोड़कर गर्डरों के फैब्रिकेशन, असेंबली, इरेक्शन/लॉन्चिंग की मदों के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का सकल मूल्य।

LB	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अखिल भारतीय: आरबीआई में प्रकाशित। आधार अवधि के लिए बुलेटिन
LQ	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अखिल भारतीय: आरबीआई में प्रकाशित। विचाराधीन तिमाही के 3 महीनों के औसत मूल्य सूचकांक के लिए बुलेटिन
MB	थोक मूल्य सूचकांक: सभी वस्तुएं - जैसा कि आरबीआई में प्रकाशित किया गया है। आधार अवधि के लिए बुलेटिन
MQ	थोक मूल्य सूचकांक: सभी वस्तुएं - जैसा कि आरबीआई में प्रकाशित किया गया है। विचाराधीन तिमाही के 3 महीनों के औसत मूल्य सूचकांक के लिए बुलेटिन
FB	आधार अवधि के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 'पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल' की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डीजल की आधिकारिक कीमतों का औसत
FQ	विचाराधीन तिमाही के 3 महीनों के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 'पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल' की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डीजल की आधिकारिक कीमतों का औसत
EB	(जी) की श्रेणी 'विस्फोटक' के लिए मासिक थोक बिक्री मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या। (जे) के तहत अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, सरकार द्वारा प्रकाशित। भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), आधार अवधि के लिए।
EQ	(जी) की श्रेणी 'विस्फोटक' के लिए मासिक थोक बिक्री मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या। (जे) के तहत अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, सरकार द्वारा प्रकाशित। भारत सरकार, सरकार। भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के लिए, विचाराधीन तिमाही के 3 महीने के औसत मूल्य सूचकांक के लिए।
PMB	आधार अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) बुलेटिन में प्रकाशित 'खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी के निर्माण' के लिए समूहों और उप समूहों (औसत) द्वारा भारत में थोक मूल्यों की सूचकांक संख्या।
PMQ	'खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी के निर्माण' के लिए समूहों और उप समूहों (औसत) द्वारा भारत में थोक मूल्यों की सूचकांक संख्या- तिमाही के 3 महीने के औसत मूल्य सूचकांक के लिए आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) बुलेटिन में प्रकाशित विचाराधीन।
SB	खण्ड 46ए.9 में उल्लिखित स्टील मद की प्रासंगिक श्रेणी के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रदान की गई औसत दर; आधार अवधि के लिए।
SQ	खण्ड 46ए.9 में उल्लिखित स्टील मद की प्रासंगिक श्रेणी के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रदान की गई औसत दर; तिमाही के 3 महीनों के लिए विचाराधीन है।
CB	थोक मूल्य का सूचकांक आधार अवधि के लिए आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित उप-समूह सीमेंट, चूना और प्लास्टर का सूचकांक
CQ	विचाराधीन तिमाही के 3 महीनों के औसत मूल्य सूचकांक के लिए आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित उप-समूह सीमेंट, चूना और प्लास्टर के थोक मूल्य सूचकांक की संख्या
35(d)	अनुबंध समझौते में स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए कि मूल्य भिन्नता का तात्पर्य इनपुट कीमतों में वृद्धि और कमी दोनों से है और इसलिए, अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्य भिन्नता के परिणामस्वरूप

	अतिरिक्त भुगतान या वसूली हो सकती है, जैसा भी मामला हो।	
36)	इस खंड में उल्लिखित मूल्य परिवर्तन फार्मूले के संचालन के उद्देश्य से स्टील की प्रासंगिक श्रेणियां निम्नानुसार होंगी:	
	क्र.सं	वर्गीकरण S_A or S_B की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली दरें
	1	रीइन्फोर्समेंट बार्स व अन्य राउण्ड्स प्रति टन की औसत दर 10 मिमी व्यास टीएमटी और 25 मिमी व्यास टीएमटी; IS1786 की पुष्टि; Fe 500
	2	सभी प्रकार व आकार के एंगल, चैनल व जोईस्ट्स। एंगल 75x75x6 मिमी, हल्के स्टील प्लेट 10 मिमी मोटाई और चैनल 150x75 मिमी की प्रति टन दरों का औसत; IS2062, E250 ग्रेड "ए" की पुष्टि
	3	सभी प्रकार व आकार के प्लेट एमएस प्लेट्स 10 मिमी मोटाई और 25 मिमी मोटाई की प्रति टन दरों का औसत; IS2062, E250 ग्रेड "ए" की पुष्टि
	4	स्टील का कोई और सेक्शन जो ऊपर की श्रेणी में शामिल न हो ऊपर क्र.सं.1,2,3 के अंतर्गत कवर तीन श्रेणियों के लिए मूल्य का औसत
37	विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में "जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति)" स्टील आइटम (एसक्यू / एसबी) की दरों को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक शहर निम्नानुसार होगा: उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए- दिल्ली शहर।	
38	लागत में वृद्धि की मांगों को ऊपर उल्लिखित खंड 46ए.7 के अनुसार अनंतिम सूचकांकों के आधार पर अनुमति दी जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित सूचकांकों के आधार पर किए जाने वाले किसी भी समायोजन को उनके उपलब्ध होने पर किया जाएगा।	
39	संविदा करार में यह स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि मूल्य विचलन का तात्पर्य मूल्य में वृद्धि एवं कमी दोनों से है और इसलिए संविदा अवधि के दौरान मूल्य विचलन के कारण अतिरिक्त भुगतान या वसूली, जो भी हो, की जा सकती है।	
40	मूल्य विचलन: बढ़ाई गई अवधि	
	मूल्य सामंजस्य जैसाकि ऊपर निकाला गया है अर्थात् वृद्धि या कमी कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक लागू होगी जिसमें पूर्णता की बढ़ाई गई अवधि भी शामिल है जहां यह वृद्धि संविदा की साधारण शर्तों के उपबंध 17ए के अंतर्गत दी गई हो तो मूल्य सामंजस्य निम्नानुसार किया जाएगा:-	
40(i)	यदि सूचकांक वास्तविक पूर्णता अवधि के अंतिम माह या संविदा के साधारण शर्तों के तहत बढ़ाई गई अवधि व उपखंड 17ए पर लागू सूचकांक से अधिक हो जाए, जो भी मामला हो, उपखंड 17-बी के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि का मूल्य सामंजस्य मूल पूर्णता अवधि के अंतिम माह पर या संविदा के साधारण शर्तों के तहत बढ़ाई गई अवधि उपखंड 17ए के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि लागू सूचकांक के अनुसार देय राशि तक सीमित होगा, जो भी मामला हो।	
40(ii)	यदि सूचकांक मूल पूर्णता के अंतिम माह पर या संविदा की साधारण शर्तों के उपखंड 17ए के अंतर्गत बढ़ाई गई पूर्णता अवधि पर लागू सूचकांक से नीचे आ जाए जो भी मामला हो तो संविदा की साधारण शर्तों के उपखंड 17-बी के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि के लिए मूल्य सामंजस्य हेतु घटे हुए सूचकांक को स्वीकार किया जाएगा।	

41	दस करोड़ रु. से कम की निविदा के लिए साझा उपक्रम (जॉइंट वेन्चर) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2002/CE-I/CT/37-JV Pt.VIII दिनांक 14.12.12 के अनुसार लागू नहीं है।
42	<p>"भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996" और "भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996" के प्रावधान:</p> <p>निविदाकर्ता, किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए, स्वयं को भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 की धारा -7 और संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकृत करवाना होगा, और द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। संबंधित राज्य सरकार के पंजीकरण अधिकारी। (श्रम विभाग)। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकर की कटौती ठेकेदार के बिलों से की जाएगी।</p> <p>इस अधिनियम को लागू करने के लिए, निविदाकर्ता को प्रत्येक बिल से काटे जाने वाले निर्माण कार्य की लागत के 1% की दर से उपकर का भुगतान करना होगा।</p>
43	<p>निविदा की दो पैकेट प्रणाली</p> <p>(i) सभी कार्य 'संविदा निविदा' हेतु जिसके लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन वांछित हो, निविदा की 'दो पैकेट प्रणाली' प्राप्त की जाए।</p> <p>(ii) रु.10 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी कार्य 'संविदा निविदा के लिए दो पैकेट प्रणाली' का आवश्यक रूप से पालन किया जाए केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें एकजीक्यूटिव अधिकारी जो एचएजी स्तर से नीचे का न हो, द्वारा एफ ए एंड सी ए ओ की सहमति के साथ लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों हेतु निर्णय लिया गया है कि 'एकल पैकेट सिस्टम' का पालन लाभकारी होगा।</p> <p>(iii) रु.10 करोड़ तक के मूल्य की निविदाओं के लिए दो पैकेट प्रणाली लागू करने का निर्णय एसोसिएट फाईनेन्स की सहमति से निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इसके लिए ऊपर मद (क) में दिए निर्देशक सिद्धान्त को ध्यान में रखा जायेगा।</p> <p>(iv) निविदा की दो पैकेट प्रणाली के मामले में, पैकेट-I तकनीकी बोली के लिए, निविदा के अंकित मूल्य के आधार पर टीसी का स्तर और पैकेट- II वित्तीय बोली के लिए, अंकित मूल्य के आधार पर तय की जाने वाली टीसी का स्तर तय किया जाना है। निविदा का या न्यूनतम वैध प्रस्ताव जो भी अधिक हो। (एसओपी भाग ए के अनुसार)</p>
44	<p>ठेकेदार द्वारा कार्य पर योग्यताधारी इंजीनियर की नियुक्ति</p> <p>ठेकेदार कार्य पर एक योग्यताधारी ग्रेजुएट इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर की नियुक्ति क्रमशः करेगा जब कार्य की लागत 2 करोड़ से अधिक होगी या 25 लाख से अधिक परन्तु 2 करोड़ से कम होगी।</p> <p>ठेकेदार कार्य पर दो योग्यताधारी ग्रेजुएट इंजीनियर की नियुक्ति करेगा जब कार्य की लागत 5 करोड़ से अधिक होगी।</p> <p>यदि ठेकेदार योग्यताधारी इंजीनियर की नियुक्ति करने में असफल रहता है तो ठेकेदार जनरल कण्डीषन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की धारा 26ए.2 के अनुसार उस दोष अवधि के लिए पेनल्टी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहेगा।</p> <p>नोट:- 1. जलापूर्ति, परिवहन, वाहन किराये पर लेने एवं बैलास्ट सप्लाई एवं जोन के कार्य के ठेके में योग्य इंजीनियर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>2. IPWE (India) द्वारा रेलवे इंजीनियरिंग में प्रदत्त डिप्लोमा होल्डर व्यक्ति को भी योग्यताधारी डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर माना जायेगा तथा ट्रेक संबंधी ठेके में ठेकेदार ऐसे व्यक्ति को कार्य स्थल पर नियुक्त कर सकता है।</p>

45	सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की सेवाएँ लेना (नौकरी)/ भागीदारी साझेदारी आदि
45(a)	निविदाकर्ता i) राजपत्रित रैंक का सेवानिवृत्त अभियंता या उसकी सेवानिवृत्ति से पहले काम करने वाला कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, चाहे वह कार्यकारी या प्रशासनिक क्षमता में हो या इंजीनियरिंग या किसी अन्य विभाग में पेंशनभोगी पद धारण कर रहा हो या नहीं भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वामित्व और प्रशासित रेलवे, या ii) साझेदारी फर्म / संयुक्त उद्यम (JV) / पंजीकृत सोसायटी / पंजीकृत ट्रस्ट आदि के अपने साझेदारों में से एक है जो राजपत्रित पद के सेवानिवृत्त इंजीनियर या किसी राजपत्रित के रूप में है। सेवानिवृत्त होने से पहले काम करने वाले अधिकारी, या iii) एक निगमित कंपनी के पास राजपत्रित रैंक का कोई भी सेवानिवृत्त अभियंता या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी होता है जो अपने सेवानिवृत्त होने से पहले अपने निदेशकों में से एक के रूप में काम करता है और ऐसे मामले में जब कोई अभियंता या अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से कम से कम 1 वर्ष पहले निविदाकर्ता ऐसे अभियंता या राजपत्र के सेवानिवृत्ति की तिथि तक पूरी जानकारी देगा। उक्त सेवा से टेड अधिकारी और इस तरह के अनुबंध लेने के लिए अनुमति के रूप में, या यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या एक निगमित कंपनी है, जैसा कि मामला हो सकता है, भागीदार या निदेशक बनने के लिए निविदाकर्ता या अभियंता द्वारा प्राप्त किया गया है। या अधिकारी, जैसा कि मामला भारत के राष्ट्रपति या किसी अधिकारी का हो सकता है, इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत रूप से निविदा प्रस्तुत करने के समय लिखित रूप से स्पष्ट रूप से कहा जाएगा।
45(b)	अनुबंध के सफल पुरस्कार के मामले में, इस अनुबंध के तहत काम से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए एक निविदाकर्ता प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग या किसी अन्य विभाग में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी या सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी के किसी भी सेवानिवृत्त इंजीनियर से पहले काम करेगा। भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व और प्रशासित रेलवे में से कोई भी, और अब उनके रोजगार में, तब निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि सेवानिवृत्त इंजीनियर या सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी अपनी सेवा की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पहले सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। निविदाकार के साथ रोजगार और यदि वह एक वर्ष के भीतर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, तो उसके पास भारत के राष्ट्रपति या किसी भी अधिकारी से अपेक्षित अनुमति होती है, जो विधिवत रूप से इस संबंध में प्राधिकृत होता है, निविदाकर्ता के साथ जुड़ने के लिए।
45(c)	एक निविदाकर्ता या ठेकेदार को एक व्यक्ति होना चाहिए, उसके परिवार का सदस्य (सदस्य) या साझेदारी फर्म / कंपनी / संयुक्त उद्यम (JV) / पंजीकृत समाज / पंजीकृत ट्रस्ट आदि के मामले में उसके एक या अधिक भागीदार / साथी / भागीदार (ओं) / शेयरधारक (ओं) के परिवार के शेयरधारक (सदस्य) या शेयरधारक इकाई जो इंजीनियरिंग या रेलवे के किसी अन्य विभाग में राजपत्रित क्षमता में कार्यरत निविदा इकाई में 1% से अधिक का हिस्सा रखते हैं, तब निविदा प्रस्तुत करने के समय निविदाकर्ता, ऐसे व्यक्तियों के विवरण को आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को सूचित करेगा। नोट: -अगर आवश्यक जानकारी (a), (b), (c) के अनुसार ऊपर नहीं दी गई है, तो अनुबंध की मानक सामान्य शर्त 62 के खंड के प्रावधान के अनुसार अनुबंध किया जाना चाहिए।
46	ये व्यवस्थाएं प्रॉस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होंगी।
47	यदि उपरोक्त पैरा में कोई विवरण पाया जाता है, तो जीसीसी (अद्यतन संशोधित) में निहित निर्देश सही और अंतिम होंगे। जीसीसी अप्रैल 2022 सूचना के लिए संलग्न।

मैं/हम उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हैं

संविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

हस्ताक्षर

पता.....

कृते मंडल रेल प्रबन्धक/इंजी.

उ.प.रे., बीकानेर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

निष्पादन गारंटी बांड

सेवामें,

..... को कवर करने वाले दिनांक.....के संविदा संख्या.....के सापेक्ष भारत के राष्ट्रपति एवं..... (अब संविदाकर्ता कहा जाएगा) के बीच (जिसे अब संविदा कहा जाएगा) यह प्रमाणित किया जाता है कि संविदाकर्ता के अनुरोध पर हम.....बैंक ने भारत के राष्ट्रपति को देय.....(शब्दों में) रु. की राशि ट्रस्ट के रूप में अपने पास रखी है। यह राशि भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को क्षतिपूर्ति करने एवं क्षतिपूरित रखने के लिए है जो हानि या क्षति संविदाकर्ता द्वारा उक्त संविदा और/या उसके निष्पादन की शर्तों को भंग करने से सामान्य हो और इस तरह से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को होने वाले नुकसान/क्षति की राशि हमारे लिए अंतिम व बाध्यकारी होगी और उक्त नुकसान/क्षति की राशि मांगे जाने पर हमारे द्वारा बिना किसी रुकावट के भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को दे दी जाएगी।

2. हम (बैंक का नाम दें)सहमति देते हैं कि यह गारंटी उस अवधि तक जो संतोषजनक कार्य निष्पादन व संविदा की हर दृष्टिकोण से पूर्णता के लिए आवश्यक होए अनुरक्षण अवधि की समाप्ति तक पूर्णतया प्रभावी होगी और यह उस समय तक लागू की जा सकेगी जब तक कि उस संविदा के अंतर्गत सरकारी बकाए का पूर्ण भुगतान न हो जाए और इसके दावे पूर्णतया संतुष्ट तथा डिस्चार्ज न कर दिए जाएं या जब तक मं.रे.प्र. (डब्ल्यू.ए.) कार्या.एउ.प.रे.ए बीकानेर यह प्रमाण-पत्रित न कर दे कि उक्त संविदाकर्ता द्वारा उक्त संविदा सही ढंग से पूर्ण की गई है और तदनुसार इस गारंटी को डिस्चार्ज न कर दे।

3. यह समझा जाता है कि यह गारंटी उक्त संविदा की तिथि से प्रभावी है और हम.....बैंक इस गारंटी को इसके चालू रहने तक भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

4. हम.....बैंक यह भी सहमति देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को हमारे दायित्व को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना उक्त संविदा की किसी भी टर्म व कंडीशन को परिवर्तित करने या संविदाकर्ता द्वारा निष्पादन की अवधि को समय-समय पर बढ़ाने और समय-समय पर या किसी अवधि तक के लिए उक्त संविदा के सापेक्ष भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार द्वारा प्रयोज्य किसी भी शक्ति को रोकने या उक्त संविदा से संबंधित) किसी टर्म व कंडीशन को लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम.....बैंक इस गारंटी के अंतर्गत किसी ऐसे परिवर्तन या बढ़ोतरी और/या भारत के राष्ट्रपति की ओर से ओमिशन या भारत के राष्ट्रपति द्वारा उक्त संविदाकर्ता के लिए कोई इंडलजेंस या किसी अन्य तथ्य के कारण अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे जो स्योरिटी की विधि के अंतर्गतए उपबंध को छोड़करए इस गारंटी के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी से हमें रिलीज करने का प्रभाव रखता है।

5. हम.....बैंक यह भी सहमति देते हैं कि यहां दी गई गारंटी बैंक के या संविदाकर्ता(ओं) के संगठन में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

दिनांक. दिन के के लिएबैंक

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

कृते मंडल रेल प्रबंधक(इंजी.)
उत्तर पश्चिम रेलवेबीकानेर

ठेकेदार के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (क्रेडिट क्लीयरिंग)

मॉडल मैडेट फार्म

(निवेशक /ग्राहक का क्रेडिट क्लीयरिंग मेकेनिज्म के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का विकल्प)

ठेकेदार का नाम

पिन कोड सहित पूर्ण पता _____

_____ पिन कोड _____

बैंक खाता सं.

खाते का प्रकार

(i) बचत खाता (ii) चालू खाता

बैंक का नाम एवं पता

आई एफ एस सी कोड नं

पैन नं

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है और मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के माध्यम से भुगतान लेने के लिए सहमत हूँ।

(_____)

ठेकेदार /सप्लायर के हस्ताक्षर

मोबाइल नं

अनुलग्नक-ए1- ए

संदर्भ 6.1 आईटीटी का पैरा -

हिंदू /(जेवी) संयुक्त उद्यम/साझेदारी फर्म/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/यह प्रमाण पत्र अटॉर्नी) आदि के प्रत्येक (एलएलपी) सीमित देयता भागीदारी/(एचयूएफ) अविभाजित परिवार (दिया जाना है। सदस्य द्वारा

मैं /हम (नाम), अटॉर्नी/..... (घटक फर्म/घटक भागीदार) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और के सदस्य/भागीदार। (निविदाकर्ता फर्म) इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और निम्नानुसार बताते हैं: -

1. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (घटक फर्म/घटक भागीदार) को रेलवे या सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया है। बोली जमा करने की तारीख पर निविदा में भाग लेने से भारत, या तो व्यक्तिगत क्षमता में या एचयूएफ / साझेदारी फर्म / एलएलपी / जेवी / सोसाइटी / ट्रस्ट के सदस्य के रूप में।

2. मैंने/हमने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में खंड पढ़ा है और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या,

यदि ऐसे देश से, सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है। मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और विचार किए जाने के पात्र हैं/हैं (सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न है)

मुहर और हस्ताक्षर
कांस्टीट्यूट फर्म / कांस्टीट्यूट पार्टनर

स्थान :

दिनांक :

(जमानत राशि)

भारत के किसी शेड्यूलड कमर्थरल बैंक से बैंक गारंटी बॉण्ड

)गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जो जारी करनेवाले बैंक के नाम पर होना चाहिए (

बैंक का नाम

.....के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति ,

.....रेलवे

लाभार्थी :रेलवे

दिनांक

बैंक गारंटी बॉण्ड नं

दिनांक

)संविदा पर हस्ताक्षर करनेवाले प्राधिकारी का पदनाम एवं पता (रेलवे)जिसे अब से 'रेलवे 'कहा जाएगा (के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर)एनआइटी (संके द्वाराके लिए बोली/बिड आमंत्रित करने के प्रतिफल में हमें सूचित किया गया है कि)बोली लगानेवाले /बिडर का नाम डालें) (जिसे अब से 'बिडर 'कहा जाएगा (अपना बिड जमा करना चाहता है)अब से 'बिड 'कहा जाएगा।)

बिडर के लिए बिड की शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी के रूप मेंकी राशि की बिड सिक्क्योरिटी)बिड सिक्क्योरिटी /जमानत राशि का वांछित मूल्य डालें ,(प्रस्तुत करना आवश्यक है।

और

जबकि के माध्यम से कार्यरत)बैंक के अधिकृत व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम डालें(अपनीशाखा)पता डालें (सहित)बैंक का नाम डालें (जिसका प्रधान कार्यालय)पता डालें (है जिसे यहाँ के बाद से 'बैंक 'कहा जाएगा ,बिडर के अनुरोध पर रेलवे के पक्ष में बिड सिक्क्योरिटी के लिए गारंटी देने के लिए सहमत है

1. KNOW ALL MEN that by these present that मैं /हम अधोहस्ताक्षरी)बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम डालें(बैंक की ओर से तथा बैंक के लिए हस्ताक्षर करने एवं वादा करने के लिए पूर्णतः अधिकृत होने के कारण पुष्टि करते हैं कि एतद्वारा बैंक बिना किसी शर्त के तथा अपरिवर्तनीय ढंग से ऊपर बताए गए अनुसार रेलवे कोकी पूर्ण राशि)बिड सिक्क्योरिटी का वांछित मूल्य डालें (भुगतान करने की गारंटी देता है।

.2यह बैंक रेलवे द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर ऊपर उल्लिखित पूर्ण राशि को शामिल करते हुए तथा पूर्ण राशि तक किसी भी राशि का तत्काल बिना किसी हिचकिचाहट ,रोक या उपाश्रय के भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता है। रेलवे द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग बैंक के लिए अंतिम ,निर्णायक ,बाध्यकारी एवं पूर्ण तथा असंदिग्ध होगी जिस पर किसी न्यायालय ,ट्रिब्यूनल ,आर्बिट्रेशन या किसी प्राधिकार में उठाए गए/लंबित विवाद या बिडर या बैंक द्वारा किसी मुकदमे की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

.3रेलवे द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर बैंक बिडर के किसी संदर्भ के बिना मांगी गई राशि का भुगतान करेगा तथा इसके लिए रेलवे को इस प्रकार मांगी गई राशि के लिए कोई आधार दिखाने या कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

.4इसमें पहले बताई गई गारंटी बैंक के संघटन)कंस्टीट्यूशन (में या बिडर के संघटन में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

.5बैंक सहमत है कि बिड दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज जो रेलवे एवं बिडर के मध्य हैं या किए जा सकते हैं के अनुबंधों में किसी परिवर्तन ,संयोजन ,परिवर्धन से बैंक इस गारंटी के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा तथा बैंक एतद्वारा रेलवे द्वारा किए गए ऐसे किसी भी किसी परिवर्तन ,संयोजन ,परिवर्धन की सूचना दिए जाने की आवश्यकता का अधित्याग करता है।

.6यह गारंटीसे)जारी करने की तिथि डालें (तक)तिथि डालें जो बिड की वैधता तिथि के समाप्त होने से कम-से-कम 90दिन आगे की हो (वैध एवं प्रभावी होगी। इस गारंटी के संदर्भ में कोई मांग बिड सिक्क्योरिटी की वैधता अवधि के अंदर बैंक तक पहुँचनी चाहिए।

.7बैंक की गारंटी शर्त रहित एवं अपरिवर्तनीय है।

.8यहां पहले प्रयुक्त अभिव्यक्तियां' बैंक 'एवं 'रेलवे 'में उनसे संबंधित उत्तराधिकारी एवं वारिस)assigns (शामिल हैं।

.9यह बैंक एतद्वारा गारंटी को ,रेलवे की लिखित में दी गई पूर्व सहमति की स्थिति को छोड़कर ,प्रवर्तन अवधि के दौरान रद्द न करने का वचन देता है। यह गारंटी ,डिमांड गारंटी ,आइसीसी पब्लिकेशन सं 758के लिए समरूप नियम के अधीन है।

.10यह बैंक एतद्वारा यह पुष्टि करता है कि यह एसएफएमएस (Structured Financial Messaging System) पर है तथा निरपवाद रूप से निम्नलिखित बैंक विवरण को इस बैंक गारंटी की सूचना भेजेगा

आइएफएससी कोड	SBIN00ORAIL
आइएफएससी प्रकार	BRANCH
बैंक का नाम	STATE BANK OF INDIA
शाखा कानाम	RAIL
शहर का नाम	NAVI MUMBAI
पता	SECTOR-11, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI
जिला	NAVI MUMBAI
राज्य	MAHARASHTRA
बीजी समर्थित	YES

11. रेलवे के पक्ष में बिडर के किसी अन्य गारंटी सहित एवं उसके प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के गारंटी वैध होगी। इस गारंटी के अंतर्गत इस बैंक को रेलवे का मुख्य देनदार माना जाएगा।

दिनांक
स्थान

बैंक की सील एवं अधिकृत हस्ताक्षर
)नाम स्पष्ट अक्षरों में (
)कोड नं सहित नाम (
)पी/एटॉर्नी (सं.

साक्ष्य

1हस्ताक्षर ,नाम ,पता एवं सील

2हस्ताक्षर ,नाम ,पता एवं सील

बैंक की मोहर

)पी/एटॉर्नी (सं.

नोट सभी तिरछे पाठ इस बैंक गारंटी को तैयार करने के तरीके पर मार्गदर्शन के लिए हैं और अंतिम दस्तावेज से हटा दिए जाएंगे।

संदर्भ - आइटीटी के अनुलग्नक-1 के निविदा प्रपत्र)द्वितीय शीट (का पैरा 10.2 तथा 17.15.2

प्रत्येक बिडर या किसी जेबी के प्रत्येक सदस्य द्वारा यह प्रपत्र अलग-अलग भरा जाएगा।

बिडर /जेबी साझीदार का नाम

गत 3/4 वर्षों का वार्षिक संविदात्मक टर्नओवर डाटा (केवल संविदात्मक भुगतान)			
वर्ष	राशि (मुद्रा)	विनिमय दर	भारतीय रूपए के समतुल्य
गत 3 वर्षों का वार्षिक संविदात्मक औसत टर्नओवर			

.1 औसत वार्षिक संविदात्मक टर्नओवर की गत तीन वित्तीय वर्षों में 'कुल संविदात्मक भुगतान' के औसत के रूप में गणना की जाएगी। हालांकि यदि गत वर्ष का बैलेंस शीट अभी तैयार करना /ऑडिट करना बाकी है तो चौथे गत वर्ष के ऑडिट किए गए बैलेंस शीट पर औसत वार्षिक संविदात्मक टर्नओवर की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

.2 प्रासंगिक वर्षों के लिए बिडर के संबंध में या उन सभी सदस्यों के संबंध में जो संयुक्त रूप से बिडर हैं ,आडिट किए गए बैलेंस शीट्स तथा लाभ एवं हानि एकाउंट में दिए गए आंकड़ों से दी गई सूचना का मिलान कर पुष्टि की जाएगी।

.3 इस प्रपत्र में दी गई सूचना किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिट की गई बैलेंस शीट द्वारा पुष्ट होनी चाहिए।

बिडर की मुहर एवं हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में सभी आंकड़े एवं तथ्य ऑडिटर की रिपोर्ट में दी गई सभी टिप्पणियों /नोट्स पर पूर्ण विचार करने के पश्चात दिए गए हैं।

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)

चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम

पंजीयन संख्या

(मोहर)

प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बीमा जमानत बांड

जमानत बांड जारीकर्ता का नाम:

भारत के राष्ट्रपति,
अभिनय
के माध्यम से.....,
उत्तर पश्चिम रेलवे.
तारीख

जमानत बांड संख्या: जारी करने की तारीख:

बांड की राशि: रु..... समाप्ति तिथि

जबकि, भारत के राष्ट्रपति द्वारा (अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और पता), उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर (इसके बाद इसे "रेलवे" कहा जाएगा) के माध्यम से कार्य करते हुए मैसर्स की बोली स्वीकार कर ली गई है। XXXXX ने इसके बाद निविदा संख्या XXXX दिनांक XXXX के लिए आमंत्रण के तहत XXX" के कार्य के लिए ठेकेदार को बुलाया, स्वीकृति पत्र संख्या के तहत

और

जबकि, ठेकेदार को रुपये की राशि के लिए प्रदर्शन सुरक्षा जमा करना आवश्यक है। XXXX (केवल XXXX रुपये), जमानत बांड के रूप में, अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले की शर्त है।

जबकि, हम, ----- (बीमा कंपनी का नाम) इसके बाद जमानतदार कहलाएंगे, मैसर्स के अनुरोध पर, [जमानतकर्ता के अधिकृत व्यक्ति के पदनाम] के माध्यम से कार्य करना। XXXX ठेकेदार, प्रदर्शन सुरक्षा/अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बांड देने के लिए सहमत हुआ, जैसा कि इसमें आगे बताया गया है:

1. इन उपस्थित लोगों द्वारा सभी लोगों को पता है कि मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी [जमानतदार के अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम शामिल करें], जमानतदार के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने और दायित्वों को वहन करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं, पुष्टि करते हैं कि जमानतकर्ता, इसके द्वारा, ऊपर

बताए अनुसार XXXX ((केवल XXXX रुपये) की राशि में रेलवे को पूरी राशि का भुगतान करने के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बांड।

2. जमानतकर्ता रेलवे द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर बिना किसी आपत्ति, आरक्षण या सहारा के उपरोक्त पूरी राशि सहित किसी भी राशि का तुरंत भुगतान करने का वचन देता है। रेलवे द्वारा जमानत पर की गई ऐसी कोई भी मांग अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी, पूर्ण और स्पष्ट होगी, किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण, मध्यस्थता या किसी प्राधिकरण या बोलीदाता या बैंक द्वारा किसी भी धमकी भरे मुकदमे के समक्ष उठाए गए/लंबित होने के बावजूद।

3. रेलवे की मांग के अनुसार, उपरोक्त पूर्ण राशि से कम किसी भी राशि के भुगतान पर, बांड शेष राशि के लिए वैध रहेगा, अर्थात् रेलवे को किए गए भुगतान को घटाकर उपरोक्त पूर्ण राशि।

4. जमानतदार को ठेकेदार को कोई संदर्भ दिए बिना और रेलवे को उसकी मांग या मांग की गई राशि के लिए आधार दिखाने या कारण बताने की आवश्यकता के बिना, रेलवे द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर तुरंत मांग की गई राशि का भुगतान करना होगा।

5. जमानत बांड बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगा।

6. इससे पहले का बांड जमानत के संविधान या ठेकेदार के संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगा।

7. जमानतकर्ता इस बात से सहमत है कि अनुबंध समझौते की शर्तों या किसी दस्तावेज़ में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, जो रेलवे और ठेकेदार के बीच हुआ है या किया जा सकता है, किसी भी तरह से हमें इस बांड के तहत दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। ; और जमानतदार, इसके द्वारा, जमानत में ऐसे किसी भी बदलाव, परिवर्धन या संशोधन के नोटिस की किसी भी आवश्यकता को छोड़ देता है।

8. यह बांड अपने जारी होने की तारीख से वैध और प्रभावी है, जो कि [जारी करने की तारीख डालें] है।

बांड और इसके तहत हमारे दायित्व XXXX (समाप्ति तिथि) पर समाप्त हो जाएंगे। बांड के तहत भुगतान की सभी मांगें हमें उस तिथि पर या उससे पहले प्राप्त होनी चाहिए।

9. जमानतकर्ता इस बात से सहमत है कि रेलवे को एक बार में उपरोक्त पूरी राशि के भुगतान की मांग करने या कई मामलों में उपरोक्त पूरी राशि के कुछ हिस्सों में भुगतान की मांग करने का अधिकार तब तक वैध रहेगा जब तक कि रेलवे या रेलवे को उपरोक्त पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा बांड समाप्ति तिथि से पहले जारी किया जाता है।

10. जमानतकर्ता इस बात से सहमत है कि इस बांड की समाप्ति से पहले रेलवे द्वारा मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने का उसका दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक कि मांगी गई राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

11. यहां पहले इस्तेमाल किए गए शब्द जमानत और रेलवे में उनके संबंधित उत्तराधिकारी, प्रशासक और नियुक्तियां शामिल होंगी।

12. जमानतदार इसके द्वारा रेलवे की लिखित पूर्व सहमति के अलावा, बांड को अपनी अवधि के दौरान रद्द नहीं करने का वचन देता है। यह बांड डिमांड बांड के लिए समान नियमों, आईसीसी प्रकाशन संख्या 758 के अधीन है।

13. हम, जमानत बीमाकर्ता, इस बात से भी सहमत हैं कि प्राधिकरण यह निर्णय लेने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगा कि क्या बोलीदाता अन्य बातों के साथ-साथ बोली दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के उचित और वफादार पूर्ति और अनुपालन में चूक कर रहा है। उक्त दस्तावेजों में निर्धारित बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली को खुला रखने में बोली लगाने वाले की विफलता, और प्राधिकरण का निर्णय कि बोली लगाने वाला

डिफॉल्ट है, हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, प्राधिकरण और बोलीदाता के बीच किसी भी मतभेद या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी विवाद के बावजूद।

14. यह बांड रेलवे के पक्ष में ठेकेदार के रेलवे के पास उपलब्ध किसी भी अन्य सुरक्षा बांड के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा। इस बांड के तहत ज़मानतकर्ता को रेलवे का मुख्य देनदार माना जाएगा।

इन उपहारों प्रस्तुतिओ में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी,

(ए) इस ज़मानत बांड के तहत हमारी देनदारी XXXX ((केवल XXXX रुपये) से अधिक नहीं होगी।

(बी) यह ज़मानत बांड XXXX (समाप्ति की तारीख होने के नाते) तक वैध होगा;

(सी) जब तक बैंक को XXXX [समाप्ति की तारीख] पर या उससे पहले कोई लिखित दावा या मांग नहीं दी जाती है, इस बांड के तहत सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और जमानतदार को इस बांड के तहत सभी देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा, भले ही वह मूल जमानती बांड हो या नहीं। ज़मानतकर्ता को वापस कर दिया जाता है।

दिनांकदिन 2025

15. बीमा ज़मानत बांड को मेल भेजकर सत्यापित किया जाएगा [customer.care@sbigeneral. in].

स्थान

बैंक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षर

[बड़े अक्षरों में नाम I

[पदनाम कोड संख्या सहित]

[पी/अटॉर्नी] न.

गवाह

1

2

[नोट: सभी इटैलिकाइज़्ड पाठ इस बीमा ज़मानत बांड को तैयार करने के तरीके पर मार्गदर्शन के लिए हैं और अंतिम दस्तावेज़ से हटा दिए जाएंगे।]